

वित्तीय वर्ष 2006-07 की दूसरी तिमाही
के अंत में बजट संबंधी प्राप्तियों और व्यय में
प्रवृत्तियों की समीक्षा का परिणाम

और

राजकोषीय उत्तरदायित्व और
बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधीन सरकार
के दायित्वों की पूर्ति में विचलन को स्पष्ट करने वाला विवरण

(उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(3)(ख) के तहत)

वित्त मंत्रालय

मध्य-वर्षीय समीक्षा

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
I. प्रस्तावना	1-24
i सिंहावलोकन	1
ii उत्पादन और कीमतें	3
(क) कृषि	3
(ख) उद्योग	8
(ग) मुद्रास्फीति	10
iii वैदेशिक क्षेत्र	16
iv मुद्रा और पूंजी बाज़ार	19
v अवसंरचना	22
vi सामाजिक क्षेत्र	24
II. केन्द्र सरकार के वित्त साधन	25-30
i अप्रैल-सितंबर, 2006 के दौरान राजकोषीय प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन	25
ii प्राप्तियां	25
(क) कर-राजस्व	25
(ख) कर-भिन्न राजस्व	26
(ग) ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	26
iii व्यय	26
(क) आयोजना व्यय	27
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	27
iv राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित निवल संसाधन	27
v विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियाँ और व्यय	28
vi घाटे की वित्त-व्यवस्थाएं और देनदारियों की स्थिति	28
vii नकद प्रबंधन	29
viii एफआरबीएम की तुलना में मूल्यांकन	29
III. संभावनाएं तथा नीतिगत मुद्दे	31-37
i निवेश	31
ii राजकोषीय समेकन एवं सुधार	32
iii कृषि	33
iv उद्योग	35
v मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेजी	36
vi अवसंरचना	37

अनुबंध I

बजट प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति

38-48

परिशिष्ट सारणियां

I. मुख्य संकेतक	49
II. भुगतान संतुलन : सारांश	50
III. मौद्रिक समीक्षा	51
IV. आधारभूत ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां	52
V. लेखा सार	53
VI. कर राजस्व	54
VII. कर-भिन्न राजस्व	55
VIII. पूंजी प्राप्तियां	56
IX. आयोजना व्यय	57-60
X. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित संसाधन	61
XI. केन्द्रीय सरकार की बकाया देयताएं	62

I. प्रस्तावना

मध्यवर्षीय समीक्षा में वर्ष 2006-07 के पूर्वार्ध में अर्थव्यवस्था में हुए घटनाक्रम की सूचना दी गई है तथा इसमें केन्द्र सरकार के वित्त साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें वास्तविक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन, आर्थिक संभावनाओं और नीतिगत मुद्दों का भी खुलासा किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 में तिमाही आधार पर बजट के संदर्भ में प्राप्ति और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। चालू वर्ष की पहली तिमाही समीक्षा दिनांक 18 अगस्त, 2006 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी। यह मध्यवर्षीय समीक्षा एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के धारा 7(1) के अंतर्गत यथापेक्षित दूसरी तिमाही समीक्षा भी है।

(i) सिंहावलोकन

वर्ष 2005-06 में उपादान लागत पर समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हुई वृद्धि 8.4 प्रतिशत होने के अनुमान होने के चलते गत तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में औसत वृद्धि का अनिवर्ती मार्ग देखा गया। चालू वर्ष (2006-07) के पूर्वार्ध में 9.1 प्रतिशत (परिशिष्ट सारणी-1) की स.घ.उ. की वृद्धि के स्तर पर सन्तुलित रफ्तार का जारी रहना और पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से दूसरी तिमाही में 9.2 प्रतिशत हो जाने की धीमी वृद्धि इस तथ्य को सिद्ध करती है। अलग-अलग स्तर पर पूर्वार्ध (दूसरी तिमाही) में कृषि में 2.6 (1.7) प्रतिशत, उद्योग में 10.0 (10.3) प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 10.7 (10.9) प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

हाल के समय में एक महत्वपूर्ण और अनुकूल घटनाक्रम औद्योगिक पुनरुत्थान - विशेषकर विनिर्माण में - का उभरता संकेत रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार मापित समग्र औद्योगिक वृद्धि अप्रैल-सितम्बर 2006 में 10.9 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष की तदनुरूप अवधि में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आईआईपी के तहत शामिल तीनों क्षेत्रों, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र, में चालू वर्ष में बेहतर कार्य-निष्पादन दर्ज किया गया है जो गत वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान हासिल 1.1 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दरों की तुलना में क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत रहीं।

बेहतर कार्य-निष्पादन के बावजूद, खनन और बिजली क्षेत्र अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर की तुलना में पिछड़े रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की अधिक रफ्तार हाल के महीनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रही है। आईआईपी के अनुसार मापित, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि न सिर्फ 2004-05 और 2005-06 के दोनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 9.1 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष के पूर्वार्ध में 12.1 प्रतिशत हो गई बल्कि 2004-05 और 2005-06 के बारहों महीनों के क्रमशः केवल तीन और चार महीने की स्थिति की तुलना में प्रत्येक छह माह की अवधि में द्विअंकीय स्तर पर रही।

विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर निष्पादन की मांग के स्रोतों के संदर्भ में संतुलित संघटन में व्यक्त हुई। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी मांग और व्यावसायिक विश्वास का संकेत है। विनिर्माण के चार प्रयोग-आधारित संघटकों - बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं - में से पूंजी और उपभोक्ता वस्तुओं ने विनिर्माण में वृद्धि की है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि अप्रैल, 2004 से शुरू 30 महीनों में से 29 महीनों में प्रत्येक माह में समग्र विनिर्माण वृद्धि से आगे रही, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं में हुई वृद्धि सितंबर, 2006 में समाप्त 30 महीनों में बाईस महीनों में समग्र विनिर्माण वृद्धि से अधिक रही। इसके अलावा, उपभोक्ता वस्तुओं में ही, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ा है। रसायन और भेषज, मशीनरी एवं उपस्कर, बुनियादी धातुओं और परिवहन एवं ऑटो उपस्करों के उद्योग समूह ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास में लगभग तीन-चौथाई अंश का योगदान दिया।

विनिर्माण में तेजी से हुई यह वृद्धि विशेषकर वर्ष 2005-06 की दूसरी तिमाही से राष्ट्रीय लेखा-विवरणों में भी प्रतिबिम्बित हुई है जहां "उद्योग" जिसमें खनन, विनिर्माण, बिजली और निर्माण शामिल है, ने प्रभावशाली निष्पादन किया। राष्ट्रीय लेखा-विवरणों के आंकड़ों में चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि के द्विअंकीय स्तर से धीमे होकर उच्च एक अंकीय स्तर पर आने का भी संकेत है।

पिछली आठ तिमाहियों में कृषि में वृद्धि मद्धिम रही और इसकी औसत 2.6 प्रतिशत रही। 1996-2006 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि का रूख 0.22 प्रतिशत प्रतिवर्ष था। इस अवधि में विशेषकर गेहूं और दालों के संदर्भ में, रबी खाद्यान्नों की ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, विशेषकर मुख्य कृषि क्षेत्र के सापेक्ष महत्त्व के कम होने से, समग्र सकल घरेलू उत्पाद पर कृषि के मद्धिम निष्पादन का नकारात्मक प्रभाव बहुत सुस्पष्ट नहीं है, लेकिन आधी से अधिक जनसंख्या के साथ वृद्धि का फल बांटने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका कमाने के लिए इस क्षेत्र पर आश्रित है।

वर्ष 2005-06 की चौथी तिमाही में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, सेवा क्षेत्र चालू वर्ष के पूर्वार्ध में 10.7 प्रतिशत के स्तर पर जारी रहा। पिछली दस तिमाहियों में सेवा क्षेत्र की समग्र वृद्धि औसतन 10 प्रतिशत रही। सेवा-क्षेत्र में ही जनवरी, 2001 से शुरू 23 तिमाहियों में से 19 तिमाहियों में व्यापार, परिवहन और संचार के उप-क्षेत्रों में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई। इन उप-क्षेत्रों की तेज वृद्धि की एक प्रमुख प्रेरक-शक्ति दूरसंचार थी जिसमें 2000-05 के दौरान 27.1 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत पर कुल स.घ.उ. में इसका हिस्सा 1999-2000 के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 3.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अनुपात में वर्ष 2001-02 के 23.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2004-05 में 30.1 प्रतिशत तक हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने 2001-02 में 5.8 प्रतिशत की स.घ.उ. की वृद्धि दर में तेजी लाने में योगदान दिया जो 2005-06 को समाप्त त्रिवर्षीय अवधि में आठ प्रतिशत से ऊपर की औसत पर पहुंच गई। सकल पूंजी निर्माण के लगभग 97 प्रतिशत संसाधनों को घरेलू तौर पर सृजित किया गया। हालांकि 2004-05 से आगे सकल घरेलू पूंजी निर्माण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और ऐसी वस्तुओं के अधिक आयात संबंधी आईआईपी आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि निवेश का उद्वाल जारी रहेगा।

अप्रैल, 2006 के मध्य से शुरू अवधि में कुछ स्फीतिकारी दबाव रहे हैं जो प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों पर वृद्धिकारी दबाव से उत्पन्न हुए हैं। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापित बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर जून, 2006 के मध्य में 5.5 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच गई। 30 सितम्बर, 2006 तक चालू वर्ष के पहले 27 सप्ताहों में, प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति प्रत्येक सप्ताह में समग्र मुद्रास्फीति से अधिक रही सिवाय तीन सप्ताहों के - 8, 15 और 22 जुलाई, 2006 को समाप्त तीन सप्ताह। समग्र थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति का आधिक्य 23 सितम्बर, 2006 को 3.60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था। मुद्रास्फीति का वस्तु-विशिष्ट संरचनात्मक स्वरूप कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दालों और चीनी की कीमतों में हुई वृद्धि और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में अधिक मुद्रास्फीति दर में भी प्रतिबिम्बित हुआ। सीपीआई मुद्रास्फीति आवधिक औसत आधार पर चालू वर्ष के प्रथम छह महीनों में 6.5 प्रतिशत थी। कच्चे तेल की कीमत जो भारतीय समूह के लिए जुलाई-सितम्बर, 2005 के 58.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल से तेजी से बढ़कर जुलाई-सितम्बर, 2006 में 67.9 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई, कुछ नरम पड़ी और कम होकर नवम्बर, 2006 के आस-पास 56-58 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई। तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में इस गिरावट को 29 नवम्बर, 2006 की मध्यरात्रि को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में क्रमशः 2/- रु. और 1/- रु. प्रति लीटर की कमी करके उपभोक्ताओं को अंतरित किया गया और इसका आने वाले सप्ताहों में मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए।

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में, अमरीकी डालर मूल्य में तथा सीमा-शुल्क आधार पर अनन्तिम से अनन्तिम आधार पर व्यापारिक निर्यात और आयात में क्रमशः 37.3 प्रतिशत और 32.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्तर्प्रवाह 4.9 बिलियन अमरीकी डालर का था। इसी अवधि में विदेशी संस्थागत

निवेशों के संबंध में 0.11 बिलियन अमरीकी डालर का बहिर्प्रवाह हुआ। विदेशी मुद्रा आस्तियों में मार्च 2006 के अन्त के स्तर में 22.49 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और 30 नवम्बर, 2006 तक 167.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच गए।

अन्तर्राष्ट्रीय बृहत्त-आर्थिक असंतुलनों के निरन्तर जारी रहने के चलते, अमरीकी डालर यूरो के मुकाबले तेजी से गिरता हुआ अगस्त, 2006 के दौरान 14-माह के निम्नतम स्तर तक जा पहुंचा (प्रति यूरो 0.781 अमरीकी डालर)। पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में, अगस्त, 2006 में अमरीकी डालर गिरकर 15 महीने के रिकार्ड निम्नतम स्तर तक जा पहुंचा (प्रति पौण्ड 0.528 अमरीकी डालर)। प्रथम छह महीनों के अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मासिक औसत विनिमय दर ने सामान्यतया गिरावट का रुख दर्शाया जो अप्रैल, 2006 में 44.95 रु. से सितम्बर, 2006 में 46.12 रु. और अगस्त, 2006 में 46.54 रु. के निम्न स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद रुपया आमतौर पर मजबूत बना रहा और नवम्बर 2006 में यह 44.85 रु. प्रति अमरीकी डालर के स्तर पर था। अनुमानित प्रभावी विनिमय दर (1993-94 = 100 के साथ 6-देशीय व्यापार आधारित भारांश) मार्च, 2006 के अन्त की स्थिति के अनुसार 71.61 से गिरकर सितम्बर, 2006 के अन्त में 67.04 हो गई और इसके बाद बढ़ती हुई 13 अक्टूबर, 2006 को 68.46 पर पहुंच गई। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर भी इसी तर्ज पर चली जो मार्च, 2006 के अन्त के 108.11 के स्तर से गिरती हुई सितंबर 2006 के अन्त में 103.25 हो गई और इसके बाद बढ़ती हुई 13 अक्टूबर, 2006 को 106.00 हो गई।

मौद्रिक नीति स्फीतिकारी दबाव पर नियंत्रण रखते हुए उत्पादनकारी क्षेत्रों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करके वृद्धि की रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती का सामना करती रही। वृद्धि में यह तेजी मुद्रास्फीति में हुई सन्तुलित बढ़ोतरी के साथ हासिल की गई जो वास्तविक क्षेत्रों में आपूर्ति की समग्र स्थिति की भी द्योतक थी। मुख्यतया मांग-आपूर्ति की असंतुलित स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की वृद्धि के कारण ही कुछ आवश्यक प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मापित समग्र मुद्रास्फीति वर्ष 2005-06 के 4.64 प्रतिशत और 2004-05 के 6.68 प्रतिशत की तुलना में 4.81 प्रतिशत थी और इसने कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि को सफलतापूर्वक झेला।

(ii) उत्पादन और कीमतें

(क) कृषि

खाद्यान्नों का उत्पादन

वर्ष 2006-07 (15 सितम्बर, 2006) में खाद्यान्न उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान में खरीफ उत्पादन 105.2 मिलियन टन के स्तर पर होने की बात कही गई है जो वर्ष 2005-06 के पहले अग्रिम अनुमान के ही समान है लेकिन 2005-06 के चौथे अग्रिम अनुमान से कम है (सारणी 1)। वर्ष 2006-07 के 115 मिलियन टन के लक्ष्य और 2005-06 में हुए उत्पादन की तुलना में, 2006-07 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन और 5 मिलियन टन कम होने का अनुमान है।

सारणी 1 कृषि उत्पादन

(मिलियन टन में)

मर्दे	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 [@]	खरीफ	
					2005-06*	2006-07*
चावल	71.8	88.5	83.1	91.0	73.8	75.7
गेहूँ	65.8	72.1	68.6	69.5
मोटे अनाज	26.1	37.6	33.5	34.7	26.4	24.5

(मिलियन टन में)

मर्दे	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 [@]	खरीफ	
					2005-06*	2006-07*
दालें	11.1	14.9	13.1	13.1	5.0	5.0
कुल खाद्यान्न	174.8	213.2	198.4	208.3
खरीफ	87.2	117.0	103.3	109.7	105.3	105.2
रबी	87.6	96.2	95.1	98.6
तिलहन	14.8	25.2	24.4	27.7	14.6	13.2
गन्ना	287.4	233.9	237.1	278.4	257.7	314.4

[@] चौथे अग्रिम अनुमान * पहले अग्रिम अनुमान
 स्रोत: कृषि मंत्रालय

वर्ष 2006-07 में रबी के खाद्यान्नों के संबंध में उत्पादन का पहला आकलन जनवरी, 2007 में ही उपलब्ध हो पाएगा। तथापि, बोआई की आरंभिक रिपोर्टें गेहूं और दालों, विशेषकर चने के अंतर्गत क्षेत्र में संभावित वृद्धि का संकेत करती हैं। हालांकि क्षेत्र में हुई वृद्धि का उत्पादन पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव ज्ञात नहीं है, फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि गेहूं के अंतर्गत एक मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि से उत्पादन में 3-5 मिलियन टन की वृद्धि होगी।


चालू वर्ष में, दक्षिण पश्चिम मॉनसून (जून-सितम्बर) अपनी दीर्घावधिक औसत का 99 प्रतिशत था, और नमी का वितरण मौसम-विज्ञान के उप-मण्डलों के 56 प्रतिशत हिस्से में सामान्य था और ऐसे उप-मण्डलों के 28 प्रतिशत हिस्से में कम था। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा का क्षेत्रवार वितरण नीचे सारणी में दिखाया गया है (सारणी 2)।

सारणी 2 : दक्षिण-पश्चिमी मानसून का वितरण, 2006

क्षेत्र	वास्तविक वर्षा (मि.मी.)	सामान्य वर्षा (मि.मी.)	अन्तर % / स्थिति
संपूर्ण देश	878.6	879.8	0 सामान्य
उत्तर-पश्चिमी भारत	573.2	606.9	-6 सामान्य
मध्य भारत	1138.9	982.2	+16 सामान्य
दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत	674.2	705.2	-4 सामान्य
उत्तर-पूर्वी भारत	1,169.5	1404.5	-17 सामान्य

स्रोत: भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग

अक्टूबर 2006 के दौरान मॉनसून पश्च वर्षा ने 36 मौसम-विज्ञान उपमण्डलों में से 26 में कमी दर्ज की जिससे प्रमुख फसलों के लिए नमी का स्तर बाधित हुआ। 19 अक्टूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार, पूर्ण जलाशय स्तर (एफएसएल) के संदर्भ में 76 मुख्य जलाशयों में प्रत्यक्ष भण्डारण एफएसएल का 89 प्रतिशत था जो वर्ष 2005 की तदनु रूप अवधि के स्तर से 8 प्रतिशत अधिक और गत दस वर्षों में प्राप्त औसत से 26 प्रतिशत अधिक था।



वर्ष 2001-02 से शुरू हुई सहस्राब्दि के पहले पांच वर्षों में 2.3 प्रतिशत की वार्षिक औसत के बाद, 2006-07 के पूर्वार्ध में केवल 2.6 प्रतिशत के स्तर पर कृषि में स.घ.उ. की वृद्धि ने निराश करना जारी रखा। चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.7 प्रतिशत की दर पर कृषि की वृद्धि दर मद्धिम थी। हालांकि वृद्धि संबंधी यह आंकड़ा अधिकांशतः क्षेत्रफल के आधार पर आकलित किया जाता है, फिर भी इसने प्रौद्योगिकी (इसमें बेहतर बीज शामिल हैं), पूंजी निर्माण (विशेषकर सिंचाई), प्रोत्साहनदायक व्यवस्था और कटाई के बाद मूल्य वर्धन के चारों मोर्चों पर साथ-साथ बढ़ने की जरूरत का संकेत दिया। धीमी वृद्धि के अलावा, कृषि उत्पादन की अस्थिरता (चित्र 1) अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक निष्पादन को प्रभावित करती रही। पहले चरण से अंतिम तक पांचों चरणों में आवधिक उत्पादन के अनुमानों में पर्याप्त उतार-चढ़ाव के चलते, कृषि उत्पादन के अनुमानों को निश्चित रूप देने में काफी समय लग जाता है जिससे कीमतों और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों के प्रबंधन में कुछ जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। कुछ हद तक, ये समस्याएं इस क्षेत्र के असंगठित स्वरूप और सूचना-प्रवाहों में अन्तर्निहित दोषों के कारण हैं।

कृषि-ऋण

संस्थागत ऋण के प्रवाह में वृद्धि कृषि के लिए एक प्राथमिकता रहा है। कृषि और सहबद्ध कार्यकलाप के लिए मूलभूत स्तर पर कुल ऋण प्रवाह वर्ष 2000-01 के 52,827 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 1,67,775 करोड़ रुपए हो गया। कृषि और सहबद्ध कार्यकलाप को मिलने वाले ऋण में हुई वर्षानुवर्ष वृद्धि 2006-07 के पूर्वार्ध में, गत वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई 83,502 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 94,345 करोड़ रुपए या 13.0 प्रतिशत थी। राज्यों के साथ परामर्श करके अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज भी तैयार किया गया है जिसमें कुल 13,596 करोड़ रुपए का परिव्यय औसतन 68:28:4 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण सोसायटियों के बीच बांटने की परिकल्पना की गई है।

संस्थागत ऋण के प्रवाह के अलावा, फसल नष्ट होने या अन्य परेशानियों के समय में किसानों को दिए गए संस्थागत और अन्य ऋणों की वापसी-अदायगी की समस्याओं से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र होने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया। विपदाग्रस्त किसानों की मदद करने के लिए उपाय सुझाने, जिसमें वित्तीय परामर्श सेवाओं का प्रावधान और जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के तहत किसान-विशिष्ट ऋण गारंटी योजना शुरू करना शामिल है, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल ने अक्टूबर 2006 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों के प्रकाश में, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से उन किसानों को जिनके खातों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्निर्धारित/पुनःतैयार किया गया है तथा उन्हें भी जो अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण वापसी-अदायगी न कर पाए हों, एककालिक निपटान सुविधा देने के लिए एक पारदर्शी नीति बना सकते हैं। एक स्थायी और अर्थ-क्षम कृषि तथा आजीविका-

समर्थक प्रणाली स्थापित करने के लिए चार राज्यों - आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 जिलों के लिए तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाला 16,978.69 करोड़ रुपए का पुनर्वास पैकेज भी हाल ही में घोषित किया गया था।

एपीएमसी अधिनियम में संशोधन

देश के ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि को प्रेरित करने के लिए कृषि को सुचारु रूप से कार्य कर रहे बाजारों की जरूरत है। विपणन प्रणाली में गतिशीलता और कार्यक्षमता लाने के लिए, किसानों के खेतों के निकट कटाई के बाद और शीतलन श्रृंखला की अवसंरचना के विकास के लिए बड़े निवेश किए जाने की जरूरत है। आवश्यक निजी-निवेश को आकर्षित करने, सीधे किसानों के खेतों से कृषि वस्तुओं की अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादन को खुदरा श्रृंखला एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से बिना किसी रुकावट के जोड़ देने के लिए एक उपयुक्त विनियामक और नीतिगत माहौल की अत्यंत आवश्यकता है। मौजूदा राज्य कृषि उत्पादन विपणन नियंत्रण (एपीएमसी) अधिनियम विपणन अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने, कारपोरेट क्षेत्र को सीधे विपणन करने के लिए प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकीकृत बाजार को सुसाध्य बनाने के लिए सहायक नहीं था।

नीतिगत और विनियामक संरचना में लम्बे समय से महसूस किए गए इस अन्तर को दूर करने के लिए एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की परिकल्पना की गई। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा मार्ग-दर्शन करने और अपनाए जाने के लिए कृषि विपणन के संबंध में मॉडल कानून बनाया। इस मॉडल कानून में प्रत्यक्ष बिक्री के लिए निजी बाजारों/स्थलों, सीधी खरीद केन्द्रों, उपभोक्ता/किसान बाजारों की स्थापना और देश में कृषि बाजारों के प्रबंधन एवं विकास में सरकारी निजी भागीदारी के संवर्धन हेतु प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में कृषि उत्पाद के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणता प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि उत्पाद विपणन मानक ब्यूरो की स्थापना के लिए भी प्रावधान है ताकि गिरवी रखकर वित्तपोषण करने, सीधी खरीद, वायदा/भावी कारोबार और निर्यात करने में सुविधा दी जा सके। अनेक राज्यों ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं (सारणी 3)।

सारणी 3:- एपीएमसी अधिनियम में सुधार की राज्य-वार प्रास्थिति

क्र. सं.	सुधारों की स्थिति	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	
1.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में यथानुशंसित सुधार कर दिए गए हैं।	मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, नागालैण्ड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र चण्डीगढ़	
2.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में आंशिक सुधार किया गया है।	क) एपीएमसी अधिनियम में संशोधन से/संकल्प से ख) कार्यकारी आदेश से	हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली उत्तर प्रदेश
3.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इसलिए उसमें सुधार अपेक्षित नहीं हैं	केरल, मणिपुर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तथा लक्षद्वीप	
4.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में पहले ही सुधारों का प्रावधान है।	तमिलनाडु	
5.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सुधारों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है।	असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, गोआ, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, बिहार* और झारखण्ड	

*पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।

मॉडल एपीएमसी अधिनियम में यथापरिकल्पित कृषि विपणन में सुधार शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है- कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत टर्मिनल बाजारों की स्थापना।

ग्रामीण सम्पर्क में सुधार लाने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 31 अक्टूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार 34,585 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। 19,916 करोड़ रुपए की राशि पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है जिसमें से 17,078 करोड़ रुपए (86 प्रतिशत) खर्च किए जा चुके हैं। 57,444 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत 1.88 लाख किलोमीटर में से लगभग एक लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों को पूरा किया जा चुका है जिससे 29,294 रिहायशी स्थलों को जोड़ा गया है।

खाद्य प्रबंधन

भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं का कुल खाद्यान्न स्टॉक 5.2 मिलियन टन चावल और 11 मिलियन टन गेहूं को मिलाकर 16.2 मिलियन टन के सुरक्षित भण्डार संबंधी मानदंड की तुलना में 30 सितंबर, 2006 को 12.4 मिलियन टन था। जबकि चावल का भंडार सुरक्षित भंडार मानदंडों से अधिक था, गेहूं का भंडार मानदंडों से 4.6 मिलियन टन कम था।

सारणी 4:- भारतीय खाद्य निगम के पास चावल और गेहूं का भंडार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उठाई गई मात्रा (लाख टन में)

	आरंभिक स्टॉक	उठाई गई मात्रा	समापन स्टॉक	आरंभिक स्टॉक	उठाई गई मात्रा	समापन स्टॉक
	चावल			गेहूं		
2005-06						
अप्रैल-जून	133.41	62.73	100.71	40.66	47.19	144.54
जुलाई-सितंबर	100.71	63.44	48.49	144.54	41.9	102.9
अक्टूबर-दिसंबर	48.49	56.50	126.41	102.9	39.85	61.88
जनवरी-मार्च	126.41	67.72	136.75	61.88	42.69	20.09
2006-07						
अप्रैल-जून	136.75	58.54	111.43	20.09	30.4	82.07
जुलाई-सितंबर	111.43	63.39	59.69	82.07	26.56	64.12

गेहूं का स्टॉक सुरक्षित भण्डार संबंधी मानदंडों से कम होने का कारण मोटे तौर पर गेहूं की खरीद का 2005-06 में 14.79 मिलियन टन से गिरकर 2006-07 में 9.22 मिलियन टन होना था। वर्ष 2005-06 में 640 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में 2006-07 में प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके 700 रुपए प्रति क्विंटल (50 रुपए प्रति क्विंटल के तदर्थ बोनास सहित) के बावजूद, पिछले दो वर्षों में उत्पादन 68-69 मिलियन टन पर थमने से खरीद प्रभावित हुई थी। विश्व में गेहूं का उत्पादन 2004-05 में 629 मिलियन टन से गिरकर 2006-07 में 587 मिलियन

टन हो जाने और गेहूँ के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी ने भी घरेलू मूल्य प्रत्याशा को भी बढ़ा दिया और खरीद को प्रभावित किया। यद्यपि गेहूँ और चावल दोनों विशेषतया गेहूँ की कुल उठाई गई मात्रा 2005-06 की तुलना में 2006-07 के पूर्वार्द्ध में कम थी, फिर भी कम खरीद के कारण स्टॉक कम हो गए। सरकार ने घरेलू उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य व्यापार निगम को 5.5 मिलियन टन गेहूँ के आयात का अधिकार दिया है। शून्य शुल्क पर गेहूँ के आयात के निजी व्यापार की अनुमति भी दी गई थी। आयातित गेहूँ की माल उतारने तक की औसत लागत 7,981-10,582 रुपए प्रति टन के बीच होने का अनुमान है।

(ख) उद्योग

वर्ष 2004-05 से औद्योगिक क्षेत्र में देखे गए पुनरुत्थान में विनिर्माण क्षेत्र का आईआईपी में 79.4 प्रतिशत के भार के साथ प्रभुत्व बना रहा है। विनिर्माण क्षेत्र की 2005-06 में 9.1 प्रतिशत से 3 प्रतिशतांक की वृद्धि के साथ 2006-07 के पूर्वार्द्ध में 12.1 प्रतिशत हो गई और पूंजीगत वस्तुओं व उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में सतत और उत्साहजनक अभिवृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे (सारणी 5, चित्र 2)। वर्ष 2006-07 के पूर्वार्द्ध में उपभोक्ता वस्तुएं, टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों ने वृद्धिकारी आमदनी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण सामान की अनेक किस्मों की अच्छी सुविधा और उपभोक्ता ऋण की आसान उपलब्धता के कारण पिछले दो वर्षों की प्रभावशाली द्विअंकीय अभिवृद्धि दरें बनाए रखी हैं।

सारणी-5 विस्तृत क्षेत्रों और उपयोग आधारित-वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक वृद्धि

(वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत में)


विस्तृत क्षेत्र	भारांश	2004-05	2005-06	अप्रैल-सितम्बर	
				2005-06	2006-07
खनन	104.7	4.4	1.0	1.1	3.1
विनिर्माण	793.6	9.2	9.1	9.5	12.1
विद्युत	101.7	5.2	5.2	4.8	6.6
उपयोग आधारित वर्गीकरण:					
मूलभूत वस्तुएं	355.7	5.5	6.6	6.2	8.8
पूंजीगत वस्तुएं	92.6	13.9	15.8	15.6	15.2
मध्यवर्ती वस्तुएं	265.1	6.1	2.4	3.1	10.8
उपभोक्ता वस्तुएं	286.6	11.7	12	13.4	11.6
टिकाऊ	53.7	14.4	14.9	13.4	15.9
गैर-टिकाऊ	233	10.8	11.1	13.4	10.1
समग्र	1000	8.4	8.2	8.4	10.9

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

खनन में निरंतर दो वर्षों तक मंदी जो वर्ष 2003-04 के 5.2 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत हो गई, के बाद वर्ष 2006-07 के पूर्वार्द्ध में अभिवृद्धि में गति बढ़ी जब वह 3.1 प्रतिशत हो गई। इस उच्च अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप कोयला एवं अन्य आवश्यक खनिजों और धातुओं का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों को कुछ राहत मिली है, परन्तु समग्र सकल घरेलू उत्पाद अभिवृद्धि की तुलना में सामान्यतः खनन और विशेष रूप से विनिर्माण में धीमी दर पर अभिवृद्धि के कारण आपूर्ति में तंगी बनी रही है।

विद्युत उत्पादन की अभिवृद्धि में उत्साहजनक गति बनी रही थी जो 2006-07 के पूर्वार्द्ध में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 4.8 प्रतिशत की तुलना में 6.6 प्रतिशत (इसके अप्रैल-नवंबर 2006 के दौरान और सुधर कर 7.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है) हो गई। हालांकि इससे बिजली अवरोध को सुधारने में कुछ प्रगति हुई है, अभिवृद्धि दर इतनी अधिक नहीं थी कि यह कमी को पूर्णरूप से दूर कर दे।

वर्गीकरण के द्विअंकीय स्तर पर 17 उद्योग समूहों में से 14 ने अप्रैल-सितंबर, 2006-07 में धनात्मक अभिवृद्धि दर्ज की है (सारणी 6)। "मूलभूत धातु और मिश्र धातु उद्योगों" ने 19.2 प्रतिशत के स्तर पर सबसे ऊंची अभिवृद्धि दर्ज की, इसके बाद 'परिवहन उपस्कर और कलपुर्जे' (17.5 प्रतिशत) और अन्य विनिर्माण उद्योग (15.5 प्रतिशत) का स्थान आता है। तथापि, उद्योग समूह 'चमड़े और लोमचर्म उत्पादों'; लकड़ी और लकड़ी उत्पादों; फर्नीचर और जुड़नार; और पटसन और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र (कपास के सिवाय) में ऋणात्मक अभिवृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, परेशानी में डालने वाली एक विशेषता चर्म; सूती वस्त्र, धातु उत्पाद और खाद्य उत्पादों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों की तुलनात्मक रूप से कम अभिवृद्धि थी।



सारणी 6:- द्विअंकीय औद्योगिक वर्गीकरण में औद्योगिक अभिवृद्धि (प्रतिशत)

उद्योग समूह	भारंश	अप्रैल-सितंबर				अंक अंशदान	
		2004-05	2005-06	2005	2006	2005-06	2006-07
खाद्य उत्पाद	90.83	-0.4	2.0	-5.8	1.7	-4.4	0.9
पेय और तंबाकू	23.82	10.8	15.7	17.2	14.5	8.2	5.8
सूती वस्त्र	55.18	7.5	8.5	11.2	12.5	4.7	4.1
अन्य वस्त्र	22.58	3.5	0.0	-0.6	6.6	-0.2	1.6
पटसन के वस्त्र	5.90	3.7	0.5	2.3	-0.3	0.1	0.0
कपड़ा उत्पाद	25.37	19.2	16.4	22.9	15.4	7.2	4.2
लकड़ी के उत्पाद	27.01	-8.5	-5.7	-3.1	-2.1	-0.4	-0.2
कागज उत्पाद	26.52	10.5	-0.9	6.2	7.9	2.2	2.1

उद्योग समूह	भारांश	अप्रैल-सितंबर				अंक अंशदान	
		2004-05	2005-06	2005	2006	2005-06	2006-07
चर्म उत्पाद	11.39	6.8	-4.8	3.8	-6.3	0.4	-0.5
रसायन	140.02	14.5	8.3	12.8	10.8	25.6	17.4
रबड़ और पेट्रोलियम	57.28	2.4	4.3	3.4	10.7	2.3	5.3
धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	43.97	1.5	11.0	8.6	13.4	5.5	6.6
मूलभूत धातुएं	74.53	5.4	15.8	15.8	19.2	13.2	13.2
धातु उत्पाद	28.10	5.8	-1.2	-3.7	3.9	-1.0	0.8
मशीनरी और उपस्कर	95.65	19.8	11.9	10.3	14.8	15.8	17.8
परिवहन उपस्कर	39.84	4.1	12.7	12.1	17.5	7.8	9.0
अन्य	25.59	18.6	25.2	21.0	15.5	6.9	4.4
खनन	104.73	4.4	1.0	1.1	3.1	1.0	2.1
विनिर्माण	793.58	9.1	9.1	9.5	12.1	93.5	92.5
बिजली	101.69	5.2	5.2	4.8	6.6	5.4	5.5
समग्र	1000.00	8.4	8.2	8.4	10.9	100.0	100.0

(ग) मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

पिछले वित्तीय वर्ष के मार्चात से डब्ल्यूपीआई में बिन्दु-दर-बिन्दु वृद्धि के अनुसार मापित मुद्रास्फीति 18 नवंबर (30 सितंबर) को 5.9 (5.4) प्रतिशत पर पिछले तीन वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में बहुत अधिक थी (सारणी 7)। तथापि, वर्ष 2005-06 के उत्तरवर्ती भाग में मूल्यों में संतुलित प्रवृत्ति के चलते 18 नवंबर (30 सितंबर) को 5.5(5.2) प्रतिशत पर वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति मार्चात 2006 से बिन्दु-दर-बिन्दु वृद्धि की तुलना में कम ही नहीं थी बल्कि 2003-04 और 2004-05 की तदनु रूप तारीखों की दरों से भी कम थी। इससे भी बढ़कर, चालू वर्ष में मूल्य वृद्धि का अधिकांश चालू वर्ष की पहली तिमाही के उत्तरवर्ती भाग में केंद्रित था, औसत आधार पर, चालू वर्ष के पहले 34(27) सप्ताहों में मुद्रास्फीति बिन्दु-दर-बिन्दु आधार की दर से कम नहीं थी बल्कि यह 2003-04 और 2004-05 की तदनु रूप अवधि में औसत मुद्रास्फीति से भी कम थी।

सारणी 7:- पिछले चार वर्षों में 18 नवंबर के आसपास थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति

वर्ष	मुद्रास्फीति की दरें (वैकल्पिक तरीके)%				
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वित्तीय वर्ष में पहले 34 सप्ताहों का औसत	सूचकांक	174.4	186.3	194.9	204.5
	मुद्रास्फीति	5.28	6.83	4.59	4.91
18 नवंबर, के आसपास समाप्त 52 सप्ताह का औसत	सूचकांक	172.6	183.7	192.8	201.8
	मुद्रास्फीति	5.09	6.44	4.97	4.66
18 नवंबर, के आस-पास एक वर्ष से हुई वृद्धि	सूचकांक	177.1	189.9	198.0	208.8
	मुद्रास्फीति	5.48	7.23	4.27	5.45
पूर्ववर्ती मार्चात से हुई वृद्धि	सूचकांक	177.1	189.9	198.0	208.8
	मुद्रास्फीति	2.79	5.32	4.49	5.88

मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि जो मार्चात 2006 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 17 जून और फिर 18 नवंबर, 2006 को 5.5 प्रतिशत हो गई, मुख्यतया प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति में तेजी और ईंधन समूह में निरंतर उच्च मुद्रास्फीति के कारण हुई थी। प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य, पिछले दो वर्षों में प्रत्येक में 1.3 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत बढ़ते हुए 2005-06 में 5.4 प्रतिशत बढ़े हैं। प्राथमिक वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़कर 10 जून, 2006 को 6.3 प्रतिशत तथा और बढ़कर 23 सितंबर 2006 को 9.0 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, पिछले दो वर्षों में ईंधन समूह में देखी गई उच्च मुद्रास्फीति (2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत) भी बढ़कर 10 जून, 2006 को 9.9 प्रतिशत हो गई।

प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ोतरी में स्फीतिकारी समस्या का मूल समग्र मुद्रास्फीति की तुलना में प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति के आधिक्य में प्रतिबिंबित होता था और वह भी 18 नवंबर (30 सितंबर) तक 34(27) सप्ताह में से 31(24) में भारी अंतर में थोक मूल्य सूचकांक समूह में 22.03 प्रतिशत के भार के साथ प्राथमिक वस्तुओं का अंशदान 28.8(33.7) प्रतिशत था। प्राथमिक वस्तुओं के तहत मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंशदान अनाज 7.5(6.2) प्रतिशत; दालों 3.8(4.6) प्रतिशत; आलू 1.4(2.7) प्रतिशत; दूध 5.3(5.9) प्रतिशत; मिर्च मसाले 4.0(3.6); और खनिज 3.2(3.3) प्रतिशत था। थोक मूल्य सूचकांक समूह में इन वस्तुओं का समग्र भार 10.78 प्रतिशत था जबकि मुद्रास्फीति में उनका अंशदान 25.1(26.4) प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 के दौरान इन वस्तुओं का अंशदान 12.5 (7.5) प्रतिशत था।

अनाजों में ही गेहूं के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। गेहूं के मूल्यों की अतिसंवेदनशीलता 2003-04 (72.1 मिलियन टन) की तुलना में 2004-05 और 2005-06 के निरंतर दो वर्षों में उत्पादन में 3 से 4 मिलियन टन की गिरावट के कारण हुई थी। फसल की कटाई के तत्काल बाद हल्की मंदी के बाद मूल्य विशेषतया अगस्त 2006 से फिर बढ़ने शुरू हो गए। उदाहरण के लिए, दिल्ली में मूल्य 19 अगस्त, 2006 को पिछले तीन सप्ताहों में लगभग 900 रुपए से बढ़कर 993 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। सरकार ने प्राथमिक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 55 लाख टन की निविदा दिया जाना।
- दिनांक 27 जून, 2006 से गेहूं के आयात को पहले 5 प्रतिशत शुल्क पर और फिर 50 प्रतिशत के सामान्य प्रयोज्य शुल्क की तुलना में 9 सितंबर, 2006 को शून्य शुल्क पर निजी व्यापार करने की अनुमति देना।
- दिनांक 8 जून, 2006 से शून्य शुल्क पर दालों के आयात की अनुमति देना और 27 जून, 2006 से दालों के निर्यात पर रोक लगाना।
- शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति देना और 22 जून, 2006 से चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक इसके निर्यात पर रोक लगाना।
- प्रत्येक आवश्यक मद के मूल्यों की साप्ताहिक आधार पर बराबर मानीटरिंग करना।
- वायदा बाजार आयोग द्वारा गेहूं, चीनी और दालों के भावी मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रण में रखने के लिए विनियामक उपाय सुदृढ़ करना।
- पाम समूह के तेलों पर अगस्त 2006 में शुल्क पर 10 प्रतिशतांक की कटौती। इसके अलावा, इन तेलों की शुल्क कीमत स्थिर करना।

सारणी 8: दिनांक 18 नवंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)

वर्ष	वार्षिक बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)				52 सप्ताह का औसत (सभी वस्तुएं)	
	आवश्यक वस्तुएं	प्राथमिक वस्तुएं	ईंधन और विद्युत	विनिर्मित उत्पाद	सभी वस्तुएं	औसत (सभी वस्तुएं)
भारांश (प्रतिशत)	17.6	22.0	14.2	63.8	100.0	100.0
2000-01	0.7	1.5	15.1	4.0	5.5	7.2
2001-02	4.5	3.9	3.9	0.0	1.6	3.6
2002-03	-0.8	6.1	10.8	5.1	6.5	3.4
2003-04	5.7	1.6	2.5	6.7	4.6	5.5
2004-05	3.3	1.3	10.5	4.6	5.1	6.5
2005-06	6.2	5.4	8.9	1.7	4.1	4.4
2006-07 (पूर्वार्ध)	7.9	7.9	5.1	4.1	5.2	4.5
2006-07 - 18-11-06 को	6.29	7.07	5.51	4.76	5.45	4.66
2005-06 - 19-11-05 को	5.34	4.45	7.77	2.87	4.27	4.97
वार्षिक मुद्रास्फीति में अंशदान (प्रतिशत)						
2006-07 - 18-11-06 को	19.83	28.76	22.66	48.40	100.00	100.00
2005-06 - 19-11-05 को	21.33	23.11	39.52	37.78	100.00	100.00

वैश्विक मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण शुल्क मुक्त आयातों की भी कुछ प्राथमिक उत्पादों की मूल्य वृद्धि को रोकने में प्राप्त सफलता सीमित रही है। उदाहरणार्थ, अमरीकी और आस्ट्रेलियाई गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में प्रतिकूल कृषि-जलवायु स्थितियों से कमजोर कृषि संभावना के रहते विश्व बाजार में गेहूं के मूल्य बढ़े हैं। अमरीका के कठोर गेहूं (यूएसएचआरडब्ल्यू) के अंतर्राष्ट्रीय भाव (प्रति टन) अप्रैल-जून 2005 में 142.0 अमरीकी डालर से बढ़कर जनवरी-मार्च, 2006 में 173.8 अमरीकी डालर, मई 2006 में बढ़कर 193.2 अमरीकी डालर और अगस्त 2006 में 216.0 अमरीकी डालर से अधिक और फिर 1 दिसंबर, 2006 को 227 अमरीकी डालर हो गये।

थोक मूल्य सूचकांक में 14.23 प्रतिशत भारांश के साथ ईंधन-उपसमूह ने 18 नवंबर (30 सितंबर) 2006 को मुद्रास्फीति में 22.7 (22.0) प्रतिशत का अंशदान किया जो पिछले वर्ष के 39.5 (52.2) प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। डीजल और पेट्रोल के घरेलू मूल्य में 6 जून, 2006 को वृद्धि की गई थी। ईंधन समूह की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति ने, जो 10 और 17 जून को 9.9 प्रतिशत के शीर्ष पर थी, विश्व बाजारों में तेल मूल्यों में आई कमी से कुछ राहत देखी। हालांकि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा काफी कम-वसूली उनकी वित्तीय स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती रही है, सरकार ने आंशिक रूप से स्फीति-रोधी उपाय के रूप में 29 नवंबर, 2006 की मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल के खुदरा कर-पूर्व मूल्यों में क्रमशः 2 रुपए और 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इस उपाय का असर आगामी सप्ताहों में थोक मूल्य सूचकांकों की घटबढ़ में दिखाई देगा। बिजली शुल्कों में कुछ समायोजनों ने भी ईंधन उप-समूह में मुद्रास्फीति में अंशदान किया है।

पेट्रोलियम उत्पादों (खनिज तेल) ने थोक मूल्य सूचकांक में 6.99 प्रतिशत के कुल भारांश के साथ 18 नवंबर (30 सितंबर), 2006 को 6.1 (5.7) प्रतिशत की वार्षिक बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति दर्ज की है जो एक वर्ष पहले के 11.3 (18.0) प्रतिशत से कम है और इसने 18 नवंबर, 2006 को पिछले वर्ष के 32.5 (45.7) प्रतिशत की तुलना

में समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को 14.7 (14.6) प्रतिशत का अंशदान किया है (सारणी 9)। इस समूह में, पेट्रोल की 9.3 (9.3) प्रतिशत पर सबसे ऊंची मुद्रास्फीति दर रही है, इसके बाद 6.8 (6.8) प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर के साथ हाई-स्पीड डीजल का स्थान आता है। एलपीजी और केरोसीन के मूल्य एक वर्ष पहले के उसी स्तर पर अपरिवर्तित रहे। कच्चा तेल थोक मूल्य सूचकांक समूह में शामिल नहीं किया जाता है।

सारणी 9: दिनांक 18 नवंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार मुद्रास्फीति में पीओएल मूल्यों का अंशदान

मदें	भारांश (%)	वार्षिक मुद्रास्फीति (%)		मुद्रास्फीति में अंशदान (%)	
		2006-07	2005-06	2006-07	2005-06
खनिज तेल	6.99	6.10	11.28	14.69	32.53
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
केरोसीन	0.69	0.00	-0.03	0.00	-0.01
पेट्रोल	0.89	9.31	14.56	1.85	3.37
हाई स्पीड डीजल तेल	2.02	6.75	16.05	5.69	15.54

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का सीधा प्रभाव ऐसे मूल्यों और थोक मूल्य सूचकांक में उनके भारांश (6.99 प्रतिशत) में औसत वृद्धि पर निर्भर करता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के कारण परिवहन लागतों में वृद्धि होने के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर विलंबित प्रभाव भी पड़ता है। तथापि, पिछले कुछ समय से भारतीय रेलवे डीजल मूल्यों में वृद्धि के बाद भाड़ा प्रभार नहीं बढ़ा रही है और प्रचालनों में वर्धित दक्षता द्वारा अधिक ईंधन भार को वहन कर रही है।

जुलाई और अगस्त को छोड़कर, विनिर्मित उत्पाद के मूल्यों में मुद्रास्फीति 18 नवंबर, 2006 तक पहले चौतीस सप्ताहों के दौरान हल्के उर्ध्वगामी दबाव में थीं। थोक मूल्य सूचकांक में 63.8 प्रतिशत के भारांश के साथ समूह के रूप में विनिर्मित उत्पादों ने 18 नवंबर, 2006 (30 सितंबर, 2006) की स्थिति के अनुसार समग्र मुद्रास्फीति में 48.5 (44.4) प्रतिशत का अंशदान किया है। एक वर्ष पूर्व इस समूह का अंशदान 37.8 (33.7) था।

**सारणी 10: उच्च मुद्रास्फीति वाली मदें और मुद्रास्फीति में उनका अंशदान (प्रतिशत)
18 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार**

मद	भारांश (%)	वार्षिक मुद्रास्फीति (बिन्दु-दर-बिन्दु)		मुद्रास्फीति में अंशदान	
		18, नव. 2006	19, नव. 2005	18, नव. 2006	19, नव. 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सभी वस्तुएं	100	5.29	4.09	100	100
प्राथमिक वस्तु	13.43			29.78	13.04
अनाज	4.41	9.85	4.12	7.51	4.03
दाल	0.60	33.01	14.66	3.75	1.94
आलू	0.26	23.97	33.28	1.37	1.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फल	1.46	9.19	1.36	3.15	0.61
दूध	4.37	7.10	0.44	5.30	0.43
मिर्च मसाले	0.66	36.01	-2.48	3.99	-2.48
चाय	0.16	26.09	-16.40	0.43	-0.44
मूंगफली	1.03	6.56	1.85	1.13	0.42
खनिज	0.48	19.71	26.95	3.15	4.53
ईंधन, विद्युत और स्नेहक	8.39			15.51	25.41
पेट्रोल	0.89	9.31	14.56	1.85	3.37
डीजल	2.02	6.75	16.05	5.69	15.54
बिजली	5.48	6.00	3.81	7.97	6.50
विनिर्मित उत्पाद	9.70			22.19	8.44
मूंगफली का तेल	0.17	13.49	-7.56	0.37	-0.30
तेल की खली	1.42	12.01	-7.77	2.86	-2.67
पेय, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद					
कागज और कागज उत्पाद	1.34	5.39	5.94	1.54	2.13
कागज और प्लास्टिक उत्पाद	2.04	8.79	0.97	2.93	0.43
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	2.39	7.79	6.17	2.43	2.42
सीमेंट	1.73	20.73	11.94	5.48	3.76
अन्य अलौह धातुएं	0.61	64.78	24.58	6.58	2.67
3 समूहों का कुल जोड़	31.52			67.48	46.89

उच्च मुद्रास्फीति वाली प्रमुख मदों में प्राथमिक समूह में अनाज (9.9 प्रतिशत), दाल (33.0 प्रतिशत), आलू (24.0 प्रतिशत), फल (9.2 प्रतिशत) दूध (7.1 प्रतिशत), मिर्च मसाले (36 प्रतिशत), चाय (26.1 प्रतिशत), मूंगफली (6.6 प्रतिशत) और खनिज (19.7 प्रतिशत); ईंधन समूह में पेट्रोल (9.3 प्रतिशत), डीजल (6.8 प्रतिशत) और बिजली (6 प्रतिशत) मुद्रास्फीति के मुख्य अंशदायक थे; जबकि विनिर्मित उत्पाद समूह में मूंगफली का तेल (13.5 प्रतिशत), तेल की खली (12.0 प्रतिशत), पेय, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद (5.4 प्रतिशत), कागज और कागज के उत्पाद (8.8 प्रतिशत), रबड़ और रबड़ के उत्पाद (7.8 प्रतिशत), सीमेंट (20.7 प्रतिशत) और अन्य अलौह धातुएं (64.8 प्रतिशत) कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद थे (सारणी 10)।

थोक मूल्य सूचकांक में 13.43 प्रतिशत भारांश के साथ उपर्युक्त प्राथमिक उप-समूह ने 18 नवंबर को पिछले वर्ष के 13.0 प्रतिशत की तुलना में चालू मुद्रास्फीति में 29.8 प्रतिशत का अंशदान किया है; ईंधन उपसमूहों ने थोक मूल्य सूचकांक में 8.39 प्रतिशत भारांश के साथ चालू मुद्रास्फीति में 15.5 प्रतिशत का अंशदान किया जो पिछले वर्ष के 25.4 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। विनिर्मित मदों ने थोक मूल्य सूचकांक में 9.7 प्रतिशत कुल भारांश के साथ एक वर्ष पहले के 8.4 प्रतिशत की तुलना में चालू मुद्रास्फीति में 22.2 प्रतिशत का अंशदान किया है। थोक मूल्य सूचकांक के समूह में 31.52 प्रतिशत के भारांश के साथ तीनों समूहों का योग एक वर्ष पूर्व दर्ज किए गए 46.9 प्रतिशत की तुलना में सभी चालू मुद्रास्फीति में 67.5 प्रतिशत का अंशदान रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

तीस 'आवश्यक' वस्तुएं जिनकी थोक मूल्य सूचकांक में 17.6 प्रतिशत के भारांश के साथ थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) में साझी वस्तुओं के रूप में पहचान की जाती है, ने 18 नवंबर (30 सितंबर), 2006 को एक वर्ष पूर्व इसी तारीख को 5.3 (3.5) प्रतिशत की तुलना में 6.3 (7.9) प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है और एक वर्ष पूर्व 21.3 (13.0) प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष में समग्र मुद्रास्फीति में 19.8 (25.9) प्रतिशत का अंशदान किया है। 30 मदों में से 8 मदों ने गिरावट देखी और पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और 8 मदों ने पांच प्रतिशत तक धनात्मक वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की है (सारणी 11)।


सारणी 11: मूल्य वृद्धि के अनुसार आवश्यक मदों का समूहन (18 नवंबर, 2006 की स्थिति के अनुसार)

1. शुद्ध मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट अथवा कोई परिवर्तन नहीं	प्याज, चीनी, नमक, मसूर, मछली, गुड़, कोकिंग कोयला और केरोसीन
2. धनात्मक मुद्रास्फीति: 5 प्रतिशत तक	चावल, अरहर, सरसों का तेल, नारियल का तेल, लंबा कपडा और धोतियां, साड़ी और वायल
3. धनात्मक मुद्रास्फीति: 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत	वनस्पति, ज्वार, बाजरा, दूध, मांस और दियासलाई
4. धनात्मक मुद्रास्फीति: 10 प्रतिशत से अधिक	गेहूं (20.8%), चना (44.5%), आलू (24%), चाय (26.1%), मूंगफली का तेल (13.5%), मूंग (39.1%), उड़द (48.4%), मिर्च (74.0%), आटा (22%), और धुलाई का साबुन (10.3%)

मुद्रास्फीति की समस्या का प्राथमिक वस्तु-विशिष्ट स्वरूप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापित मुद्रास्फीति की तुलना में औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मापित मुद्रास्फीति से अधिक प्रतिबिंबित हुआ था। वार्षिक औसत आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कामगार संबंधी मुद्रास्फीति 2005-06 में 4.38 प्रतिशत थी। यह अप्रैल, 2006 में 5.1 प्रतिशत से तेजी से उछलकर मई, 2006 में 6.3 प्रतिशत हो गई और फिर जून 2006 में 7.6 प्रतिशत हो गई, जो पिछले सात वर्षों में दर्ज दर से सबसे ऊंची दर थी। सरकार के मुद्रास्फीति-रोधी उपायों ने दूसरी तिमाही के तीनों महीनों में प्रत्येक में सीपीआई-आईडब्ल्यू में मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत से नीचे नियंत्रित किया है और चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में औसत आधारित सीपीआई-आई मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मापित मुद्रास्फीति पहले छः महीनों में औसतन 4.8 प्रतिशत थी। अक्टूबर, 2006 में सीपीआई-आई डब्ल्यू मुद्रास्फीति पर नया दबाव देखा गया जब यह दर बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई।

खाद्य समूह के डब्ल्यूपीआई में भारांश (26.9 प्रतिशत) की तुलना में सीपीआई - आईडब्ल्यू समूह में अधिक भारांश (46.2 प्रतिशत) के साथ सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2005 से डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति से अधिक रही है (चित्र 3 और सारणी 12)। सितंबर (अक्टूबर), 2006 में 4.9 (5.3) प्रतिशत पर डब्ल्यूपीआई-आधारित मासिक औसत मुद्रास्फीति दर इसी माह में सीपीआई- आधारित 6.8 (7.3) प्रतिशत की मुद्रास्फीति की तुलना में कम थी। जनवरी, 2006 से 1982 के आधार वाली पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित करते हुए 2001 के आधार वाली सीपीआई - आईडब्ल्यू की नई श्रृंखला शुरू की गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा पुराने आधार को नई श्रृंखला में बदलने के लिए दिया गया रूपांतरण कारक 4.63 है।

चित्र 3: सीपीआई - आईडब्ल्यू की तुलना में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दर की घटबढ़
(अप्रैल 2004 से अक्टूबर, 2006)



सारणी 12: डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई - आई डब्ल्यू पर आधारित मुद्रास्फीति दरें

महीना	सीपीआई आधारित मासिक मुद्रास्फीति (%)			डब्ल्यूपीआई आधारित मासिक मुद्रास्फीति (%)		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
अप्रैल	2.2	5.0	5.1	4.5	5.9	3.9
मई	2.8	3.7	6.3	5.0	5.5	4.7
जून	3.0	3.3	7.6	6.7	4.3	5.1
जुलाई	3.2	4.1	6.7	7.6	4.3	4.8
अगस्त	4.6	3.4	6.3	8.5	3.7	5.1
सितम्बर	4.8	3.6	6.8	7.9	4.1	4.9
अक्टूबर	4.6	4.2	7.3	7.3	4.7	5.3
नवंबर	4.2	5.3		7.5	4.2	
दिसंबर	3.8	5.6		6.7	4.4	
जनवरी	4.4	4.4		5.5	4.1	
फरवरी	4.2	5.0		5.0	4.0	
मार्च	4.2	5.0		5.4	3.9	

iii. वैदेशिक क्षेत्र

निर्यात और आयात

चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात (छः) महीनों में अर्थात अप्रैल-अक्टूबर 2006 (अप्रैल-सितंबर 2006) में अमरीकी डालर मूल्य और सीमा शुल्क आधार पर 99.8 (83.9) बिलियन अमरीकी डालर पर आयात अनंतिम-दर-अनंतिम आधार पर 33.0 (32.1) प्रतिशत अधिक थे (सभी तुलनाएं अनंतिम-दर-अनंतिम आधार पर हैं जब तक

अन्यथा सूचित न कर दी जाएं)। जबकि कच्चे तेल के आयातों की मात्रा में 12.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण पूवाद्ध में पीओएल आयात के मूल्य में 38.5 प्रतिशत की वृद्धि होने से यह 29 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। कच्चे तेल के भारतीय समूह का प्रति बैरल औसत शीर्ष मूल्य अप्रैल-नवंबर, 2005 में 54.32 अमरीकी डालर से 19.4 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल-नवंबर, 2006 में 64.87 अमरीकी डालर हो गया। भारतीय समूह के मूल्य नवंबर 2006 में गिरकर 57.80 अमरीकी डालर होने से कच्चे तेल के मूल्यों में कुछ नरमी देखी गई थी। पीओएल - भिन्न आयातों (संशोधित के बाद अनंतिम) में अभिवृद्धि में आई मन्दी जो चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल-अक्टूबर (अप्रैल-सितंबर) के दौरान, पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से गिरकर 13.5 (11.0) प्रतिशत हो गई, मुख्यतया सोने और चांदी के आयात में धीमी वृद्धि के कारण थी। तेल-भिन्न, स्वर्ण और चांदी-भिन्न आयात की अभिवृद्धि भी चालू वर्ष में कम थी। फिर भी, अप्रैल-अगस्त, 2006 में अलग-अलग वस्तु-वार आयातों के आंकड़े उर्वरक, मशीनरी, रसायन उत्पाद, इलेक्ट्रिक सामान, सीमेंट और अलौह धातुओं के लिए उच्च अभिवृद्धि इंगित करते हैं।

विनिर्माण में उच्च अभिवृद्धि और प्रमुख व्यापारिक भागीदारों विशेषतया तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से निरंतर मांग से उत्प्लावित अमरीकी डालर मूल्य और सीमा शुल्क आधार पर व्यापारिक निर्यात चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात (छः) महीनों अर्थात् अप्रैल-अक्टूबर (अप्रैल-सितंबर) में 69.5 (59.3) बिलियन अमरीकी डालर पर 34.96 (37.3) प्रतिशत अधिक थे। व्यापार घाटा 65.8 (71.0) प्रतिशत से गिरकर 28.6 (21.0) प्रतिशत पर आ गया।

अप्रैल-अगस्त 2006 के लिए उपलब्ध डीजीसीआई एंड एस के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार निर्यातों का वस्तु-संघटन और गंतव्य, विविध क्षेत्रों और देशों सभी में व्यापक आधार पर था। इस अवधि के दौरान निर्यात के प्रमुख प्रणेतारों में पेट्रोलियम उत्पाद (117.2 प्रतिशत), संसाधित खनिज (36.6 प्रतिशत), अन्य अयस्क और खनिज (34.9 प्रतिशत) मशीनरी और उपस्कर (45.1 प्रतिशत), बुनियादी रसायन, भेषज और प्रसाधन (26.0 प्रतिशत), तैयार परिधान (12.0 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर (16.1 प्रतिशत) और अन्य इंजीनियरी मर्चे (55.5 प्रतिशत) शामिल हैं।

पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में उच्च अभिवृद्धि से 38.8 प्रतिशत अधिक की उच्च अभिवृद्धि बनाए रखते हुए और 2006-07 के पहले पांच महीनों में 10.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचते हुए, इंजीनियरी सामान पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, रत्न और जवाहरात तथा कपड़े से अधिक भारत के कुल पण्य निर्यात में सबसे बड़े अंशदाता के रूप में उभरा है। यह वृद्धि इंजीनियरी सामान के लिए विश्व के बढ़ते बाज़ार में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर गुणवत्ता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में भारतीय विनिर्माताओं का सामर्थ्य प्रकट करती है। इंजीनियरी सामान के स्थूल समूह के भीतर, जबकि अलौह धातुओं, लोहे और इस्पात, मशीनरी और उपस्करों ने संतुलित अभिवृद्धि दर्ज की है, परिवहन उपस्करों का निर्यात सिंगापुर, फ्रांस, यूएई और इटली प्रमुख बाजारों से मांग कम होने के कारण गिरा है। पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों के दोगुने से अधिक (117 प्रतिशत) निर्यात ने कुल निर्यात में अपना हिस्सा अप्रैल-अगस्त, 2005 में 9.7 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल-अगस्त, 2006 में 16.5 प्रतिशत कर लिया है। यह भारत की वर्धित परिष्करण क्षमता और पीओएल का उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिबिंबित करता है। अप्रैल-अगस्त, 2006 के दौरान 12.4 प्रतिशत पर भारत की वस्त्र निर्यात संबंधी अभिवृद्धि अप्रैल-अक्टूबर, 2006 में 27.8 प्रतिशत की चीन की वस्त्र निर्यात अभिवृद्धि से काफी कम थी।

अप्रैल-अगस्त 2006 में रत्न और जवाहरात के निर्यात में 3 प्रतिशत की गिरावट हुई है। मूल्यवान धातुओं, विशेषतया सोने (पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 439.5 अमरीकी डालर की तुलना में जुलाई-सितंबर, 2006 में 621.5 अमरीकी डालर प्रति ट्राय औंस) और चांदी (पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 2006-07 की पहली तिमाही में 71 प्रतिशत के मूल्यों में वृद्धि सहायक कारक हो सकती है।

संयुक्त राज्य अमरीका, यूएई, सिंगापुर, चीन और यूके पांच शीर्ष देश हैं जिनका कुल निर्यात में 42 प्रतिशत हिस्सा बैठता है। जबकि यूएई (74.1 प्रतिशत) को निर्यात 35 प्रतिशत की समग्र अभिवृद्धि की तुलना में बढ़ते रहे, अन्य चार देशों को निर्यात में अभिवृद्धि - सिंगापुर (33.7 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमरीका (17.1 प्रतिशत), चीन (16.9 प्रतिशत) और यूके (11.8 प्रतिशत) - कम थी। भारत के निर्यातों की क्षेत्रवार महत्वपूर्ण अभिवृद्धि दर्ज कराने

वाले गंतव्य पूर्व एशिया (91.8 प्रतिशत), अफ्रीका (65.2 प्रतिशत), एशिया और आसियान देश (34.7 प्रतिशत) और लेटिन अमरीका (23.5 प्रतिशत) थे। इंडोनेशिया और पाकिस्तान को किए जाने वाले निर्यातों ने चालू वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान तीव्र वृद्धि प्रदर्शित की है जबकि चीन को किए गए निर्यातों की अभिवृद्धि में कुछ मंदी थी। चीन स्रोत-वार भारत के आयातों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है जिसके बाद सउदी अरब, संयुक्त राज्य अमरीका, यूएई और ईरान का स्थान है।

अदृश्य प्राप्तियां और चालू खाता

अदृश्य (निवल) के अंतर्गत अंतर्वाह चालू वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 10.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 12.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गए थे। फिर भी, अदृश्य खाते में यह अधिशेष 18.5 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे को निष्प्रभावित करने के लिए काफी नहीं था और इसका परिणाम चालू वर्ष की पहली तिमाही में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर का चालू खाते का घाटा था (परिशिष्ट सारणी II)। पिछले तीन वर्षों में अधिशेष की स्थिति से 2004-05 में घाटा बने रहने का चालू खाते में यह बदलाव जारी रहता प्रतीत होता है। चालू खाते के संतुलित घाटे को पूंजी के अभाव वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में वांछनीय माना जाता है ताकि घरेलू बचतों को बढ़ाया और निवेश को सहायता दी जा सके जबकि चालू घाटे के वहनीय स्तर के बारे में निश्चित होना मुश्किल है, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे घाटे के मौजूदा स्तर किसी खतरे का संकेत हैं।

भारत में, 1991 के भुगतान संतुलन संकट के परिप्रेक्ष्य में वहनीय चालू खाते को घाटे के मुद्दे ने प्रचालनात्मक दृष्टिकोण से गंभीर महत्ता हासिल की थी। भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष:डा. सी. रंगराजन) ने स.घ.उ. - चालू खाते के घाटे का अनुपात 1.6 प्रतिशत पर रखने की अनुशंसा की थी। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति (2006) ने इंगित किया कि 3 प्रतिशत स.घ.उ. - चालू खाते के घाटे के अनुपात का आसानी से वित्तपोषण किया जा सकता है और नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता तब पड़ेगी यदि अनुपात 3 प्रतिशत से काफी अधिक हो जाए। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मसौदा दृष्टिकोण पत्र में 7 से 9 प्रतिशत के वैकल्पिक अभिवृद्धि परिदृश्य के आधार पर चालू खाता घाटे (सीएडी) को सघउ का 2.0 से 2.8 प्रतिशत होने की कल्पना की है। असल में आयोग ने इंगित किया है कि “चालू खाते के घाटे के उच्च स्तर को कुछ समय तक सहन किया जा सकता है यदि इसे सिर्फ उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से वित्तपोषित किया जाए परन्तु सामान्यतया हमारा लक्ष्य चालू खाते के घाटे को 3 प्रतिशत से नीचे रखने का होना चाहिए”।

पूंजी खाता

अप्रैल-जून 2006 में 12.5 बिलियन अमरीकी डालर पर कुल निवल पूंजी अंतर्वाह अप्रैल-जून 2005 की तुलना में 7.7 बिलियन अमरीकी डालर अधिक थे। यह बढ़ोतरी मुख्यतया विदेशी वाणिज्यिक उधारों, एफडीआई और बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत निवल अंतर्वाहों के कारण थी। बैंकिंग पूंजी में वृद्धि एनआरआई जमाराशियों के अंतर्गत अधिक अंतर्वाह और वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी आस्तियों के आहरण के कारण थी।

विदेशी मुद्रा भंडार जो मार्चांत, 2006 में 151.6 बिलियन अमरीकी डालर थे, सितंबर अंत, 2006 में 165.3 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गए। 30 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार (चालू राजकोषीय वर्ष के 8 महीनों में) देश का विदेशी मुद्रा भंडार 174.6 बिलियन अमरीकी डालर था जो मोटे तौर पर 11 महीने के आयात के कवच के समकक्ष है।

भारत का विदेशी ऋण स्टाक जून अंत, 2006 में 132.1 बिलियन अमरीकी डालर राशि का है जिसमें दीर्घावधि ऋण 122.9 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 9.2 बिलियन अमरीकी डालर पर अल्पावधि ऋण कुल ऋण का 7 प्रतिशत बैठता है। अमरीकी डालर प्रमुख संघटक मुद्रा बनी हुई है जो कुल विदेशी ऋण स्टाक की 46.1 प्रतिशत बैठती है। विदेशी मुद्रा भंडार से अल्पावधि ऋण का समानुपात 5.9 प्रतिशत था और विदेशी मुद्रा भंडार जून अंत, 2006 में कुल ऋण को 123 प्रतिशत का कवच प्रदान कर रहा था।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों के अनुपालन में, सदस्य देश तिमाही आधार पर विदेशी ऋण के आंकड़ों का प्रसार करते हैं। तथापि, विदेशी ऋण के आंकड़ें प्रकाशित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा अनेक प्रपत्र प्रयोग किए जा रहे थे जिनसे अंतर्राष्ट्रीय तुलना मुश्किल हो रही थी। इसलिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संयुक्त रूप से तिमाही विदेशी ऋण डाटाबेस (क्यूईडीएस) नामक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार किया जिसमें ऋण आंकड़ों की सूचना देने के लिए कुछ मानक प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। भारत जून अंत, 2006 की तिमाही से संबंधित विदेशी ऋण के आंकड़े निर्धारित प्रपत्र में विश्व बैंक को भेज कर नवंबर, 2006 में क्यूईडीएस में औपचारिक रूप से शामिल हो गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन को काफी महत्व देते हुए फरवरी, 2006 में एसईजेड नियम अधिसूचित किए गए थे ताकि इस नीति को आवश्यक पारदर्शिता और स्थायित्व दिया जा सके। एसईजेड के विकासकों हेतु प्रोत्साहनों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने की अनुमति देना, आयकर लाभ, विकास के लिए शुल्क मुक्त आयात/सामान की घरेलू खरीद, सेवा कर/केंद्रीय बिक्री कर से छूट, वाणिज्यिक आधार पर अनुमोदित एसईजेड इकाइयों को स्थल और निर्मित क्षेत्र के आवंटन की पूरी स्वतंत्रता देना शामिल है। हालांकि एसईजेड का उद्देश्य निर्यातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी और अवरोध मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है, एसईजेड के अंतर्गत इकाइयों की प्रमुख जिम्मेदारी यह है कि वे धनात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करें। अनुमोदन मंडल ने 181 प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन दे दिया है। यह उम्मीद की जाती है कि इन क्षेत्रों में इस वर्ष के अंत तक 700 मिलियन अमरीकी डालर एफडीआई और 80,000 रोजगार-अवसर प्राप्त हो जाएंगे।

मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

भारत तरजीही व्यापार करारों (पीटीए) और क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) को व्यापार उदारीकरण के समग्र उद्देश्य के लिए ऐसे "निर्माण ब्लाक" के रूप में देखता है जो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का पूरक होना चाहिए। इस बारे में हाल में शुरू की गई पहलों में 1 जुलाई, 2006 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार का क्रियान्वयन, 1 सितंबर, 2006 से बैंकाक करार के अंतर्गत तरजीही सामान की विस्तारित सूची का क्रियान्वयन; कोरिया के साथ व्यापक भागीदारी करार (सीईपीए) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना; चीन और जापान के साथ संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी); भारत आसियान एफटीए; और भारत यूरोपीय संघ व्यापार और करार शामिल हैं। हाल की अधिकतर पहलें सिर्फ माल के व्यापार से ही संबंधित नहीं हैं बल्कि सेवा व्यापार, व्यापार सुविधा और निवेश प्रवाहों के उदारीकरण सहित व्यापार संवर्धन हेतु संभावित संस्थागत ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं।

iv. मुद्रा और पूंजी बाजार

प्रारक्षित मुद्रा

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में उत्साहजनक विदेशी अंतर्वाहों ने अर्थव्यवस्था में नकदी अभिवृद्धि लाना जारी रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) ने 24 नवम्बर (29 सितंबर) 2006 को प्रारक्षित मुद्रा (एम₀) की 17.5 (22.0) प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष की अभिवृद्धि का 24.4 (26.8) प्रतिशतांक का अंशदान किया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 24 नवम्बर (29 सितंबर), 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक की एनएफए पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.2 (1.7) प्रतिशत की तुलना में 14.8 (12.4) प्रतिशत (मार्चांत, 2006 की तुलना में) बढ़ी हैं। तदनुसृत वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि भी पिछले वर्ष की तदनुसृत अवधि में दर्ज 14.0 (15.0) प्रतिशत की तुलना में 24 नवम्बर (29 सितंबर), 2006 को 19.8 (21.4) प्रतिशत पर ज्यादा थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्षानुवर्ष निवल घरेलू ऋण (एनडीसी) जिसमें 24 नवंबर, (29 सितंबर) 11,049 (46,186) करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, ने 17.5 (22.0) प्रतिशत की (एम₀) अभिवृद्धि में 2.1 (9.3) प्रतिशतांक का अंशदान किया है। दिनांक 24 नवंबर, 2006 को केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण शून्य थे और राज्यों सरकारों को दिए गए ऐसे ऋण सिर्फ 196 करोड़ रुपए थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पास केंद्र और राज्य सरकारों की

जमाराशियां क्रमशः 11,405 करोड़ रुपए और 41 करोड़ रुपए थी और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जमाराशियां 37,917 करोड़ रुपए थीं। दिनांक 24 नवंबर को सरकार को मिलने वाले 11,298 करोड़ रुपए के भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण का वर्षानुवर्ष विस्तार मुख्यतया केंद्र सरकार को दिए गए ऋण के कारण था।

हालांकि एनएफए में अभिवृद्धि के मंदी के परिणामस्वरूप, वर्षानुवर्ष एम₀ अभिवृद्धि 29 सितंबर को 22.0 प्रतिशत से धीरे-धीरे गिरकर 24 नवंबर, 2006 को 17.5 प्रतिशत हो गई, एम₀ को एनएफए का कवच मार्चांत 2006 के 117.4 प्रतिशत से बढ़कर जून अंत, 2006 में 126.6 प्रतिशत हो गया, 24 नवंबर, 2006 को फिर बढ़कर 125.6 प्रतिशत होने से पहले 29 सितंबर, 2006 को गिरकर 124.6 प्रतिशत हो गया।

मुद्रा आपूर्ति

चालू वित्तीय वर्ष में 24 नवंबर (29 सितंबर), 2006 तक की अवधि के दौरान स्थूल मुद्रा आपूर्ति (एम₃) 19.4 (18.5) प्रतिशत की दर पर बढ़ी है जो वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति विवरण में दर्शाई 15.0 प्रतिशत की अनुमानित अभिवृद्धि से काफी अधिक है और पिछले वर्ष की तदनु रूप तारीख को अवलोकित 17.3 (17.4) प्रतिशत से भी अधिक है (परिशिष्ट सारणी III)। एम₃ से एम₀ का अनुपात मापने वाला मुद्रा-गुणक जो मार्चांत, 2005 में 4.60 से बढ़कर मार्चांत, 2006 में 4.76 हो गया था, समूचे चालू वर्ष में निरंतर बढ़ते हुए जून अंत में 4.73 सितंबर अंत में 4.85 और फिर 24 नवंबर, 2006 को 4.86 हो गया।

वाणिज्यिक बैंक उधार के तीव्र विस्तार ने 24 नवंबर (29 सितंबर), 2006 को एम₃ में 19.4 (18.5) प्रतिशत की वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि में 15.4 (15.6) प्रतिशतांक का अंशदान किया है। चालू वर्ष में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्य-भिन्न ऋण में अभिवृद्धि ने पहली तिमाही के दौरान मंद शुरुआत के पश्चात दूसरी तिमाही में गति प्राप्त कर ली। जुलाई-सितंबर, 2006 के दौरान ऐसे ऋण बढ़कर 1,39,406 करोड़ रुपए हो गए और 29 सितंबर (24 नवंबर), 2006 को वर्षानुवर्ष 31.1 (30.1) प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि विस्तार की यह दर एक वर्ष पहले की तदनु रूप तारीख को प्राप्त 31.1 प्रतिशत की तुलना में कम थी, यह भारतीय रिजर्व बैंक की 2006-07 की वार्षिक नीति में परिकल्पित खाद्य-भिन्न ऋण में 20 प्रतिशत के विस्तार से अधिक होना जारी रही।

वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही के लिए उपलब्ध खाद्य-भिन्न ऋण के क्षेत्रवार नियोजन आंकड़े (अंतिम) सभी क्षेत्रों में ऐसे ऋण की व्यापक पहुंच का संकेत देते हैं। दिनांक 23 जून, 2006 को कृषि और सहबद्ध गतिविधियों को मिलने वाले ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि 42,619 करोड़ रुपए अथवा 36.8 प्रतिशत थी और उद्योग-लघु, मध्यम और बड़े-को 94,133 करोड़ रुपए अथवा 26.6 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में अभिवृद्धि दरों की तुलना-कृषि और सहबद्ध गतिविधियों को 38.2 प्रतिशत और उद्योग को 18.1 प्रतिशत-चालू वर्ष में अवलोकित औद्योगिक पुनरुत्थान को प्रतिबिंबित करती है। स्थावर संपदा के ऋण और निजी ऋण 23 जून, 2006 को क्रमशः 102.4 प्रतिशत और 47.2 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि दरें दर्ज करते हुए तेजी से बढ़े हैं। इससे भी बढ़कर, आवास ऋणों में 54.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य-भिन्न ऋण में तीव्र अभिवृद्धि को जमाराशियों में तदनु रूप अभिवृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात 29 सितंबर, 2006 को एक वर्ष पूर्व के 64.8 प्रतिशत से बढ़कर 71.9 प्रतिशत और फिर 24 नवंबर, 2006 को 72.2 प्रतिशत हो गया। यह प्रणाली में नकदी स्थिति में भी प्रतिबिंबित हुआ है; यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा "अनुमोदित" प्रतिभूतियों में निवेश में 24 नवंबर, (29 सितंबर), 2006 तक 47,906 (35,309) करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो इसी अवधि के दौरान अधिक कुल जमाराशियां प्रतिबिंबित करता है; जमाराशियां की तुलना में ऋण में तीव्र अभिवृद्धि ने बैंकों को वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने के लिए प्रेरित किया है जैसे कि जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक प्रपत्र (सीपी) और साथ ही ऋण-वृद्धि को वित्तपोषित करने के लिए सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) से भिन्न अनुमोदित प्रतिभूतियों से संबंधित अपने जोखिम को घटाने के लिए प्रेरित किया है।

ब्याज दरें

भारतीय रिजर्व बैंक को पेट्रोलियम और प्राथमिक वस्तुओं के अस्थिर मूल्यों से उत्पन्न स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि की गति को बनाए रखने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक की सोची-समझी गई चरणबद्ध प्रतिक्रिया में विशेषकर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एम₃ की अनुमानित अभिवृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि की स्थिति में, लघु-अवधि नीति दरों नामतः नकदी समंजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर (वह दर जिस पर बैंक 1 से 3 दिन तक अपनी अधिशेष निधियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं) और रेपो दर (वह दर जिस पर बैंक 1 से 3 दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार ले सकते हैं) में क्रमिक वृद्धि शामिल थी। रिवर्स-रेपो (रेपो) दर 9 जून, 2006 को 5.50 (6.50) प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 (6.75) प्रतिशत और 25 जुलाई, 2006 को 6.00 (7.00) प्रतिशत की गई थी। बैंकों को ध्यानपूर्वक नकदी प्रबंधन के लिए संकेत भेजने के लिए 31 अक्टूबर, 2006 को रेपो दर और बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत कर दी गई। दिनांक 23 दिसंबर, 2006 से प्रभावी सीआरआर को 25 आधार बिंदु और 6 जनवरी, 2007 से और 25 आधार बिंदु बढ़ाया जा रहा है।

इस स्थिति में एलएएफ के अंतर्गत अवशोषित राशि में यथा प्रतिबिंबित नकदी में कमी हुई थी जो 6 जून, 2006 को 72,300 करोड़ रुपए के शीर्ष से नीचे आकर 18 सितंबर, 2006 को 3,625 करोड़ रुपए हो गई। एलएएफ के तहत बकाया राशि 24 नवंबर, 2006 को 15,995 करोड़ रुपए थी। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा एमएसएस और केंद्र सरकार की राशियों में गिरावट हुई थी जो 30 जून, 2006 को क्रमशः 33,295 करोड़ रुपए और 101 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 सितंबर, 2006 को क्रमशः 42,064 करोड़ रुपए और 14,921 करोड़ रुपए होने के बाद 24 नवंबर, 2006 को गिरकर क्रमशः 37,917 करोड़ रुपए और 11,405 करोड़ रुपए हो गई।

उत्प्लावक ऋण लेने से नकदी की तंगी और नीतिगत दरों की कठोरता के परिणामस्वरूप भारत मांग मुद्रा दरों में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि समूची परिपक्वता स्पेक्ट्रम में भी वृद्धि हुई है। भारत मांग मुद्रा दर 30 अप्रैल, 2006 को 5.59 प्रतिशत से बढ़कर 31 जुलाई, 2006 को 6.07 प्रतिशत और फिर 30 सितंबर, 2006 को 7.07 प्रतिशत हो गयी। यह गिरकर 8 दिसंबर, 2006 को 6.13 प्रतिशत हो गई। 5 अप्रैल और 8 दिसंबर, 2006 के बीच 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों और 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर अधिकतम आय क्रमशः 5.78 प्रतिशत और 6.14 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 6.65 प्रतिशत और 6.89 प्रतिशत हो गई।

10-वर्षीय जी-सेक पर आय 11 जुलाई, 2006 को 8.41 प्रतिशत के शीर्ष पर रहने के पश्चात 8 दिसंबर, 2006 को 102 आधार बिंदु कम हो कर 7.39 प्रतिशत हो गई। अंशतः रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप, आय वक्र में कुछ मन्दी आई, तथा वक्र के आरंभिक छोर पर तथा मध्य में आय और आखिरी छोर पर आय में तीव्र वृद्धि हुई। दिनांक 8 दिसंबर, 2006 को 1 वर्ष और उच्च परिपक्वता वाली जी-सेक आय के बीच विस्तार 11 से 86 आधार बिंदु (19-वर्षीय बांड) के बीच थी और 10-वर्षीय और अन्य दीर्घावधि जी-सेक विस्तार 0 से 40 आधार बिंदुओं के बीच था।

पूंजी बाजार

पूंजी बाजार में तेजी वर्ष 2006-07 के पूर्वार्ध में भी जारी रही। प्राथमिक बाजार में, आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों (आईपीओ) और निजी नियोजनों के जरिए समग्र संसाधन जुटाने में अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित और संकलित सूचना के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान 37,809 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के 367 पूंजी निर्गम हुए (इसमें विवरणिका और राइट्स निर्गम तथा नियोजन शामिल हैं) जो 2005-06 की तदनुसृत अवधि से 29 प्रतिशत अधिक की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-सितंबर, 2006 के दौरान यूरो इश्यू (अमरीकी निक्षेपागार प्राप्ति, सार्वभौमिक निक्षेपागार प्राप्ति और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड) के जरिए जुटाई गई राशि 7.917 करोड़ रुपए थी।

म्यूचुअल फण्डों द्वारा संसाधनों का निवल संग्रहण अप्रैल-सितंबर, 2006 के दौरान गत वर्ष की तदनुसृत अवधि के दौरान 36,823 करोड़ रुपए से 63.1 प्रतिशत बढ़कर 60,048 करोड़ रुपए के स्तर तक जा पहुंचा। म्यूचुअल फण्डों में तीव्र वृद्धि ने आय/ऋण-उन्मुखी योजनाओं तथा वृद्धि/इक्विटी उन्मुखी योजनाओं दोनों में निवल अन्तर्प्रवाहों को प्रतिबिम्बित किया।

द्वितीयक बाजार में, बीएसई और निफ्टी दोनों सूचकांक 10 मई, 2006 को क्रमशः 12,612 और 3,754 के शीर्ष स्तर पर थे। पहली तिमाही के अन्त तक दोनों सूचकांकों द्वारा दर्ज की गई हानियों को जुलाई-सितंबर 2006 के दौरान, अधिक एफआईआई अंतर्प्रवाहों और बड़ी निवेशक भागीदारी के जरिए बहुत हद तक प्रतिसंतुलित कर लिया गया। उदाहरणार्थ, बीएसई सेनसैक्स जो मार्च, 2006 के अन्त में 11,280 था, 14 जून, 2006 को गिरकर 8,929 हो गया और 30 जून, 2006 को 10,609 पर बन्द हुआ। इसके बाद, यह बढ़ता रहा और सितंबर, 2006 के अन्त में 12,454 पर पहुंच गया। निरन्तर जारी तेजी के परिणामस्वरूप एक ही दिन के कारोबार में सेन्सैक्स 14,000 का अंक पार कर गया और 7 दिसंबर, 2006 को 13,972 पर बन्द हुआ। तब से इस स्थिति में सुधार हुआ है जब सेन्सैक्स 12 दिसम्बर 2006 को 12,995 पर बंद हुआ।

एफआईआई द्वारा ताजा खरीद, संतुलित कारपोरेट परिणाम सामान्य मानसून, सन्तोषजनक वृहद-आर्थिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति और हाल के सप्ताहों में कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में गिरावट के कारण उत्साहजनक स्थितियां रही हैं। निवल एफआईआई निवेश अप्रैल-जून, 2006 के दौरान के 6,352 करोड़ रुपए की निवल बिक्री से बदलकर जुलाई-सितंबर 2006 के दौरान 11,212 करोड़ रुपए की निवल खरीद हो गए और फिर 1 अक्टूबर से 11 दिसंबर, 2006 के दौरान 15,722 करोड़ रुपए हो गए। इसके परिणामस्वरूप 2006-07 (अप्रैल से 11 दिसंबर, 2006) में एफआईआई निवेश 20,582 करोड़ रुपए का निवल क्रय था। पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान एफआईआई का निवल निवेश 30,208 करोड़ रुपए की राशि का था।

एशिया के अन्य उभरते बाजारों (कोरिया 41 प्रतिशत, मलेशिया 6 प्रतिशत और थाईलैंड 8 प्रतिशत) की तुलना में भारतीय स्टॉक बाजारों ने 2005-06 में 67 (निफ्टी) प्रतिशत और 74 (बीएसई) प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। चालू वर्ष के दौरान, बिंदु-दर-बिंदु आधार पर सेन्सैक्स और निफ्टी 1 अप्रैल से 12 दिसंबर, 2006 तक क्रमशः 15.2 प्रतिशत 9.2 प्रतिशत बढ़े हैं।

कारपोरेट बांडों और प्रतिभूतिकरण संबंधी आर.एच. पाटिल समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करते हुए सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट बांडों के लिए एकल, एकीकृत, एक्सचेंज-व्यापारित बाजार के सृजन से संबंधित 2006-07 की बजट घोषणा के कार्यान्वयन हेतु एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है। वर्ष 2006-07 की बजट घोषणा में सेबी द्वारा वसूल किए गए जुमाने व शास्तियों द्वारा निधिपोषित सेबी के तत्वावधान में निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना भी शामिल है। इससे प्रतिभूति कानूनों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। यह मामला विचाराधीन है।

v. अवसंरचना

अवसंरचना पर सीधा प्रभाव डालने वाले छह महत्वपूर्ण उद्योगों के समग्र सूचकांक ने, जिसका आईआईपी में 27 प्रतिशत भारांश है, अप्रैल-सितम्बर, 2006 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जोकि अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान दर्ज की गई 6.1 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV)। किन्तु, इन छह महत्वपूर्ण उद्योगों की वृद्धि अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि के साथ-साथ आईआईपी की समग्र वृद्धि से बहुत अधिक पीछे बनी रही है। जहां तेल शोधन उत्पादन, कच्चे तेल तथा बिजली क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में वृद्धि निष्पादन को सुधारा है वहीं सीमेंट और इस्पात तथा विशेषतः क्षेत्र का गिरता निष्पादन निराशाजनक था।

परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में, 344 मिलियन टन-किलोमीटर की दर से राजस्व अर्जक भाड़ा यातायात से रेलवे ने चालू वर्ष के पूर्वार्ध में अपनी लगभग द्विअंकीय वृद्धि बनाए रखी। अन्य बातों के साथ-साथ वेगनभार बढ़ाकर, शीघ्र ढुलाई तथा अधिक तर्कसंगत मूल्य निर्धारण की नीति के जरिए बेहतर संसाधन प्रबंधन करके पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे के निष्पादन में सुधार हुआ है। जहां प्रमुख समुद्रीपत्तनों (निर्यात तथा आयात दोनों) तथा हवाई अड्डों (निर्यात) में संचालित कार्गो में वृद्धि में धीमापन आया था, वहीं हवाई अड्डों के टर्मिनलों में संचालित यात्रियों में आई तेजी उनके यात्रियों की प्रबंध सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

सरकार ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ विश्व-स्तरीय हवाईअड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखकर दिल्ली तथा मुंबई के हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण करना प्रारंभ किया है। 3 मई, 2006 को दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों को संयुक्त उद्यम कंपनियों के हवाले कर दिया गया है जिसमें निजी संकाय द्वारा 74 प्रतिशत तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 26 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता शामिल है। इन परियोजनाओं से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का समग्र पूंजी निवेश जुड़ा है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति तेज गति से जारी है। टेलीफोनों (मोबाइल तथा लैंड लाईन दोनों) की संख्या में मार्च अंत 2006 के 142 मिलियन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह सितम्बर अंत 2006 में 170 मिलियन हो गई है। अभी तक इस वर्ष में औसतन प्रतिमाह 4.5 मिलियन टेलीफोनों की वृद्धि हुई। देश में टेली-घनत्व मार्च 2006 के 12.7 प्रतिशत से बढ़कर सितम्बर 2006 में 15.1 प्रतिशत हो गया। तथापि, ग्रामीण (2 प्रतिशत) तथा शहरी (45) क्षेत्रों के बीच टेली-घनत्व में बहुत बड़ी खाई थी। रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। रक्षा सेवाओं द्वारा इस समय उपयोग में लाए जा रहे 45 मैगाहर्ट्स पीएफ अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को वर्ष 2007 के आरंभ में मोबाइल सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

सितम्बर अंत 2006 में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत 6,699 कि.मी. की सड़कों को पूरा किया गया जिनमें अधिकांश (5431 किमी) स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) के हिस्से में है, अन्य 7,593 किमी की सड़कों का कार्य निर्माणाधीन था तथा संचयी व्यय 35,302 करोड़ रुपए था। जम्मू-कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के खण्डों को छोड़कर, जहां भूभाग संबंधी रुकावटें, संरक्षण तथा पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कठिनाइयां हैं, संपूर्ण चरण-II की संविदाओं की मंजूरी अंतिम चरण में है। 5,379 किमी लंबाई के लिए संविदाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। आशा है कि स्वर्ण चतुर्भुज को दिसम्बर, 2006 तक पर्याप्त रूप से (95 प्रतिशत) पूरा कर लिया जाएगा, तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे को दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा। चरण-III के अंतर्गत 1,090 किमी के लिए तीस "बनाओ-चलाओ-अन्तर्गत करो" की संविदाओं को मंजूरी दे दी गई है। चरण-III ए को दिसम्बर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राजमार्गों, पत्तनों तथा हवाईअड्डों के प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) में निवेश करने के लिए माडल रियायती करार (एमसीए) तैयार किए गए हैं। भविष्य में, जहां तक संभव हो, पीपीपी परियोजनाओं को मानक रियायती करार के साथ पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घाविधि ऋण वित्त पोषण के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में सरकार द्वारा स्थापित तथा जनवरी, 2006 में निगमित इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने अक्टूबर, 2006 में ऋण देना शुरू किया।

गैस के खोज के विकास की प्रास्थिति

कच्चे तेल के गिरते देशीय उत्पादन के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन के लिए आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता परेशानी का कारण है। इस संदर्भ में हाल के महीनों में नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत कृष्णा गोदवरी (केजी) बेसिन में गैस की खोज की खबर उत्साहजनक घटना हैं। एनईएलपी में लाइसेंसि और सरकार के बीच उत्पादन बंटवारा संविदा (पीएससी) का निर्धारण है, जिसमें गैस (या तेल) की खोज के बाद पूरी किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के लिए समय-सीमा का प्रावधान है। किसी भी खोज के बाद की सामान्य प्रक्रिया में खोज का मूल्यांकन वाणिज्यिकता और तैयार संबंधी निर्णय, वाणिज्यिक खोज की विकास-योजना की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल होता है। खोज के वाणिज्यिकरण को संबंधित पीएससी में निर्धारित समय सीमा के संदर्भ में हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशक (डीजीएच) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जाता है। तदनुसार, पीएससी व्यवस्था के तहत अब तक की गई सभी गैस-खोजों (और तेल खोजें भी) को मानीटर किया जा रहा है।

एनईएलपी I दौर के समय अन्वेषण ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 मै. रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि. और निको रिसोर्सिज लि. के संकाय को दिया गया था। पहले अन्वेषी कुएं डी6-ए-1 के कारण मई 2002 में गैस संबंधी बड़ी खोज हुई। इस ब्लाक में प्रचालक ने 12 और नई खोजों की सूचना दी है। धीरुभाई 1 और 3 खोजों की आरंभिक विकास योजना प्रबंध समिति द्वारा 5 नवंबर, 2004 को मंजूर कर दी गई थी। तदनुसृत विकास क्षेत्र 339 वर्ग कि.मी. है जो ब्लाक क्षेत्र का 4.5 प्रतिशत है। डीजीएच-अनुमोदित "ओरिजनल गैस इन प्लेस (ओजीआईपी) 5.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पर 34 (सभी उप-समुद्री स्तर पर) का मौजूद विकास कार्यक्रमानुसार चल रहा है। गैस जून 2008 तक उपलब्ध हो जाएगी। उत्पादन की परिकल्पित औसत दर 40 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एनएमएससीएमडी) होगी।

गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) का क्षेत्र केजी उथले जल के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। प्रचालक के रूप में जीएसपीसी का 80 प्रतिशत हिस्सा है। जीएसपीसी को उच्च तापमान और दाब के माहौल में हुई गैस की खोज के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम अभी प्रस्तुत करना है। इसलिए अभी किसी भण्डार या उत्पादन का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ओएनजीसी अभी केजी बेसिन में जी-1 और जी-15 खोज का विकास कर रहा है। मार्च 2007 से लगभग 1.5 एमएमएससीएमडी का गैस उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। उपर्युक्त दो क्षेत्रों से गैस का अनुमानित उत्पादन 7 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 2.1 एमएमएससीएमडी है।

vi. सामाजिक क्षेत्र

वर्ष 2006-07 (ब.अ.) में 82,381 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय- जो वर्ष 2004-05 (सं.अ.) के 57,724 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 (सं.अ.) में 70,219 करोड़ रुपए हो गया तथा जो सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले महत्व का द्योतक है। आठ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों तथा भारत निर्माण को निरन्तर सहायता दे रहा है। ये आठ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन योजना, राजीव गांधी पेय जल मिशन, पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जावहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।

एसएसए के वित्तपोषण को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच में 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। केन्द्रीय आवंटन के रूप में 11,000 करोड़ रुपए के आवंटन में से 5,543 करोड़ रुपए को सितम्बर अंत 2006 तक इस कार्यक्रम पर खर्च किया गया है। अभी तक मंजूर किए शिक्षकों के 10.12 लाख पदों में से 6.92 लाख शिक्षकों को सितम्बर अंत तक ही नियुक्त किया जा चुका है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 5348 करोड़ रुपए के आवंटन में से, 3,000 करोड़ रुपए को नवम्बर अंत, 2006 तक खर्च किया गया था, जिसमें संचयी आधार पर 9.5 लाख विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण केंद्रों के 12 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का परिव्यय चालू वर्ष के दौरान 9,065 करोड़ रुपए है। 30 नवम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपगत वास्तविक व्यय 3,680 करोड़ रुपए था। इस अभिक्रम के अंतर्गत सभी राज्य तथा जिला स्वास्थ्य मिशन पहले ही संस्थापित कर लिए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 11,300 करोड़ रुपयों के आवंटन में से अक्टूबर 2006 तक 5,881 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उपगत वास्तविक व्यय 3,490 करोड़ रुपए था। 3.19 करोड़ नौकरी के कार्डों को जारी किया गया है और लगभग 1.50 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया है।

II. केन्द्र सरकार के वित्त साधन

(i) अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान राजकोषीय प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन

अप्रैल-सितम्बर 2006 के दौरान के केन्द्र सरकार के वित्त साधन संबंधी आंकड़े (परिशिष्ट सारणी V-XI) अपरीक्षित हैं और उनमें लेखा परीक्षा के बाद संशोधन हो सकता है। जहां भी प्राप्तियां और वसूलियां सीधे व्यय से जुड़ी हैं, उन्हें व्यय में से घटा दिया गया है।

लेखा महानियंत्रक द्वारा चालू वर्ष के पहले छह महीनों के संबंध में जारी किए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, संपूर्ण वर्ष के लिए बजटित राशि के अनुपात के रूप में राजस्व और व्यय दोनों ही गत वर्ष के तुलना में अधिक थे। इस प्रकार, केन्द्र सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियां (1,65,483 करोड़ रु.) और कुल व्यय (2,51,944 करोड़ रु.) बजट अनुमान के क्रमशः 39.8 प्रतिशत और 44.7 प्रतिशत के स्तर पर गत वर्ष की इसी अवधि में हासिल किए गए 35.0 प्रतिशत और 41.0 प्रतिशत के बजट अनुमान के तदनुरूप हिस्से से अधिक थे। अप्रैल-सितम्बर 2006 में ऋण भिन्न प्राप्तियां वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में बजट अनुमान के 40 प्रतिशत के लक्ष्य, जो एफआरबीएम नियमावली में परिकल्पित है, से मामूली सी कम थी। लेकिन 2005-06 में भी, ऐसी प्राप्तियां वर्ष के अंत में बजटीय मार्ग पर बने रहते हुए 40 प्रतिशत की अपेक्षा से कम रही थीं। इसके अलावा, कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा समान रूप से व्यय करने में अंशतः प्रतिबिम्बित, विशेषकर पहली तिमाही में व्यय की वर्ष के दौरान असमानता को कम करने के प्रयासों में देखी गई व्यय की रफ्तार में तेजी, परम्परागत रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय के समूहन और निधियां रोकने में परिलक्षित हुई।

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में भी, तदनुरूप बजट अनुमान के अनुपात के रूप में राजस्व (81.8 प्रतिशत) और राजकोषीय (58.2 प्रतिशत) घाटा, दूसरी तिमाही के अन्त तक एफआरबीएम नियमावली द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। आंशिक रूप से यह दूसरी तिमाही में आयोजना-भिन्न व्यय के तेजी के प्रभाव को इंगित करते हैं।

(ii) प्राप्तियां

(क) कर राजस्व

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में केन्द्र का निवल कर राजस्व (1,29,986 करोड़ रु. के स्तर पर) ब.अ. का 39.7 प्रतिशत था जो गत वर्ष के तदनुरूप अवधि में दर्ज 35.2 प्रतिशत से अधिक था (परिशिष्ट सारणी VI)। चालू वर्ष के पूर्वार्ध में 30.5 प्रतिशत और 35.1 प्रतिशत के स्तर पर क्रमशः सकल और निवल कर-राजस्व की वर्षानुवर्ष वृद्धि गत वर्ष की तदनुरूप अवधि के 21.9 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत के आंकड़ों से अधिक थी। पूर्वार्ध में सकल और निवल कर-राजस्व दोनों में हुई वृद्धि चालू वर्ष के संबंध में बजट में अनुमानित (सं.अ. 2005-06 की तुलना में ब.अ. 2006-07) क्रमशः 19.5 प्रतिशत और 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दरों से भी अधिक हो गई।

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत राजस्व निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- * निगम कर में 49.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगमों पर लगे करों से इतर आय पर करों में भी 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- * नए अनुषंगी लाभ कर (2005-06 से शुरु) के तहत 1,153 करोड़ रु. के संग्रहण में 40.3 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि देखी गई।
- * प्रतिभूति लेनदेन कर (2,132 करोड़ रु.) और बैंककारी नकद लेन-देन कर (234 करोड़ रु.) से प्राप्त राजस्व 2005-06 और 2006-07 के पूर्वार्ध की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया।

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में अप्रत्यक्ष करों के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- * आयातों के रूप मूल्य में 44.5 प्रतिशत की वृद्धि (सीमाशुल्क आधार पर) के चलते सीमाशुल्क संग्रहणों में 32.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- * केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2005-06 के 40,416 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 43,396 करोड़ रु. हो गए।
- * सेवा कर के संग्रहण गत वर्ष की इसी अवधि के 8,159 करोड़ रु. के स्तर से 63.8 प्रतिशत बढ़कर 13,368 करोड़ रूपए हो गए जो इस क्षेत्र की तेज वृद्धि और शुल्क-दर में वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है।

बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के आधार पर केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनके अनन्तिम हिस्से के रूप में वर्ष के पूर्वार्ध में, कुल सकल कर-राजस्व में से 48,683 करोड़ रु. राज्यों को अंतरित कर दिए गए जो वर्ष के अन्त में समायोजन के अधधीन होता है। राष्ट्रीय आपदा-आकस्मिकता कोष को 809 करोड़ रु. अन्तरित करने के बाद, केन्द्र सरकार का निवल कर-राजस्व 1,29,986 करोड़ रु. (ब.अ. का 39.7 प्रतिशत) था जो गत वर्ष की तदनु रूप अवधि से 33,737 करोड़ रु. अधिक था।

(ख) कर-भिन्न राजस्व

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में कर-भिन्न राजस्व में वर्ष दर वर्ष 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और यह 31,420 करोड़ रु. के स्तर पर ब.अ. का 41.2 प्रतिशत था, जो गत वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान जुटाए गए ब.अ. के 34.2 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा था (परिशिष्ट सारणी vii)। वर्ष 2002-03 से 2004-05 में ऋण की अदला-बदली की योजना के कार्यान्वयन का परिणाम था, अपेक्षाकृत कम ब्याज प्राप्ति वाले बकाया ऋणों की कम हो गई संचित राशि। वैसे इस योजना से राज्य सरकारें लाभान्वित हुई, इनसे केन्द्र की ब्याज प्राप्ति पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की संभावना थी और यह 2005-06 के संशोधित अनुमान (सं.अ.) में 21,245 करोड़ रु. की तुलना में 2006-07 के 19,263 करोड़ रु. के बजट अनुमान में प्रतिबिंबित होता है। उस स्थिति में, ब.अ. के अनुपात के रूप में ब्याज प्राप्ति 2005-06 और 2006-07 के पूर्वार्ध के बीच की अवधि में 36.7 प्रतिशत से कम हो कर 32.7 प्रतिशत रह गई। तथापि, चालू वर्ष के पूर्वार्ध में ब्याज प्राप्ति में हुई गिरावट लाभान्वितों और लाभों (6,643 करोड़ रु. की वृद्धि) और अन्य कर-भिन्न राजस्व (1,251 करोड़ रु. की वृद्धि) प्राप्ति में हुई वृद्धि से बहुत हद तक प्रतिसंतुलित हो गई।

केन्द्र की राजस्व प्राप्ति-निवल कर और कर-भिन्न राजस्व-में अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान वर्षानुवर्ष 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह गत वर्ष की तदनु रूप अवधि में 1,22,845 करोड़ रु. से बढ़कर 1,61,406 करोड़ रु. हो गई।

(ग) ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति

ऋण-भिन्न पूंजी-प्राप्ति जिनमें ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां एवं अन्य प्राप्ति शामिल हैं, गत वर्ष की तदनु रूप अवधि के 4,295 करोड़ रु. के स्तर से मामूली सा गिरकर चालू वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान 4,077 करोड़ रु. हो गई (परिशिष्ट सारणी viii)।

इस प्रकार चालू वर्ष के पूर्वार्ध में केन्द्र की ऋण-भिन्न प्राप्ति (राजस्व प्राप्ति और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्ति) वर्षानुवर्ष आधार पर 30.2 प्रतिशत बढ़कर 1,65,483 करोड़ रु. हो गई।

(iii) व्यय

अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान 2,51,944 करोड़ रु. (ब.अ. का 44.7 प्रतिशत) का कुल व्यय गत वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान के 2,10,983 करोड़ रु. (ब.अ. का 41.0 प्रतिशत) के व्यय से 19.4 प्रतिशत अधिक था। व्यय में ही, राजस्व व्यय में जहां वर्षानुवर्ष 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1,87,942 करोड़ रु. (ब.अ. का 42.1 प्रतिशत) से बढ़कर 2,30,683 करोड़ रु. (ब.अ. का 47.3 प्रतिशत) हो गया, वहीं पूंजी व्यय में 7.7 प्रतिशत

की गिरावट हुई और यह 23,041 करोड़ रु. (ब.अ. का 34.0 प्रतिशत) से कम होकर 21,261 करोड़ रु. (ब.अ. का 28.0 प्रतिशत) रह गया। पूर्वार्ध में हुए ये घटनाक्रम ब.अ. 2005-06 में 67,832 करोड़ रु. के ऐसे व्यय की तुलना में ब.अ. 2006-07 में 75,799 करोड़ रु. के वर्धित पूंजी व्यय के विपरीत थे।

(क) आयोजना व्यय

अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान 59,406 करोड़ रु. के आयोजना व्यय (ब.अ. का 41.4 प्रतिशत) की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान आयोजना व्यय 68,879 करोड़ रु. (ब.अ. का 39.9 प्रतिशत)। वर्ष दर वर्ष, आयोजना-व्यय में भी जहां राजस्व व्यय में 46,123 करोड़ रु. (ब.अ. का 39.8 प्रतिशत) के स्तर से 25.2 प्रतिशत हुई और यह बढ़कर 57,757 करोड़ रु. (ब.अ. का 40.2 प्रतिशत) हो गया, वहीं पूंजी व्यय में 16.3 प्रतिशत की गिरावट हुई और यह 13,283 करोड़ रु. (ब.अ. का 48.3 प्रतिशत) से कम होकर 11,122 करोड़ रु. (ब.अ. का 38.4 प्रतिशत) हो गया। कुल मिलाकर, अप्रैल-सितम्बर 2005 से तुलना करने पर अप्रैल-सितम्बर 2006 में उपायोजना व्यय में 9,473 करोड़ रु. की वृद्धि देखी गई। अधिक व्यय मुख्यतया ग्रामीण विकास विभाग (12,750 करोड़ रु.) और मानव विकास संसाधन मंत्रालय (10,399 करोड़ रु.) द्वारा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण (14,820 करोड़ रु.) के कारण हुआ (परिशिष्ट सारणी ix)।

(ख) आयोजना-भिन्न व्यय

चालू वर्ष के पूर्वार्ध में 1,83,065 करोड़ रु. के स्तर पर (ब.अ. का 46.8 प्रतिशत) आयोजना भिन्न व्यय गत वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान के 1,51,577 करोड़ रु. (ब.अ. का 40.9 प्रतिशत) से 20.8 प्रतिशत अधिक था।

सारणी-13 आयोजना-भिन्न व्यय के अंतर्गत मुख्य उत्तार-चढ़ाव

(करोड़ रूपए)

क्र०सं०	मद	ब.अ. 2006-07	अप्रैल- सितंबर, 2006	ब.अ. 2005-06	अप्रैल- सितंबर, 2005	वृद्धि (+) कमी (-)
1.	ब्याज अदायगियां	1,39,823	64,003	1,33,945	53,940	10,063
2.	रक्षा	89,000	32,097	83,000	28,863	3234
3.	राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों को अनुदान एवं ऋण	35,461	17,892	34,053	12,161	5,731
4.	मुख्य सस्त्रियां	44,533	28,861	46,098	21,809	7,052

वर्ष-दर-वर्ष पूर्वार्ध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों और ऋणों में 47.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के तहत राज्यों के किए जाने वाले अन्तरणों की नई व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है। प्रमुख सस्त्रियों में विशेषकर खाद्य और आयातित उर्वरकों से संबंधित सस्त्रियों में 32.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजना भिन्न रक्षा व्यय में केवल 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि ब्याज-दरों में बढ़ोतरी के कारण ब्याज अदायगियों में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित निवल संसाधन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित निवल संसाधनों के अंतर्गत, 2005-06 के पूर्वार्ध में ब.अ. के 41.2 प्रतिशत की तुलना में, चालू वर्ष के पूर्वार्ध में ब.अ., 2006-07 के 1,97,207 करोड़ रु. का कम से कम 44.4 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित कर दिया गया (परिशिष्ट सारणी x)

(v) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां और व्यय

केन्द्र सरकार के बजट में सरकार के विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां और व्यय में केवल निवल अन्तर शामिल हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे यथासंभव अपनी प्राप्तियां से अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करेंगे। तथापि, वर्ष के दौरान, इन उपक्रमों को कई बार प्राप्तियां और व्यय के प्रवाहों में अल्पावधिक असन्तुलनों का सामना करना पड़ता है जिससे केन्द्र के राजकोषीय अस्थिर कारकों पर प्रभाव पड़ता है। चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए 639 करोड़ रु. के ब.अ. 2006-07 की तुलना में, प्राप्तियां से 1,696 करोड़ रु. अधिक हो गया (सारणी 14) जो मुख्यतया डाक सेवाओं की प्राप्तियां में कमी होने के कारण था।

सारणी 14. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां और व्यय

(करोड़ रुपए में)

मद	2006-07			2005-06		
	ब.अ. 2006-07	अप्रैल-सितम्बर 2006	ब.अ. के अनुपात के रूप में (प्रतिशत)	ब.अ. 2005-06	अप्रैल-सितम्बर 2005	ब.अ. के अनुपात के रूप में (प्रतिशत)
राजस्व व्यय	15,243	5,942	39	15,610	6,034	39
प्राप्तियां	14,604	4,245	29	15,248	4,562	30
निवल	639	1,696	266	362	-1,472	407

(vi) घाटे की वित्त व्यवस्था और देनदारी की स्थिति

भारत की समेकित निधि पर 86,461 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे और लोक लेखे पर 86,461 करोड़ रुपए के घाटे की मुख्तया 61,310 करोड़ रुपए के आंतरिक ऋण, 2,433 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता और 24,473 करोड़ रुपए के नकद आहरण से वित्तपोषित किया गया (सारणी 15)

सारणी 15. घाटे की वित्त व्यवस्था

(करोड़ रुपए)

	अप्रैल-सितम्बर 2006	अप्रैल-सितम्बर 2005
राजकोषीय घाटा	86,461	83,843
वित्त व्यवस्था के स्रोत		
आन्तरिक ऋण	61,310	90,483
बाजार ऋण और अल्पावधिक उधार	64,664	64,370
राजकोषीय हुंडियां	4,700	21,443
क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	-4,123	4,890
अन्य	-3,931	-220
विदेशी सहायता जिसमें परिक्रामी निधि शामिल है	2,433	1,515
नकदी निकासी गिरावट (+) / वृद्धि (-)	24,473	1,561
अधिशेष नकदी का निवेश (-)/अर्थोपाय अग्रिम एवं विनिवेश (+)		
लोक लेखा पर अधिशेष (+)/घाटा (-)	-1,755	-9,716

* इसमें उचंत और विप्रेषण शामिल हैं।

उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित आंकड़ों में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत लिए गए बाजार उधार और जारी की गई राजकोषीय हुंडियां शामिल नहीं हैं। एमएसएस के तहत लिए गए उधारों को राजकोषीय घाटा वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक अलग खाते में रखा जाता है और एमएसएस के तहत लिए गए उधारों के मोचन के प्रयोजनार्थ ही इस्तेमाल किया जाता है। अप्रैल-सितम्बर 2006 के दौरान, सरकार ने एमएसएस के तहत बाजार से अत्यधिक नकदी खपाने के लिए 364 दिवसीय, 182 दिवसीय और 91 दिवसीय परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियां और राजकोषीय हुंडियां जारी करके 13,002 करोड़ रु. (निवल) जुटाए।

भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाला एफआरबीएम अधिनियम 2003 का प्रावधान 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी हो गया। इसलिए यह खास तौर पर उल्लेखनीय है कि दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए केन्द्र सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के और सामान्यतया निर्देशात्मक बाजार-उधार कैलण्डर के अनुसार संचालित हुआ। पूर्वार्ध में ब.अ. के अनुपात के रूप में 58.2 प्रतिशत और 47.5 प्रतिशत के स्तर पर क्रमशः सकल और निवल बाजार उधार चालू वर्ष में उसी स्तर पर थे जिस पर गत वर्ष थे। हालांकि भारत औसत परिपक्वता 2005-06 के पूर्वार्ध में 14.91 प्रतिशत से मामूली सी कम होकर 2006-07 के पूर्वार्ध में 14.08 प्रतिशत हो गई, बाजार उधारों की भारत औसत लागत, जो नीलामियों में निर्दिष्ट प्राप्ति पर आकलित की गई है, 7.29 प्रतिशत से बढ़कर 7.91 प्रतिशत हो गई।

राहत बांडों की पुरानी श्रृंखला की परिपक्वता के मोचन के कारण चालू वर्ष के दौरान क्षतिपूर्ति और अन्य बांडों के संदर्भ में अधिक बहिःप्रवाह हुआ। राजकोषीय हुंडियों (14 दिवसीय मध्यवर्ती) से संबंधित स्थिति और नकद शेष में हुए परिवर्तन राज्य सरकारों के सतत् नकद अधिशेष और केन्द्र सरकार द्वारा उनके अस्थायी उपयोग को प्रतिबिम्बित करते हैं।

केन्द्र सरकार की बकाया देनदारियां 1990-91 के स.घ.उ. के 55.3 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 (सं.अ.) में स.घ.उ. का 65.7 प्रतिशत हो गई। बकाया देनदारियां ब.अ. 2006-07 में उसी स्तर पर नियंत्रित रखने का अनुमान है।

(vii) नकद प्रबंधन

केन्द्र सरकार की नकद शेष की स्थिति चालू वर्ष के दौरान सन्तोषजनक बनी रही। केन्द्र सरकार ने वर्ष की शुरुआत 48,928 करोड़ रु. से की - 20,000 करोड़ रु. का निवेश और 28,928 करोड़ रु. का नकदशेष जो मुख्यतया राज्य सरकारों के 38,983 करोड़ रु. के अधिशेष नकद शेष के निवेश का परिणाम था। राज्य सरकारों के सतत् अधिशेष नकद जो सितम्बर, 2006 के अन्त तक 42,004 करोड़ रु. था को देखते हुए, केन्द्र ने इस निवेशित नगद के हिस्से का इस्तेमाल किया। सितम्बर 2006 के अंत तक, केन्द्र सरकार के पास 31,868 करोड़ रु. - 20,000 करोड़ रु. का निवेश और 11,868 करोड़ रु. का नकद शेष का अधिशेष था। नकदी की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम सीमित थे और चालू वर्ष के पूर्वार्ध में ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया गया।

(viii) एफआरबीएम के मध्य-वर्षीय बेंचमार्कों की तुलना में मूल्यांकन

राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर प्रभावशाली निष्पादन के बावजूद एफआरबीएम नियमावली द्वारा, निर्धारित तीनों मध्यवर्षीय निष्पादन बेंचमार्कों, अर्थात् ऋण-भिन्न प्राप्ति, ब.अ. के अनुपात के रूप राजकोषीय और राजस्व घाटा, लक्ष्य से पीछे रहे और राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के मध्य वर्षीय बेंचमार्कों के संदर्भ में, गत वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में पिछड़े रहे। (सारणी-16)।

सारणी-16 एफआरबीएम नियमावली के तहत मध्यवर्षीय बेचमार्क बनाम परिणाम

(प्रतिशत में)

परिवर्तनीय कारक	एफआरबीएम द्वारा निर्धारित निष्पादन	अप्रैल-सितम्बर	
		2006	2005
		ब.अ. के अनुपात के रूप में	
कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियां	40 प्रतिशत से कम नहीं	39.9	35.0
राजकोषीय घाटा	45 प्रतिशत से अधिक नहीं	58.2	55.5
राजस्व घाटा	45 प्रतिशत से अधिक नहीं	81.8	68.3

वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान प्राप्तियों और व्यय में अंतः वर्ष असन्तुलन अंशतः इन परिणामों का कारण हो सकता है। सरकार को विश्वास है कि यह असन्तुलन न्यूनाधिक बजटीय तर्ज पर चलते हुए वर्ष के उत्तरार्ध में बराबर हो जाएगा। मध्यवर्षीय बेचमार्कों के ऐसे उल्लंघन के पश्चात् 2005-06 का साल मोटे तौर पर एफआरबीएम लक्ष्यों के प्रमुख मानदण्डों के अनुरूप समाप्त हुआ। अक्टूबर 2006 के आंकड़ें-उदाहरणार्थ अक्टूबर में राजस्व अधिशेष दर्शाते हैं कि सन्तुलन का कार्य चल रहा है। इससे भी बढ़कर उत्साहजनक आर्थिक अभिवृद्धि से राजस्व बढ़ाने में योगदान करने की उम्मीद की जा सकती है और यह स.ध.उ. के समानुपात के रूप में निर्दिष्ट राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेगी।

III. संभावनाएं और नीतिगत मुद्दे

पिछली आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित वृद्धि में आई तेजी के संकेत वर्ष के पूर्वार्ध में और स्पष्ट हो गए। 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि के बाद, चालू वर्ष के पूर्वार्ध में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धिदर में हुआ यह सुधार न सिर्फ़ ठोस समर्थकारी नीतियों को ही प्रतिबिम्बित करता है, बल्कि वृद्धि की उस संभावना को भी व्यक्त करता है जिससे और अधिक सुधार करके और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अधिक कारगर कार्यान्वयन के ज़रिए लाभ उठाया जा सकता है।

तथापि, वृद्धि में तेजी आने के साथ-साथ, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) मुद्रास्फीति (बिन्दु-दर-बिन्दु) में भी वृद्धि हुई जो मार्च, 2006 के अन्त के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 1 जुलाई और 30 सितम्बर, 2006 दोनों ही दिन 5.2 प्रतिशत रही। मुद्रास्फीति की समस्या का कृषि वस्तु विशिष्ट स्वरूप, जो सीपीआई - अर्थों में मासिक मुद्रास्फीति के मार्च के 5.1 प्रतिशत से बढ़कर जून में 7.6 प्रतिशत हो जाने और सितंबर में 6.8 प्रतिशत हो जाने में प्रतिबिम्बित हुआ, कृषि में उत्पादकता-वर्धन तथा सतर्क आपूर्ति प्रबंधन की ज़रूरत को रेखांकित करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कठोर कदम उठाए हैं — जिनमें गेहूँ और दालों का शुल्क-मुक्त आयात; घटी हुई शुल्क दरों पर पाम तेल आयात; और नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि की घोषणा जो 23 दिसंबर, 2006 के 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 जनवरी, 2007 को 5.50 प्रतिशत कर दी गई है। नवम्बर-अंत से पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ताओं को दी गई मूल्य में कमी का आने वाले सप्ताहों में मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। निवेश में बढ़ोतरी करने और सतत आधार पर वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए वृहत-आर्थिक स्थिरता बनाए रखना मौजूदा स्थिति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

i. निवेश

दिसंबर, 2006 के आरंभ में, हालांकि देशीय पूंजी निर्माण (अर्थात् निवेश) के संबंध में 2004-05 से आगे के राष्ट्रीय लेखा आंकड़े मौजूद नहीं हैं, फिर भी उत्पाद और पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा ऋण लेने की मात्रा में वृद्धि वर्ष 2004 के अंत से देखी जा रही निवेश में वृद्धि के जारी रहने का संकेत करते हैं। इसी प्रकार — अक्टूबर, 2004 और अक्टूबर 2005 के बीच — घोषणाओं, प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन निवेश में 36 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बाद, अक्टूबर, 2005 और अक्टूबर 2006 के बीच और अधिक 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना और 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की सतत वृद्धि के लिए मज़बूत बुनियाद रखनी थी।

रोज़गार के तीव्र सृजन के ज़रिए किसानों, कृषि मज़दूरों, बुनकरों, कामगारों और समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण किया जा सकता है और प्रत्येक परिवार को सुरक्षित और अर्थक्षम आजीविका मुहैया कराई जा सकती है। स्थाई और अर्थक्षम रोज़गार सिर्फ़ कृषि को बढ़ावा देकर, अवसंरचना को तेज़ी से बेहतर बनाकर और उद्योग एवं सेवाओं में वृद्धि की रफ्तार को बनाए रखकर ही तेज़ी से सृजित किए जा सकते हैं। व्यापक आधार वाली यह प्रगति निवेश को काफी हद तक बढ़ाने पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, पहले यह अनुमान लगाया गया था कि विद्युत की कमी की समस्या को सुलझाने — आय और रोज़गार की तेज़ वृद्धि के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षा — के लिए ही वर्ष 2005-06 तथा 2011-12 के बीच 9,00,000 करोड़ रु के निवेश की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार, कृषि की उपेक्षित स्थिति को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला को विविधीकृत करने और आगे बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त निवेशों की ज़रूरत होगी। कृषि, बागवानी, जल-कृषि, फूलों की खेती, वानिकी, डेयरी और कृषि-प्रसंकरण की निरंतर वृद्धि जो नई नौकरियों में बढ़ोतरी करेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इन उप-क्षेत्रों में बड़े निवेश के बिना संभव नहीं होगी।

बृहत-स्तर पर, ग्यारहवीं योजना(2007-08 से 2011-12) के दृष्टिकोण पत्र में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वार्षिक औसत निवेश दर में वृद्धि का लक्ष्य दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) के 27.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 35.1 प्रतिशत कर दिया गया है। चालू मूल्यों पर स.घ.उ. की 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि का अनुमान लगाते हुए 2006-07 और 2011-12 के बीच वार्षिक निवेश दोगुने से अधिक करना होगा। पांच वर्षों में निवेश में 13 लाख करोड़ रु से अधिक की वृद्धि करना एक ज़बर्दस्त चुनौती है जिसका अवश्य ही सामना करना होगा।

इस संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र, जिसमें ऐसी संस्थाएं और संगठन शामिल हैं जो संसाधन जुटाते तथा विभिन्न क्षेत्रों को आवंटन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय एक एकीकृत और वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की अति अत्यंत आवश्यकता है जो गतिशील, बाजारोन्मुखी, कार्यदक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी हो तथा जिसे विश्व स्तरीय स्वतंत्र विनियामक तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाए। विचार किए जाने के विभिन्न चरणों पर तीन प्रमुख कार्य अर्थात् पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक और बीमे के संबंध में एक व्यापक कानून, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। पेंशन और बीमा के विनियामक सुधार स्थायी, अवसरचना के दीर्घावधिक वित्तपोषण को सुनिश्चित कर पाएंगे।

ii राजकोषीय समेकन और सुधार

इस देश को सरकारी और निजी दोनों प्रकार के निवेशों की जरूरत है। लेकिन सरकारी निवेश को बढ़ाने की उत्सुकता के कारण नए सिरे से राजकोषीय फिजूलखर्च नहीं शुरू हो जाना चाहिए। बृहत्-आर्थिक स्थिरता के साथ लगातार तीन वर्ष के विकास अनुभव ने एफआरबीएम की तर्ज पर राजकोषीय विवेक के लाभों को साफ तौर पर प्रदर्शित किया है। इसलिए, राजस्वों (कर और कर-भिन्न दोनों) और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में अधिकाधिक वृद्धि करके और आयोजना-भिन्न व्यय को नियंत्रित करके इसके निहितार्थ को अपनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इससे आयोजना को वहनीय तरीके से वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश भी पैदा होगी।

राजकोषीय औचित्य पर बने रहना किसी भी देश में किसी भी युग में आसान नहीं रहा है। जिस तरह पहाड़ी पर चढ़ा जाता है, जैसे-जैसे शिखर नजदीक आता है, समायोजन कठिनतर होते जाते हैं। 2005-06 की तरह, चालू वर्ष में भी, एफआरबीएम के निष्पादन बेंचमार्कों के मध्य-वर्षीय उल्लंघन के बावजूद, सरकार सजग व्यय-प्रबंधन के जरिए और कर-संग्रहण के बजटीय लक्ष्यों को पूरा करके एफआरबीएम की अपेक्षाओं के अनुरूप खरी उतरने के संबंध में निश्चित है। इस वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने से और 2007-08 के लिए स.घ.उ. के 3.4 प्रतिशत के लक्ष्य की बजटीय व्यवस्था करने से एफआरबीएम लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के सुदृढ़ संकेत मिलेंगे। व्यय की मदों को "राजस्व" और "पूंजी" में वर्गीकृत करने की मानक अन्तर्राष्ट्रीय परंपराओं पर बने रहकर और सृजनशील लेखांकन अपनाने का विरोध करके राजकोषीय समेकन के प्रति देश की निष्ठा संबंधित धारणा को ही बल मिलेगा।

सरकारी व्यय में धन का मूल्य प्राप्त कर पाना राजकोषीय सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिणाम बजट पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यय मद बिना किसी बर्बादी के या अन्यथा इस्तेमाल के वांछित परिणाम लेकर आए। पहले से चली आ रही योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ नई योजनाएं शुरू करने की प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। सरकारी व्यय में निष्पादन और मानीटरिंग में अवश्य ही सुधार होना चाहिए ताकि उच्च एवं समान वृद्धि के साथ-साथ मूल्य-स्थिरता बनाए रखने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी धन के मूल्य के संदर्भ में ही सेवाओं की सुपुर्दगी पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में, अभिप्रेत लाभ लक्षित लाभभोगियों तक पहुंचने ही चाहिए। यही क्षेत्र है

जहां विगत में सफलता बहुत सीमित रही है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, पेयजल, स्वच्छता और सड़कें ऐसी वस्तुएं/सेवाएं हैं जो अवश्य ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। खराब सुपुर्दगी के कारण ही बहुत बार सब्सिडी लाभभोगियों तक पहुंच नहीं जाती। सब्सिडी और उनकी सुपुर्दगी के मुद्दे पर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए। "फूड स्टाम्प" और स्मार्ट कार्ड जैसे बेहतरीन अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों की बात पहले उठाई गई है। इनमें से कुछ विचारों को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित करने में केन्द्र और एक या अधिक राज्य के बीच भागीदारी करने से महत्वपूर्ण सबक ग्रहण किए जा सकते हैं; यदि ये सफल हो जाएं तो इन्हें बढ़ाकर राष्ट्रभर में कार्यान्वित किया जा सकता है।

ऐसे क्षेत्रों में, जो अनिवार्यतया राज्यों के कार्य क्षेत्र में हैं, अनुदानों और आर्थिक सहायता के बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है। यह जरूरी है कि राज्य न सिर्फ ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करें जो उनके कार्यक्षेत्र में हैं, बल्कि इन कार्यक्रमों में वित्तीय भागीदारी करें और इनका स्वामित्व ग्रहण करें। यह अब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब हाल ही में बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के कार्यान्वयन से जिसमें ऋण-पुनर्संरचना और ऋण-माफी भी शामिल है, और वेट के सफल कार्यान्वयन से उनके अपने जबर्दस्त प्रयासों से राज्य के वित्त साधनों में पर्याप्त सुधार देखा गया।

सजग व्यय प्रबंधन के साथ राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। इस संदर्भ में कर-छूटों और रियायतों की भरमार हटाना महत्वपूर्ण होगा। 2006-07 में कर व्यय 1,00,147 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऐसी छूटें और प्रोत्साहन संसाधनों के आवंटन को विकृत करती हैं और उत्पादकता में अवरोध पैदा करते हैं। उनके परिणामस्वरूप दरों की बहुलता, कानूनी पेचीदगियां, वर्गीकरण विवाद, मुकदमेबाजी, कर-अनुपालन और प्रशासन की अधिक लागत की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। विगत में ऐसी छूटों को संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को बढ़ावा देने; उद्योगों के फैलाव; प्रचालन के स्तर और स्थान के आधार पर हानियों के प्रतिसंतुलन; और अवसंरचना सहित प्राथमिकता क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के आधार पर उचित ठहराया जाता था। सहायता प्राप्तकर्ताओं से बचने के लिए ये छूटें "सनसेट" कानून के अधीन होनी चाहिए क्योंकि कर-छूटें अक्सर उन्हें जारी रखने के समर्थक दबाव-गुट पैदा करती हैं।

सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में कर छूटों की व्यापक पुनरीक्षा के आधार पर क्रमशः 8, 68 और 6 छूटों को चालू वर्ष के बजट में वापस ले लिया गया है। प्रत्यक्ष कर में, कुछ सहकारी बैंकों और अवसंरचना में निवेश से आय हेतु और कुछ अन्य पात्र व्यवसायों को प्राप्त कर लाभ भी वापस ले लिए गए थे। इसके अलावा, राजस्व विभाग ने हित धारकों के विचार जानने के लिए इस समय उपलब्ध चुनिंदा कर छूटों/प्रोत्साहनों की सूचना और उन्हें जारी रखने के बारे में सुविज्ञ बहस के सृजन हेतु अपनी वेबसाइट पर डाला है।

iii. कृषि

भारतीय कृषि कम उपज और मूल्य-वर्धन कड़ी की सीढ़ी में निचली पायदान पर रहने के कारण हानि उठाती है। कृषि में उपज के स्तर मृदा की दशाओं (जो बहिर्जात है), मृदा गुणवत्ता के लिए निविष्ट-उपयोग विशिष्ट और कृषि पद्धतियों पर निर्भर करती है। उपज स्तरों में विशेषकर उन क्षेत्रों में जो तुलनात्मक रूप से कम उपज स्तर के हैं, उनमें कृषि पद्धतियों को सुधार कर महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मृदा-विशिष्ट पोषक तत्वों से उपज के स्तर बढ़ाए जा सकते हैं।

प्रौद्योगिकीय सफलता की कमी जिसमें बीजों की उन्नत किस्म और विद्यमान प्रौद्योगिकी के समावेशन शामिल है कृषि की एक प्रमुख समस्या रही है। उदाहरण के तौर पर, दालों के मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई है जिनका उत्पादन पिछले दशक में वस्तुतः गिरा है। इसी तरह, तिलहनों का उत्पादन भी अस्थिर रहा है। इन दोनों समूहों की खेती कम उपज वाली वर्षा-सिंचित स्थितियों में की जाती है और यह अभी विगत में मुद्रास्फीति दबाव का प्रमुख स्रोत रहा है।

कृषि में पूंजी निर्माण 2002-03 से 2004-05 अद्यतन वर्ष जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान तुलनात्मक रूप से अवरूद्ध रहा है (सारणी 17)। अन्य बातों के साथ भूमि विकास, बीज-संबद्ध प्रौद्योगिकी, जलसंभर विकास, उन्नत कृषि पद्धतियां और विस्तार सहायता के लिए निवेशों की जरूरत है। वर्ष 2004-05 में समाप्त वर्षत्रय में कृषि में निजी क्षेत्र द्वारा सकल नियत पूंजी निर्माण में आई गिरावट कृषि में प्रोत्साहन ढांचे के पुनःनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देती है।

सारणी 17 : कृषि में पूंजी निर्माण

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
सकल पूंजी निर्माण	52,055	55,880	55,110
सकल नियत पूंजी निर्माण	49,392	52,850	51,249
निजी क्षेत्र	40,658	38,190	35,863
सरकारी क्षेत्र	8,734	14,660	15,386
केन्द्र और राज्यों का संयुक्त पूंजी व्यय	12,638	18,302	25,829*
कृषि और संबद्ध सेवाएं	1,842	2,379	5,137*
वृहद् और मध्यम सिंचाई	9,740	14,327	18,032*
लघु सिंचाई	1,056	1,596	2,660*

* संशोधित अनुमान

कृषि के त्वरित और विविधीकृत विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने अन्य के साथ मृदा के स्वास्थ्य में सुधार, मृदा परीक्षण सुविधाएं और पोषण-अभाव की पहचान; जल संचयन, जल संरक्षण जिसमें जलाशयों का पुनर्निर्माण शामिल है; वहनीय ऋण की सुविधा और फसल व जीवन बीमा सुधार; उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए भी, विकास और प्रसार; और विपणन तथा उससे जुड़े सुधारों संबंधित अवसंरचना के सुझाव दिए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से पशु-फसल मूल्य वर्द्धन अब तक सिर्फ परिधि पर बना हुआ है। प्रसंस्कारित भोजन आम आदमी की पहुंच से बाहर है जबकि आपूर्ति श्रृंखला के अपर्याप्त समेकन के कारण काफी बर्बादी हो जाती है। यह जरूरी है कि खेत में उत्पादक से लेकर रसोई में उपभोक्ता के रुकावट रहित समेकन को प्रोत्साहित किया जाए।

वर्ष 2005-06 से, महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान और अंतिम अनुमान में काफी विचलन देखे गए हैं। हालांकि कुछ हद तक ये इस क्षेत्र की असंगठित स्वरूप और सूचना प्रवाहों में अंतर्निहित दोषों के कारण हो सकते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण न्यून-अनुमान मूल्यों और खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को जटिल बना देता है। इस मुद्दे की जांच और समय पर किये गये हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि अधिक विश्वसनीय उत्पादन अनुमान उपलब्ध कराए जा सकें।

मूल्य किसानों के लिए अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होते हैं। परन्तु भारत औसत सी 2-लागत आधारित राष्ट्रव्यापी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली अन्यायपूर्ण और विकृत है। वर्तमान मूल्य नीति उद्देश्यों की बहुलता से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित है - गरीब उपभोक्ताओं को सब्सिडी देना (मूल्य स्थिरता के माध्यम सहित), किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और व्यापारियों द्वारा बाजार के दुरुपयोग की संभावना कम करना - इन्हें सीमित साधनों से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि परिभाषा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी प्रवर्तित किया जाना चाहिए जब बाजार मूल्य विनिर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य से नीचे चला जाए, असल में यह तथ्यतः अधिप्राप्ति

मूल्य बन गया है जो गेहूं और धान के खुले बाजार व्यापार को जबरदस्त दबाव में डाल देता है और इसने इन अनाजों के लिए "बाजार मूल्य" के अन्वेषण को असंभव कार्य बना दिया है। इससे भी बढ़कर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपनी प्रकृति में एक विरोधाभास उभरा है जो असीमित खरीद की गारंटी देता है जबकि गरीब उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी व्यवस्था के प्रचालन हेतु अपेक्षित मात्रा एक सुनिश्चित मात्रा होती है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वास्तविक खरीद के पीडीएस के तहत वितरण हेतु अपेक्षित मात्रा से कम रहने या अपेक्षित मात्रा से बहुत अधिक हो जाने की संभावना बनी रहती है। किसानों को समर्थन मूल्य और राज्य द्वारा खरीद एक तरफ और दूसरी तरफ गरीब नागरिकों को सब्सिडी को स्पष्ट रूप से अलग-अलग करने की आवश्यकता है। खरीद भंडारण और वितरण लागत कम करने की जरूरत है।

जबकि समान और सम्मिलित अभिवृद्धि के लिए तेजी से बढ़ रहे उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के बढ़ते समानुपात को खपाने की कार्यनीति अनिवार्य है, यह जरूरी है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए दृष्टिकोण पत्र में कृषि के लिए लक्षित अभिवृद्धि बढ़ाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की जाए। कृषि की वर्द्धित वृद्धि ग्रामीण-शहरी खाई को पाटने के लिए ही नहीं बल्कि सूती वस्त्र, चीनी और अन्य खाद्य-प्रसंस्करण सहित गतिशील कृषि-आधारित उद्योगों को विश्वसनीय आपूर्ति का आधार सुरक्षित बनाने के लिए और चालू वर्ष में देखी गई गेहूं और दालों जैसी आपूर्ति-प्रबंधन समस्याओं से बचने के लिए भी अनिवार्य है।

iv. उद्योग

वर्ष 2004-05 से अवलोकित औद्योगिक पुनरुत्थान की रफ्तार बनाए रखना एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती बना हुआ है। वर्षानुवर्ष आईआईपी अभिवृद्धि का सितंबर, 2006 में 11.4 प्रतिशत से गिरकर अक्टूबर, 2006 में 6.2 प्रतिशत हो जाना निःसंदेह निराशाजनक है। परन्तु, आईआईपी अभिवृद्धि में सितंबर, 2005 में 7.2 प्रतिशत से इसी तरह की अस्थायी गिरावट - यद्यपि अक्टूबर, 2005 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् - नवंबर और दिसंबर 2005 में भी 6.0 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र ने औद्योगिक नियंत्रणों के उदासीकरण और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्रमिक सामेलन के परिणामस्वरूप पिछले पंद्रह वर्षों में अनेक तरीकों से सुदृढ़ता पाई है। फिर भी, अनेक रुकावटें हैं जो औद्योगिक निष्पादन को सीमित कर रही हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए दृष्टिकोण पत्र में विनिर्माण क्षेत्र की अभिवृद्धि के लिए विश्व-स्तर की अवसंरचना का न होना और कुशल जन-शक्ति की कमी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण अल्पावधि अवरोधों के रूप में पहचान की गई है। यह जरूरी है कि उद्योग की तरक्की के लिए सुसाध्य वातावरण की व्यवस्था करने के लिए अवसंरचना सुविधाएं विशेषकर सड़क, पत्तन और विद्युत को बढ़ाया जाए।

विनियामक संस्थाओं में "व्यवस्था के नियम" - औपचारिक नियम, अनौपचारिक मानदंड और इनके प्रवर्तन की विशिष्टता के मोटे तौर पर अर्थ शामिल करते हुए व्यवसाय की लागत कम करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। खनन क्षेत्र के विनियामक सुधार न समाप्त होने वाली कार्यसूची में शामिल हैं। यह विडम्बना है कि कोयले के महत्वपूर्ण भंडार वाला देश संयुक्त राज्य और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश निरंतर अपर्याप्त घरेलू आपूर्ति और कोयले की कमी से ग्रसित है। वर्षानुवर्ष के अर्थ में आईआईपी में खनन की अभिवृद्धि मई 2004 से प्रत्येक महीने में समग्र आईआईपी अभिवृद्धि से काफी पीछे रही है।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र में अपर्याप्त रोजगार अभिवृद्धि असंतोष का स्रोत बनी हुई है। दो-अंकीय स्तर पर आंकड़े दर्शाते हैं कि कागज, खाद्य उत्पाद और चमड़ा उत्पाद जैसे पारंपरिक श्रम प्रधान विनिर्माण उप-क्षेत्रों विनिर्माण क्षेत्र के सुदृढ़ समग्र कार्य निष्पादन के साथ नहीं चल सके हैं। प्रमुख अभिवृद्धि सिर्फ पूंजी प्रधान उप-क्षेत्रों में ही हुई है। यह वर्तमान श्रम कानूनों में लोच और उसकी कमी के पुनरीक्षण और देश में प्रशिक्षण कौशल विकास की गुणवत्ता और विस्तृत विश्लेषण तथा अच्छी तरह से जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

v. मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेजी

मुद्रास्फीति पर कुछ उर्ध्वगामी दबाव देखते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आपूर्ति प्रबंधन, शुल्क में कमी और मौद्रिक व्यवस्था में कठोरता जैसे उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। इससे भी बढ़कर कच्चे पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मंदी ने भी संभावना के मोर्चे पर कुछ राहत दी है। फिर भी, उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विनिर्मित उत्पादों में धीरे धीरे रेंगती हुई मुद्रास्फीति (1 अप्रैल के 1.9 प्रतिशत से 1 जुलाई को 3.5 प्रतिशत तथा 30 सितम्बर को 4.1 प्रतिशत) ने मिलकर अर्थव्यवस्था की अत्यधिक तेजी के बारे में कुछ चिंताएं पैदा की हैं।

तेजी का मामला इस मूलभूत प्रश्न से संबंधित है कि क्या देश अपनी वृद्धि क्षमता से अधिक बढ़ रहा है जिससे इसके श्रमिक बल तथा पूंजी स्टॉक पर दबाव पड़ रहा है और इस प्रकार मुद्रास्फीतिकारी अस्थिरताएं पैदा हो रही हैं। वर्तमान भारतीय परिस्थिति की चीन की परिस्थिति से तुलना की गई है जहां "अत्यधिक तेजी" काफी समय से कुछ क्षेत्रों में चिंता का विषय बनी हुई है। अत्यधिक तेजी के विभिन्न संकेतक इस प्रकार हैं: घरेलू मांग के माप के रूप में व्यापारिक आयात में वृद्धि; खपत मांग के माप के रूप में खुदरा बिक्री; निवेश की मांग के लिए प्रोक्सी के रूप में औद्योगिक बिक्रियाँ; मुद्रा आपूर्ति; ऋण-चक्र के चरण के लिए प्रोक्सी के रूप में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना; तथा श्रम बाजार की स्थितियों के माप के रूप में प्राप्ति व्यक्ति आय। जहां हाल ही के समय में वृद्धि चीन में भारत से भी अधिक रही है, भारत में चालू खाते का घाटे की तुलना में चीन का चालू खाता अधिशेष, तथा भारत की अपेक्षा चीन की कमतर मुद्रास्फीति की स्थिति से भारत चीन से भी अधिक "तेज" रहने की प्रवणता वाला देश होने का निष्कर्ष निकलता है। यह जिक्र करना आवश्यक है कि चीन में "तेजी" के बारे में नित्यक्रम की चिंता प्रकट करने पर भी वर्ष 1995 तथा 2005 के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था में 9.1 प्रतिशत की दर से विकास जारी रहा।

जहां तक भारत का संबंध है, 'अत्यधिक तेजी' की चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पहले जहां चालू घाटे के वहनीय स्तर के बारे में कुछ निश्चित कहना कठिन है, यह संभावना नहीं है कि ऐसे घाटे का वर्तमान स्तर खतरे का कारण है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (2006) की समिति ने संकेत किया है कि चालू खाता घाटे को स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के अनुपात में आराम से वित्त पोषित किया जा सकता है तथा नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता तभी पड़ेगी यदि अनुपात 3 प्रतिशत से काफी अधिक हो जाए। योजना आयोग ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के अपने दृष्टिकोण पत्र में इस समस्या-निवारण की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

दूसरे, हाल ही के समय में मांग का बदलता संघटन जो अर्थव्यवस्था की उच्चतर विकास दर को समर्थन देने हेतु उत्पादन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय खातों में खपत तथा निवेश के 2004-05 तक उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि 2004-05 में चालू बाजार कीमतों में स.घ.उ. में 13.1 प्रतिशत वृद्धि में निवेश का 6.8 प्रतिशतांक का योगदान हाल के वर्षों में पहली बार 6.1 प्रतिशतांक की निजी खपत व्यय के तदनु रूप योगदान से अधिक हुआ है। पूंजीगत सामानों का उत्पादन (आईआईपी के अनुसार) तथा आयात, जो निवेश मांग तथा अर्थव्यवस्था में व्यापारिक आत्मविश्वास का द्योतक है, अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

तीसरे, विगत में कुछ अर्थव्यवस्थाओं की अत्यधिक तेजी का संबंध भुगतान संतुलन के माध्यम से आनुमानिक ऋण प्रवाहों से रहा है जिसके कारण अत्यधिक नकदी का विस्तार तथा विनिमय दर में तीव्र वास्तविक वृद्धि हुई है। हालांकि निवल विदेशी अंतर्वाहों ने हाल के समय में भारत में धन आपूर्ति की वृद्धि को प्रेरित किया है, ऐसे प्रवाह ऋण सृजित न करने वाले स्वस्थ के रहे हैं तथा रुपये की विनिमय दर बाजार में सुव्यवस्थित स्थितियां बनी रही हैं।

चौथा, स्टॉक बाजार कोरिया, मलेशिया तथा थाईलैंड जैसे कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों से भी सचमुच अधिक उत्साहजनक बना रहा है। हालांकि स्टॉक बाजार के उपयुक्त मूल्यांकन के बारे में निर्णय देना जोखिम वाला कार्य है, बीएसई सूचकांक के मूल्य अर्जन अनुपात में वृद्धि जो मार्च अंत 2006 के 20.92 से बढ़कर सितम्बर अंत 2006 को 21.34 हो गई, यह संकेत करती है कि स्टॉक मूल्यांकन में वृद्धि का एक हिस्सा संभवतः उच्चतर कार्पोरेट अर्जन तथा अर्थव्यवस्था में उच्चतर वृद्धि की आशा के कारण हो सकता है।

पाँचवा, हाल के समय में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें अर्थव्यवस्थाओं ने 8-9 प्रतिशत अथवा लगातार कई वर्षों तक उच्च वार्षिक दरों पर विकास किया है। जापान ने 1960 तथा 1970 के बीच में 10.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से विकास किया। चीन ने 1987 के बाद के 19 वर्षों में से 14 वर्षों में 8 प्रतिशत से अधिक की दर पर विकास किया है, तथा हाल के कई वर्षों में द्विअंकीय, उदाहरणार्थ 1992-95 के दौरान 12.7 प्रतिशत की दर से विकास किया है।

वास्तव में, स्थायी आधार पर निवेश तथा विकास को बढ़ाने में सहायता देने के लिए वृहत् आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए निरन्तर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह विशेषतः बड़े वैश्विक वृहत् आर्थिक असंतुलों तथा मुद्रा बाजार में अनिश्चितता के मौजूदा संकट में बहुत जरूरी है। वर्तमान मुद्रास्फीति की समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा गेहू तथा दालों जैसे उत्पादों से संबंधित वस्तु विशेष की आपूर्ति की समस्याओं से प्रेरित है। मूल्य वृद्धि की समस्या का स्थायी समाधान ऐसे उत्पादों में पैदावार तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने में ढूंढा जाना है। साथ ही साथ, वृहत् आर्थिक नीति की प्रतिक्रिया अनुदर्शी की बजाय अग्रदर्शी होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, भविष्य में पूर्वानुमानित स्फीतिकारी समस्याओं की प्रतिक्रिया के रूप में कठोरता बरती जानी चाहिए, न कि स्फीतिकारी दौर में जो पहले ही आ चुका है। यदि निवेश निरन्तर उत्साहजनक बना रहता है तथा कार्यक्षमता बेहतर होती है, तो अत्यधिक तेजी की समस्या कम वास्तविक तथा अधिक काल्पनिक साबित हो सकती है।

vi. अवसंरचना

कमजोर अवसंरचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दुर्योधन की जांघ बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में चल रहे विकास के संवेग की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए, देशभर में गुणवत्तापूर्ण तथा कार्यक्षम अवसंरचना सेवाओं का आधार होना आवश्यक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में 14,50,000 करोड़ रुपए अथवा लगभग 320 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता होगी। ये निवेश जहां भी व्यवहार्य हों, सरकारी निवेश, सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा केवल निजी नियोजनों के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किए जाने हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी समिति ने वर्ष 2012 तक कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की जरूरतों का अनुमान लगाया है: राजमार्गों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए 2,20,200 करोड़ रुपए; नागर-विमानन के लिए 40,000 करोड़ रुपए, पत्तनों के लिए 50,000 करोड़ रु. तथा रेलवे के लिए 3,00,000 करोड़ रु. जिसका 40 प्रतिशत पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र से आने की आशा है।

तीव्र सुधार एक साथ तीन मोर्चों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रथम, "प्रयोक्ता भुगतान करें" के सिद्धान्त की अपवाद की अपेक्षा नियम के रूप में स्वीकृति। बिजली तथा जल आपूर्ति में कमी तथा विश्वसनीय उपलब्धता की समस्या जारी है; तथा कमजोर ऊर्जा और पानी के वैकल्पिक स्रोतों के लिए भुगतान कर रहा है जबकि तथाकथित धनी जनोपयोगी सेवाओं की सब्सिडी प्राप्त आपूर्ति से अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा रहे हैं। हाल के समय में दूरसंचार क्रांति "प्रयोक्ता भुगतान करें" के सिद्धान्त की ओर चलने के लाभों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। दूसरे, राजस्व व्यय राजकोषीय गुंजाइश को सृजित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें वे सब्सिडी शामिल हैं जिन्हे लागत वसूली की संभावना न होने वाले, उदा. ग्रामीण सड़कें, विशिष्ट अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए दिया जाता है तीसरे वापसी अदायगी की दीर्घ अवधि वाली अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधि निधि मुहैया कराने के लिए उपयुक्त वित्तीय क्षेत्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें विशेषतः गतिशील बांड बाजार का विकास तथा पेंशन और बीमा सुधार करना शामिल है। हालांकि दीर्घावधि ऋण जरूरतों तथा अवसंरचना परियोजनाओं की इक्विटी को जुटाने के लिए अवसंरचना विकास वित्त निगम (आईडीएफसी) तथा हाल ही में परिचालित की गई आईआईएफसीएल जैसी संस्थाएं हैं, फिर भी निधियों की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे केवल इन संस्थाओं द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऋण बाजार को गहराई प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि जोखिमों को विविधीकृत किया जा सके तथा अधिक पूंजी प्राप्त की जा सके। कार्पोरेट बांडों के लिए एक एकल, एकीकृत एक्सचेंज व्यापारित बाजार अवसंरचना में वित्तपोषण के लिए परिपक्व ऋण बाजार सृजित करने में मदद करेगा।

मध्यवर्षीय समीक्षा की सामग्री

वर्ष 2006-07 की प्रमुख बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति वर्ष 2006-07 की कुछ प्रमुख बजट घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण तथा आज तक उनके कार्यान्वयन की प्रास्थिति नीचे दर्शाई गई है:

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	3	क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना	आपदाग्रस्त राज्यों की जरूरतों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया था। राज्यों से दीर्घावधि पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए अपनी विस्तृत जरूरतों की सूचना को भेजने का अनुरोध किया गया था। इनकी योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है तथा अन्तर मंत्रालयीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
2.	8	चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजी) के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार पर 11,700 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने की आशा है।	एनआरईजी अधिनियम के तहत आज तक 5603.15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
3.	18	वर्ष 2006-07 के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 500,000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जाना है तथा 150,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।	सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए कुल 5 लाख अतिरिक्त कक्षाओं के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2006-07 के दौरान 1,96,828 शिक्षकों के पदों को अनुमोदित किया है।
4.	21	जिला स्तर पर जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा भूतल-जल परीक्षण किटों के लिए सरकार वर्ष 2006-07 में 213 करोड़ रुपए की अनावर्ती सहायता उपलब्ध कराएगी।	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुवीक्षण और निगरानी कार्यक्रम फरवरी 2006 में शुरू किया गया था ताकि प्रयोक्ता अनुकूल फील्ड परीक्षण किटों की मदद से आधारभूत स्तर पर पेयजल स्रोतों के अनुवीक्षण और निगरानी के लिए सामुदायिक भागीदारों को संस्थागत रूप दिया जाए, जिसके बाद सकारात्मक नमूनों की जांच जिला और राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं में की जाए। वर्ष 2006-07 के लिए इस प्रयोजनार्थ 124 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। चूंकि यह मांग प्रेरित कार्यक्रम है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा निधि को उपयोग में लाए जाने के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो इस राशि में वृद्धि की जाएगी।
5.	23	वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 200,000 से अधिक संबद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं(आशा) को पूर्णतः कार्यात्मक बनाना है तथा 1,000 से अधिक ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चौबीस घंटे सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।	31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.94 लाख संबद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) पहले ही कार्यरत थे तथा वर्ष 2006-07 के दौरान 73,467 उक्त कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में मौजूदा 3346 सामुदायिक केन्द्र 24x7 आधार पर पहले ही से काम कर रहे हैं।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
6.	24	दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियो का उन्मूलन करना।	हालांकि चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गतिरोध आ गया था, किन्तु पोलियो वैक्सिन के प्रयोग के माध्यम से प्रतिरक्षण सहित पल्स पोलियो कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि दिसम्बर 2007 तक पोलियो का उन्मूलन करने का लक्ष्य पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।
7.	26	एनआरईजी अधिनियम में रोजगार की कानूनी गारंटी होने के कारण आवश्यकतानुसार अधिक निधि उपलब्ध कराई जाएगी।	एनआरईजी अधिनियम मांग से प्रेरित है। यदि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक निधि की आवश्यकता हो, तो सरकार उसके लिए प्रावधान करेगी। निधि के अप्रयुक्त रहने के स्थिति में, उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाएगा क्योंकि एनआरईजीए के अंतर्गत विनियोजित निधियां व्यपगत नहीं होती।
8.	27	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को 3 दिसम्बर, 2005 को शुरु किया गया था। 6,250 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के मुकाबले वर्ष 2006-07 के दौरान 4,595 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।	सरकार ने बंगलौर तथा मुंबई मेट्रो परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। गुजरात में, बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली) का जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वित्तपोषण किया जा रहा है। जेएनएनयूआरएम में शामिल करने के लिए बस त्वरित परिवहन प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अहमदाबाद, जयपुर, पुणे तथा इंदौर से भी प्राप्त हुई हैं।
9.	28	नए नगरों की स्थापना के लिए सरकार सक्रिय बढ़ावा देगी।	पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक से विभिन्न नए औद्योगिक नगरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
10.	29	65 वर्ष से अधिक आयु वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिमाह करना	सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन राशि को 1 अप्रैल 2006 से 75 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
11.	33	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम को दिए जाने वाले इक्विटी अंशदान में वर्ष 2006-07 में वृद्धि की जानी है।	तदनुसार, वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में बजट प्रावधान किए गए हैं।
12.	34	मौलाना आजाद शैक्षिक फाउंडेशन की संचित निधि को दोगुना करके 200 करोड़ रुपए करना।	मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आदेश जारी किए जा रहे हैं।
13.	35	अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले जिलों के कारीगरों तथा बुनकरों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम अपने प्रयासों में तेजी लाएगा।	"अल्पसंख्यक कारीगर सम्मिश्र क्रेडिट योजना" के अंतर्गत चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की 4 नए इलाकों (क्लस्टर) को अपनाने के लिए पहचान की गई है।
14.	36	राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद (एनसीपीयूएल) का आबंटन 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपए करना	कार्यान्वित

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
15.	37	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु सरकार योग्यता-सह-साधन आधार पर 20,000 छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करेगी।	अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
16.	38	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 1000 नए आवासीय विद्यालयों को वर्ष 2006-07 में खोला जाएगा। आठवीं कक्षा पास करके माध्यमिक विद्यालय में जाने वाली बालिका के नाम से 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे जिसे 18 वर्ष की आयु होने पर वह आहरित करने की हकदार बनेगी।	और एक हजार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मंजूरी देने तथा बालिका को आगे और प्रोत्साहित करने के प्रावधानों के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
17.	39	बजट सत्र के समाप्त होने से पहले प्रथम परिणाम बजट पर निष्पादन बजट को प्रस्तुत करना तथा वर्ष 2006-07 के परिणाम बजट को 17 मार्च 2006 तक सदन में रखना।	कार्यान्वित
18.	41	केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (रेलवे सहित) को सरकार 16,901 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता तथा 2,789 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगी।	कार्यान्वित
19.	42	रत्न तथा आभूषण क्षेत्र की संभावनाओं तथा भारत तथा विदेशों में प्रचलित कराधान पद्धति पर विचार करने के लिए तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना	रत्न तथा आभूषण क्षेत्र में कराधान हेतु सिफारिशें करने के लिए राजस्व विभाग में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच चल रही है।
20.	45	जल प्रयोक्ताओं की संस्थाओं के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन की अनुमति देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नवीकरण करेगा।	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कानूनी जानकारी को मुहैया कराने के लिए दस राज्य सरकारों ने पहल की है। देश में अब तक विभिन्न राज्यों में 61,022 जल प्रयोक्ता संस्थाएं बनाई गई हैं। जहां तक कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन, का संबंध है, खेतों में नहरों के विनिर्माण कार्य को शुरु करने से पहले भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) अधिनियम अथवा विद्यमान संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जल प्रयोक्ता संस्थाएं बनाना आवश्यक है।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
21.	46	जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुन सुधार करने का कार्यक्रम 13 राज्यों के 23 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। सहभागी राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाना है तथा 2006-07 में उस राज्य के जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनः सुधार का कार्य किया जाना है।	योजना आयोग ने "विदेशी सहायता से जलाशयों का पुनः सुधार" परियोजना के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है। यह परियोजना चार राज्यों-आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में कार्यान्वित की जानी है। सरकार ने परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है।
22	47	बैंक वर्ष 2006-07 में क्रेडिट स्तर को बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए करेंगे तथा अपने पोर्टफोलियो में और 50 लाख किसानों को भी शामिल करेंगे।	नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों को 2006-07 के दौरान 1,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य सूचित कर दिया है जिसमें उन्हें 2005-06 के दौरान कृषि वितरण के हासिल लक्ष्य की तुलना में 2006-07 में 30% वृद्धि करने और ऋण परिधि में और 50 लाख नए किसान शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
23	48	100,000 तक की मूल राशि पर उधारकर्ता की ब्याज देनदारियों के दो प्रतिशतांक की समतुल्य राशि को उसके बैंक खाते में 31 मार्च 2006 के पहले जमा किया जाना।	कार्यान्वित
24.	49	सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसान मूलधन पर 300,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 7 प्रतिशत पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करें।	कार्यान्वित
25.	50	आरआईडीएफ XII की संचित निधि को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक किया जाएगा।	कार्यान्वित
26.	51	आरआईडीएफ से निधि प्राप्त करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को अनुमति देना।	पीपीपी मॉडल के अंतर्गत नई भागीदारियों पर विचार करने के लिए नाबार्ड द्वारा बाहरी एजेंसियों तथा कुछ राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करना प्रारंभ किया गया है।
27.	52	ग्रामीण सड़कों के लिए आरआईडीएफ XII के अंतर्गत अलग खिड़की खोलना	सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान 4000 करोड़ रुपए की संचित निधि के साथ ग्रामीण सड़कों के लिए आरआईडीएफ XII के अंतर्गत अलग खिड़की स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
28.	54	विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना करना	प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
29.	55	लघु वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास तथा विनियमन के लिए एक औपचारिक सांविधिक संरचना का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना	विधि मंत्रालय के परामर्श से मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है।
30.	56	बैंकिंग क्षेत्र वर्ष 2006-07 में अन्य 3,85,000 स्व-सहायता समूहों को ऋण देगा	कार्यान्वित

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
31.	57	बैंकिंग कार्यक्षेत्र के भीतर अधिक कृषक परिवारों को लाने की दृष्टि से एक वित्तीय समावेशन समिति नियुक्त की जाएगी।	कार्यान्वित
32.	58	देश के विभिन्न भागों में मॉडल टर्मिनल बाजारों को स्थापित करने के लिए पीपीपी मॉडल को प्रयोग में लाया जाना है। शीघ्र ही राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।	टर्मिनल बाजार योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंध्रप्रदेश संस्था पंजीकरण अधिनियम 2001 के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को हैदराबाद में 9-9-2006 को कृषि मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया था।
33.	60	अक्टूबर 2005 में शुरू किए गए समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत 25 वस्त्र पार्कों का निर्माण करना	26 समेकित वस्त्र पार्कों को विकसित करने के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक कार्यान्वयन समय सूची के अनुसार, निर्माण जनवरी 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा।
34.	61	1. सरकार स्वर्णिम रेशे की क्षमता को काम में लाने के लिए वर्ष 2006-07 में जूट प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करेगी। 2. एक राष्ट्रीय जूट बोर्ड स्थापित किया जाएगा।	1. जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 2. बजट सत्र के दौरान संसद में राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया था तथा जांच करने के लिए विभाग से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।
35.	62	1. इलाका (क्लस्टर) विकास तरीका जारी रखा जाएगा। वर्ष 2006-07 में 100 अतिरिक्त इलाकों को 50 करोड़ रुपयों की लागत पर शामिल किया जाएगा। 2. बुनकरों को सूत की अबाधित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में सूत डिपो स्थापित किए जाएंगे। 3. "हैंडलूम" मार्क शुरू करना। 4. हैंडलूम क्षेत्र को सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जैसी योजना शुरू की जाएगी।	1. योजना के दिशानिर्देशों को तैयार किया जा रहा है तथा इलाकों की पहचान की जा रही है। 2. सूत डिपो को स्थापित करने की योजना निर्माणाधीन है। 3. हैंडलूम मार्क/लोगो को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 जून 2006 को प्रारंभ किया गया था। 4. योजना 28 जुलाई 2006 को शुरू की गयी है।
36.	63	खाद्य प्रसंस्करण को बैंक से उधार लेने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र माना जाना है।	नाबार्ड को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए ही 1000 करोड़ रुपए की पुनः वित्त की सुविधाओं के बारे में सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
37.	64	बड़े पेट्रोलियम, रासायनिक तथा पेट्रो-रासायनिक निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) के विकास को सुसाध्य बनाने हेतु कार्य बल गठित किया जाएगा। वर्ष 2006-07 के दौरान 3 निवेश क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।	मसौदा पीसीपीआईआर नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
38.	65	अर्ध-संवाहक तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारत को तरजीही गन्तव्य बनाने का समय आ गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगा।	यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष है।
39.	66	लघु उद्योग मंत्रालय प्रारक्षण से हटाने के लिए 180 वस्तुओं की पहचान करेगा।	कार्यान्वित
40.	67	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा ऋण देने के लिए नई प्रेरणा देने हेतु किए गए उपाय।	(i) सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। (ii) लघु उद्योग सीजीटीएसआई के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास की संचित निधि को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपए करना "सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के संवर्धन के पैकेज" का एक घटक है जिस पर सरकार विचार कर रही है। (iii) सीजीटीएसआई ने सभी ऋणों के लिए एकावधि गारंटी शुल्क को 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया है। (iv) सीजीटीएसआई ने उधारकर्ताओं जिनकी पहचान प्रमुख प्रोत्साहक के रूप में की जाती है, को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए जीवन बीमा निगम के साथ व्यवस्था की है।
41.	68	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी परिषद (एनएमसीसी) ने एक पांच वर्षीय राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। दस योजनाएं तैयार की गयी हैं।	एनएमसीसी द्वारा अपने पांच वर्षीय "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी" कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई दस योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
42.	69	प्रधानमंत्री मंत्रियों के एक अधिकार-प्राप्त दल का गठन करेंगे जो इलाके के विकास के लिए एक नीति बनाएगा तथा उसके कार्यान्वयन को देखेगा।	इलाके के विकास के लिए नीति बनाने के लिए तथा उसके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त दल को गठन करने हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।
43.	70	पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2006-07 के दौरान समेकित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाकर 15 पर्यटन स्थलों तथा सर्किटों के विकास का कार्य करेगा।	पर्यटन मंत्रालय का प्रस्ताव विभिन्न स्थानों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अवसंरचना इसकी पहली आवश्यकता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 16 सर्किटों/स्थलों का विकास किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्थलों/

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सर्किटों का मास्टर प्लान आईटीडीसी द्वारा तैयार किया जाएगा। इन सभी परिजनाओं में प्रत्येक का 25-50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों तथा सर्किटों के लिए विश्व स्तर के अवसंरचना के विकास के लिए क्रमशः अधिकतम 25 करोड़ रुपए तथा 50 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के दिशानिर्देशों को संशोधित करने को मंजूरी दे दी है।
44.	72	दिसम्बर, 2007 तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 250 मिलियन तक पहुंचना।	फिक्स्ड तथा मोबाईल कनेक्शनों की कुल संख्या 31 अगस्त, 2006 की स्थिति के अनुसार 164.05 मिलियन तक पहुंच गई थी।
45.	73	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को संशोधित करने के लिए बजट सत्र के दौरान विधेयक प्रस्तुत करना।	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन करने का विधेयक संसद में 19 मई 2006 को प्रस्तुत किया गया है।
46.	74	उत्पादन, पारेषण तथा वितरण करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2007 तक 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।	दसवीं योजना के दौरान 17,493 मेगावाट निर्माण क्षमता बढ़ाई गई है।
47.	75	31 दिसम्बर, 2006 से पहले प्रत्येक 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली पांच अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं को मंजूरी देना।	सासन (म.प्र.) तथा मुंद्रा (गुजरात) की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेशों की सहबद्धता के लिए तैयारी जोर शोर से जारी है। सासन तथा मुद्रा के लिए बोलीकर्ताओं के चयन को इस वर्ष के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है। दोनों परियोजनाओं की डीपीआर को तैयार कर लिया गया है तथा बोलीकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। उड़ीसा में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए, बेदाबहल, जिला सुन्दरगढ़ अथवा झारसुगुड़ा जिलों में प्रस्तावित स्थान के लिए राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।
48.	76	बिजली के पारेषण तथा वितरण में सुधार करने के लिए एक समर्थकारी तथा शक्तिशाली ढांचे को सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करेंगे।	राज्य के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों तथा राज्य के विद्युत मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति बनाने के लिए टिप्पणी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख देने का अनुरोध किया गया है।
49.	78	वर्ष 2006-07 में 40,000 और गांवों में बिजली पहुंचाई जानी है।	सितम्बर 2006 तक 18,179 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है।
50.	79	विद्युत परियोजनाओं के लिए 20 बिलियन टन कोयला भण्डार पर लगी सीमा हटाना।	सरकारी कंपनियों/अनुमत प्रयोक्ताओं को आबंटन के लिए लगभग 20 बिलियन टन के भंडारों के 81 खंडों की पहचान की जा चुकी है।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
51.	83	1,000 किमी के अभिगमन-नियंत्रित एक्सप्रेस-वे को विकसित करना।	बड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाओं को पूरा करने के लिए परामर्शदात्री फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के अनुरोध को अंतिम रूप दिया गया है तथा प्रस्ताव के आमंत्रण का नोटिस जारी किया गया है। प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है और विस्तृत प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
52.	84	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पुनर्संरचना की जानी है।	एनएचएआई की पुनर्संरचना की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
53.	86	(i) पश्चिम बंगाल में एक नए गहरे तलछट पत्तन के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करने हेतु विस्तृत अध्ययन करना। (ii) चेन्नई का वर्तमान राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान जिसका नाम परिवर्तन करके नेशनल मेरिटार्इम अकादमी रखा गया है, को संसद के अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा करना।	प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। (ii) तौर-तरीके तैयार किया जा रहे हैं।
54.	87	पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता के अंतर के वित्तपोषण के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गुजरात में तीन सड़क परियोजनाओं को सिध्दान्त रूप से अनुमोदन दिया गया है तथा अंतिम निर्णय 31 मार्च 2007 के पहले लिए जाने की संभावना है।	पीपीपी परियोजनाओं को अर्थक्षमता संबंधी अंतर के वित्तपोषण के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की 17 परियोजनाओं को सिद्धांत रूप से अनुमोदन दिया गया है।
55.	88	गैर विक्रेय विशेष प्रतिभूतियों का विक्रेय एसएलआर, भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के माध्यम से विशेष प्रतिभूतियों को खोला जाना।	सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए "पुनः पूंजीकरण बांड (विशेष प्रतिभूतियां) का "विक्रेय, एसएलआर, भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां" में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है।
56.	89	वर्ष 2006-07 में बीमा के संबंध में व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना।	बीमा कानूनों का मसौदा विधेयक मंत्रिमंडल के समक्ष है।
57.	90	बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने तथा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण की स्थापना के महत्वपूर्ण विधेयकों पर कार्रवाई करना।	* पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 में आधिकारिक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें अनुवर्ती विचार विमर्श के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। चूंकि ये चर्चाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			<ul style="list-style-type: none"> * आरबीआई संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा मई 2006 में पारित किया गया है। * बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक को संसद, 2006 के शीतकालीन सत्र में विचार तथा पारित करने के लिए रखा जाएगा। * बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अगस्त, 2006 में पारित कर दिया गया है।
58.	91	पूंजी बाजार को गहराई, व्यापकता तथा मजबूती देने के लिए उपाय	<p>पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।</p> <p>(i) सेबी द्वारा 5 अप्रैल 2006 को सरकारी प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट ऋण में एफआईआई निवेश की सीमा को बढ़ाया गया है।</p> <p>(ii) निम्नलिखित के लिए आवश्यक परिपत्रों को जारी किया गया है:</p> <p>(i) विदेशी लिखतों में म्यूचुअल फंडों के द्वारा किए गए कुल निवेश की उच्च सीमा को बढ़ाने के लिए तथा (ii) विदेशी एक्सचेंज में व्यापार किए जाने वाले फंड में संचयी रूप से 1 बिलियन डालर तक निवेश करने के लिए सीमित अर्हता -प्राप्त भारतीय म्यूचुअल फंडों को अनुमति देने के लिए।</p>
59.	92	एनडीएस-ओएम की पहुंच को उपयुक्त म्यूचुअल फंडों, भविष्य निधियों पेंशन निधियों तक विस्तारित करना	कार्यान्वित
60	93	कार्पोरेट बांडों के लिए एकल एकीकृत एक्सचेंज व्यापारित बाजार के सृजन के लिए कदम उठाना	सेबी तथा आरबीआई ने कार्पोरेट बांड तथा प्रतिभूतिकरण पर आर.एच.पाटिल की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए एक आंतरिक कार्य दल गठित किया है।
61	94	कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना को जुलाई, 2006 में शुरू किया जाना है।	कार्यान्वित
62	95	सरकार कार्यरत उद्यमियों को समर्थकारी रियायतें उपलब्ध कराएगी।	कार्यरत उद्यमियों को समर्थकारी रियायतें उपलब्ध कराने के लिए परामर्श किया जा रहा है।
63	96	अपनी 150वीं वर्षगांठ के आरंभ को मनाने के लिए कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों को उनके विनिर्दिष्ट अनुसंधान विभाग अथवा अनुसंधान कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपयों	मद्रास, मुंबई तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अकादमिक मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा गया था। योजना आयोग से भी प्रस्ताव को अपना "सिद्धान्त रूप

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	वजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक को और 50 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।	में" अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया है।
64	97	हरित क्रांति में उसके अग्रगामी सहयोग को स्वीकार करते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देना	100 करोड़ रुपए के अनुदान को उपयोग में लाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
65	98	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, केरल को स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान की मान्यता देना	जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा केरल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है तथा उसके निष्पादन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
66	99	(i) सरकार ने पाँच वर्षों में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने का कार्यक्रम शुरू किया है। 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अभी निजी क्षेत्र की सहायता की सीमा के अंतर्गत लाया गया है। शेष 400 आईटीआई को शामिल करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से सहायता मांगी जा रही है। (ii) पिछले वर्ष घोषित कौशल विकास पहल (एसडीआई) को पीपीपी योजना के माध्यम से लागू किया गया है।	(i) विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में 100 आईटीआई के उन्नयन के लिए पूर्वप्रभावी वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए सैद्धान्तिक रूप में सहमति दे दी है। (ii) विद्यालय छोड़ चुके तथा विद्यमान विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के कौशल विकसित करने के लिए एक नया कार्यनीति ढांचा श्रम मंत्रालय द्वारा उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र के लघु उद्यमों, राज्य सरकारों तथा विद्वानों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।
67	100	पंचायती राज मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना करना	कार्यान्वित
68	101	i) सरकार जम्मू तथा कश्मीर को विशेष सहायता मुहैया कराना जारी रखेगी ii) विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राज्य को समर्थ बनाने हेतु 1,300 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय योजना सहायता का प्रावधान	(i) वर्ष 2006-07 के लिए जम्मू तथा कश्मीर की राज्य योजना 3500 करोड़ रुपये पर नियत की गई है। प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना की राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए 847.67 करोड़ रुपये की राशि भी मुहैया कराई गई। पुनर्निर्माण योजना के आवंटन में बाघलियर परियोजना के 230 करोड़ रुपए शामिल हैं। (ii) विद्युत क्षेत्र के घाटे से निपटने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए जम्मू तथा कश्मीर सरकार, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
69	104	शीघ्र ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना को अनुमोदित किया जाना है	सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एनईजीपी) के दृष्टिकोण तथा प्रमुख घटकों को अनुमोदित किया है।

(अनुबंध जारी)

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
70	105	प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ की तैयारी की गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करना।	कार्यान्वित
71	106	वर्ष 2006-07 में दो गांधीवादी संस्थानों, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, राजघाट तथा कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि, इन्दौर की संचित निधि में प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।	कार्यान्वित
72	107	कुट्टीयट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार तथा रामलीला जैसी प्राचीन कलाओं के लिए वर्ष 2006-07 में 5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान	कार्यान्वित
73	173	कर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।	(i) आयकर विभाग को जुलाई 2007 तक पूर्ण कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है। (ii) केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने एक व्यापार प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी (बीपीआर) के प्रयोग की पहल की है। इस कार्यक्रम में, विद्यमान प्रक्रियाओं की संपूर्ण समीक्षा तथा प्रक्रिया स्वचलन में चालू उपक्रम को लिया गया है। सीमा शुल्क में जोखिम प्रबंधन बीपीआर की उपलब्धियों में से एक है। विभाग के विकास के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण घटकों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचलन और समेकित सीमाशुल्क प्रणाली हैं। इन उपायों से संगत विभाग के पुनर्संगठन संबंधी दृष्टिकोण पेपर तैयार किया जा रहा है।

मुख्य संकेतक

मर्दें	(निरपेक्ष मूल्य)				अद्यतन स्थिति				
	2004-05	2005-06	प्रतिशत	प्रतिशत	2005-06	2006-07	अवधि	प्रतिशत	प्रतिशत
			परिवर्तन	परिवर्तन				परिवर्तन	परिवर्तन
			2004-05	2005-06				2005-06	2006-07
1क. वर्तमान कीमतों पर घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रूपए)	2844(त्व)	3209(सं.)	11.8	12.9	1470	1673	अप्रैल-सित.एच।	12.9	13.8
1ख. 1999-2000 की कीमतों पर घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	2394(त्व)	2595(सं.)	7.5	8.4	1195	1303	अप्रैल-सित.एच।	8.5	9.1
2. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (हजार करोड़ रूपए) (1999-2000 की कीमतों पर)	497(त्व)	517(सं.)	0.7	3.9	219	225	अप्रैल-सित.एच।	3.7	2.6
3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 1993-94 = 100	205	222	7.0	8.2	212	235	अप्रैल-सित.एच।	8.5	10.9
4. विद्युत उत्पादन (बिलियन के डब्ल्यू एच)	587	617	5.0	5.1	305	325	अप्रैल-सित.एच।	4.7	6.7
5. थोक मूल्य सूचकांक (बिंदु-दर-बिंदु) 1993-94 = 100	189.5	197.2	5.1	4.1	198	208.8	19-नवम्बर	4.3	5.5
6. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगारों के लिए) 1982 = 100	525	551	4.2	5.0	548	588 ⁵	सितम्बर	4.2	7.3
7. मुद्रा आपूर्ति (एम 3) (हजार करोड़ रूपए)	2332.7	2730	12.3	17.0	2505	2991	24-नवम्बर	17.3	19.4
8. वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रूपए)	501065(सं.)	660408(अ)	39.5	31.8	328813	457537	अप्रैल-अक्तू(अ)	27.9 *	39.2**
(मिलियन अमरीकी डालर)	111517(सं.)	149166(अ)	42.7	33.8	75032	99756	अप्रैल-अक्तू(अ)	33.1*	33.0**
9. वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रूपए)	375340(सं.)	456418(अ)	27.9	21.6	225802	319009	अप्रैल-अक्तू(अ)	17.4*	41.3**
(मिलियन अमरीकी डालर)	83536(सं.)	103090(अ)	30.8	23.4	51517	69526	अप्रैल-अक्तू(अ)	22.1*	35.0**
10. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (करोड़ रूपए)	593,121	647327	27.22	9.14	619299	723332	अंत अक्तूबर	17.82	16.8
(मिलियन अमरीकी डालर)	135,571	145108	26.17	7.03	137286	160669	अंत अक्तूबर	18.71	17.03
11. विनिमय दर (रूपए/अमरीकी डालर)	44.93	44.27	2.27	-1.49	43.82	45.86	औसत अप्रैल-अक्तूबर @	3.99	-2.26

(त्व) त्वरित अनुमान, ति.1: अप्रैल-जून, सं.अ.-संशोधित अनुमान; (अ): अनन्तिम आंकड़े, "@ " अमरीकी डॉलर की तुलना में, रूपए के मूल्य में वृद्धि (+)/कमी (-) को दर्शाता है, "*" अंतिम/संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम पर अभिवृद्धि दर "**" 'अनन्तिम की तुलना में अनन्तिम' आधार पर अभिवृद्धि दर।

⁵ 4.63 के संपर्क कारक का प्रयोग करके निकाला गया है।

भुगतान संतुलन : सारांश
(त्रैमासिक)

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2005-06			2006-07	
	अप्रैल-जून, 2005 (अ.स.)	जुलाई-सितम्बर, 2005 (अ.स.)	अक्टूबर-दिसम्बर, 2005 (अ.स.)	जनवरी-मार्च, 2006 (प्रा)	अप्रैल-जून, 2006 (प्रा)
1 निर्यात	24150	24060	26400	30170	28245
2 आयात	37754	38692	38237	41651	46729
3 व्यापार संतुलन	-13604	-14632	-11837	-11481	-18484
4 अदृश्य मदें (निवल)	10048	9587	8011	13296	12385
गैर-उपादान सेवाएं	5372	6139	4432	6322	7575
आय	-827	-1542	-2857	-373	-925
निजी अन्तरण	5491	4991	6385	7228	5758
सरकारी अनुदान	12	-1	51	119	-23
5 चालू खाता शेष	-3556	-5045	-3826	1815	-6099
6 विदेशी सहायता (निवल)	212	183	477	566	23
7 वाणिज्यिक उधार (निवल)	1091	1758	-4281	3023	3560
8 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	0	0	0	0	0
9 अनिवासी जमाराशियां (निवल)	-108	341	881	1675	1231
10 रुपया ऋण सेवा	-142	0	-285	-145	-67
11 विदेशी निवेश (निवल)	2170	5522	4160	6370	1200
जिसमें से					
(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (निवल)	1198	1086	1412	2037	1727
(ii) विदेशी संस्थागत निवेश	544	3985	1636	3762	-1787
(iii) यूरो इक्विटी एवं अन्य	428	451	1112	571	1260
12 अन्य प्रवाह (निवल)	1580	2497	-1798	-83	6530
13 चालू खाता योग (निवल)	4803	10301	-846	11406	12477
14 प्रारक्षित उपयोग (-वृद्धि)	-1247	-5256	4672	-13221	-6378

अ.सं.: अंशतः संशोधित

प्रा. : प्रारम्भिक

स्रोत:- भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

मौद्रिक समीक्षा

मर्दे	बकाया शेष (करोड रुपए)				प्रतिशत परिवर्तन			
	2004-05	2005-06	25-नवम्बर-2005	24-नवम्बर-2006	2004-05 पूरा वर्ष	वर्षानुवर्ष		वर्षानुवर्ष
						25-नवम्बर 2005	24-नवम्बर 2006	
I. स्थूल मुद्रा (एम3)	2251449	2729536	2504891	2990696	12.3	17.0	17.3	19.4
एम3 के संघटक								
1) जनता के पास मुद्रा	355863	413143	387747	453090	13.0	16.4	13.3	16.9
2) बैंकों में कुल जमाराशि	1889108	2309514	2112314	2531854	12.1	17.1	18.1	19.9
3) रिजर्व बैंक में अन्य जमाराशियां	6478	6879	4830	5752	26.5	8.9	9.7	19.1
एम3 के स्रोत								
II. सरकार के निवल बैंक ऋण (1+2)	756766	769092	773517	806222	1.9	2.7	2.5	4.2
1) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	-17975	8136	-7872	3426	-	-	-	-
2) सरकार को अन्य बैंक ऋण	774741	760956	781389	802796	11.0	-2.0	6.1	2.7
III. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (1+2)	1280249	1690961	1490574	1876980	26.0	27.0	26.3	25.9
1) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक ऋण	1390	1387	1387	1384	-32.6	-0.2	-26.6	-0.2
2) वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	1278859	1689574	1489187	1875596	26.1	27.0	26.4	25.9
IV. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	649255	726194	681451	811872	23.3	12.1	12.9	19.1
V. अन्य मर्दे (निवल)	395201	456712	440651	504378	41.2	15.6	9.3	14.5
ज्ञापन मर्दे								
1 निवल घरेलू परिसंपत्तियां (एनडीए)	1684763	2003341	1823440	2178824	13.9	18.9	19.1	19.5
2 वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	3121414	3531451	-	-	13.1	13.1	-	-
3 प्रारक्षित मुद्रा	489135	573066	523615	615129	12.1	17.2	14.9	17.5
4 मुद्रा गुणक	4.77	4.76	4.78	4.86	-	-	-	-
5 मुद्रा की गति	1.47	1.43	-	-	-	-	-	-
6 वाणिज्यिक क्षेत्र को निधियों का कुल प्रवाह#	1205786	1545850	1344796	1726186	34.9	28.2	27.3	28.4

टिप्पणियां:

- # इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्य-भिन्न ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्यिक पत्रों आदि में निवेश शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक अंतर 31 मार्च, 2006 से निकाला जाता है जबकि 2005-06 के दौरान तदनुरूप वित्तीय वर्ष का अंतर 1 अप्रैल 2005 से निकाला गया है।

आधारभूत ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दरों की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

उद्योग	भारंश	अप्रैल-सितम्बर					
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07
I. मुख्य अवसंरचना उद्योग							
i. बिजली उत्पादन	10.2	3.2	5.1	5.2	5.1	4.7	6.7
ii. कोयला	3.2	4.6	5.1	6.4	6.4	6.0	5.3
iii. इस्पात	5.1	7.3	9.8	8.4	8	13.7	7.2
iv. कच्चा तेल	4.2	3.4	0.7	1.8	-5.3	-5.0	4.1
v. शोधनशाला उत्पादन	2	4.9	8.2	4.3	2.1	-0.7	12.3
vi. सीमेंट	2	8.8	6.1	6.6	12.3	11.4	10.0
औसत वृद्धि		5	6.1	5.8	5.3	6.1	7.3
II. परिवहन एवं संचार							
1 मुख्य पत्तनों पर लादा-उतारा गया नौभार		9.0	10.0	11.3	10.3	15.0	6.1
2 रेल का राजस्व अर्जक माल यातायात		5.3	7.5	8.1	10.7	10.1	9.9
3 नागर विमानन							
क. लादा-उतारा गया निर्यात कार्गो		13.3	1.0	12.4	7.3	17.2	-1.7
ख. लादा-उतारा गया आयात कार्गो		18.6	13.4	24.2	15.8	11.6	21.0
ग. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर संचलित यात्री		4.8	6.5	14.0	12.8	12.7	12.5
घ. घरेलू हवाई अड्डों पर संचलित यात्री		9.6	13.1	23.6	27.1	21.7	40.2
4 दूरसंचार							
क. सेल्युलर मोबाइल फोन		-	115.0	10.4	89.4	32.8	121.5

स्रोत : 1. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
2. सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लेखा सार

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत)

	बजट अनुमान 2006-07	वास्तविक		व.अ. के प्रतिशत के रूप में		
		09/2006 तक (करोड़ रुपए)	ग.व.	09/2006 तक	ग.व.	5 वर्षों का चल औसत
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ ख)	4,03,465	1,61,406	1,22,845	40.00%	35.00%	35.60%
2. कर राजस्व (निवल)	3,27,205	1,29,986	96,249	39.70%	35.20%	33.90%
3. कर-भिन्न राजस्व	76,260	31,420	26,596	41.20%	34.20%	40.00%
4. पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)	1,60,526	90,538	88,138	56.40%	54.00%	52.40%
गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ	11,840	4,077	4,295	34.40%	35.80%	72.20%
5. ऋण वसूली	8,000	4,077	4,284	51.00%	35.70%	101.40%
6. अन्य प्राप्तियां	3,840	0	11	0.00%		7.70%
7. उधार तथा अन्य देयताएं	1,48,686	86,461	83,843	58.20%	55.50%	47.70%
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	5,63,991	2,51,944	2,10,983	44.70%	41.00%	41.90%
9. आयोजना-भिन्न व्यय	3,91,263	1,83,065	1,51,577	46.80%	40.90%	43.30%
10. राजस्व खाते में	3,44,430	1,72,926	1,41,819	50.20%	42.90%	42.90%
11. जिसमें ब्याज अदायगियां	1,39,823	64,003	53,940	45.80%	40.30%	41.10%
12. पूंजी खाते में	46,833	10,139	9,758	21.60%	24.20%	49.90%
13. आयोजना व्यय	1,72,728	68,879	59,406	39.90%	41.40%	38.40%
14. राजस्व खाते में	1,43,762	57,757	46,123	40.20%	39.80%	38.40%
15. पूंजी खाते में	28,966	11,122	13,283	38.40%	48.30%	39.20%
16. कुल व्यय (9+ 13)	5,63,991	2,51,944	2,10,983	44.70%	41.00%	41.90%
17. राजस्व व्यय (10+ 14)	4,88,192	2,30,683	1,87,942	47.30%	42.10%	41.90%
18. पूंजी व्यय (12+ 15)	75,799	21,261	23,041	28.00%	34.00%	42.50%
19. राजस्व घाटा (17- 1)	84,727	69,277	65,097	81.80%	68.30%	62.10%
20. राजकोषीय घाटा [16-(1+5+6)]	1,48,686	86,461	83,843	58.20%	55.50%	47.70%
21. प्राथमिक घाटा (20-11)	8,863	22,458	29,903	253.40%	173.90%	126.10%

नोट:- 1. रेलवे के ऑकड़ों को घटाया गया है जैसा कि बजट में किया गया है।

2. ग. व.- गत वर्ष की तदनुसूची अवधि में

3. उधार तथा अन्य देयताओं (मद 7) में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निवल अंतर्वाह शामिल नहीं है (3116.41 करोड़ रुपए), जिसका उपयोग घाटे के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाता है।

कर राजस्व

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत)

	2006-07			2005-06		
	ब.अ	वास्तविक 09/2006 तक	%	ब.अ	वास्तविक 09/2005 तक	%
1 निगम कर	133010.00	50624.06	38%	110573.00	33925.71	31%
2 आय पर कर	77409.00	28564.17	37%	66239.00	22203.47	34%
(क) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	73409.00	26198.40	36%	66239.00	21083.47	32%
(ख) प्रतिभूति लेनदेन कर	3500.00	2131.96	61%	0.00	1031.29	
(ग) बैंकिंग लेनदेन कर	500.00	233.81	47%	0.00	88.71	
3 धन कर	265.00	69.26	26%	265.00	98.56	37%
4 सीमा शुल्क	77066.00	41516.58	54%	53182.00	31276.33	59%
5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	119000.00	43395.87	36%	121533.00	40415.92	33%
6 सेवा कर	34500.00	13367.78	39%	17500.00	8159.01	47%
7 अन्य कर	903.00	1940.58	215%	732.52	1463.02	200%
(क) सीमांत लाभकर		1152.91			822.37	
(ख) अन्य	903.00	787.67	87%	732.52	640.65	87%
सकल कर राजस्व						
जिसमें से व्यय को घटा कर (राष्ट्रीय आपदा आपात निधि के लिए वित्तीय प्रबंध हेतु अधिभार)	442153.00	179478.30	41%	370024.52	137542.02	37%
	1500.00	808.82	54%	1600.00	514.32	32%
शेष सकल कर राजस्व	440653.00	178669.48	41%	368424.52	137027.70	37%
घटाइये राज्यों को सुपुर्दगी	113448.00	48683.26	43%	94959.00	40779.09	43%
निवल कर राजस्व	327205.00	129986.22	40%	273465.52	96248.61	35%

कर-भिन्न राजस्व

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत)

विवरण	2006-07			2005-06		
	ब.अ	वास्तविक 09/2006 तक	%	ब.अ	वास्तविक 09/2005 तक	%
क. ब्याज प्राप्तियाँ	25263.16	7686.57	30%	29000.37	14776.92	51%
घटाएँ- उधार की लागत में कमी होने पर लिए गए बाजार उधार से हुई प्राप्तियाँ	6000.00	1389.93	23%	3500.00	5409.37	155%
निवल ब्याज प्राप्तियाँ	19263.16	6296.64	33%	25500.37	9367.55	37%
ख. लाभांश एवं लाभ	27500.00	14217.60	52%	23500.00	7574.42	32%
ग. संघ शासित क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	809.68	323.27	40%	729.17	282.56	39%
घ. अन्य कर-भिन्न राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं	151.50	40.69	27%	1347.43	1019.11	76%
अन्य सामान्य सेवाएं	11062.65	3897.36	35%	11232.61	3311.63	29%
(ii) ऋणों/ब्याज को बट्टे खाते या डालने हेतु, उपयोग में लाई गई अन्य प्राप्तियाँ	0.01	0.00		107.78	0.00	
निवल- अन्य सामान्य सेवाएं	11062.64	3897.36	35%	11124.83	3311.63	30%
सामाजिक सेवाएं	1025.12	261.75	26%	337.40	197.54	59%
आर्थिक सेवाएँ	28436.50	10100.80	36%	27325.33	8580.80	31%
घटाएँ- (i) ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए अन्य प्राप्तियाँ				100.00		
निवल आर्थिक सेवाएं	28436.50	10100.80	36%	27225.33	8580.80	32%
सहायता अनुदान एवं अंशदान	2616.04	527.24	20%	3217.91	824.90	26%
कुल अन्य कर-भिन्न राजस्व	43291.80	14827.84	34%	43252.90	13933.98	32%
घटाएँ: वाणिज्यिक विभाग	14604.14	4245.27	29%	15248.44	4561.99	30%
निवल अन्य कर-भिन्न राजस्व	28687.66	10582.57	37%	28004.46	9371.99	33%
निवल कर-भिन्न राजस्व (क+ख+ग+घ)	76260.50	31420.08	41%	77734.00	26596.52	34%

पूंजी प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत में)

विवरण	2006-07			2005-06		
	ब.अ	वास्तविक	(%)	ब.अ	वास्तविक	(%)
	09/2006 तक			09/2005 तक		
	1	2	3	4	5	6
1 (क) अल्पावधिक उधार सहित बाजार ऋण	113667.64	64664.73	57%	110291.29	64370.30	58%
(ख) एमएसएस के अंतर्गत प्राप्तियाँ	46000.00	13001.69	28%	15019.00	3116.41	21%
(ग) राजकोषीय ऋणियाँ		4699.66			21442.68	
2 लघु बचतके एवज में प्रतिभूतियाँ	3010.00	-393.98	-13%	3010.00	-173.86	-6%
3. आवर्ती निधि सहित बाह्य सहायता						
सकल उधार*	16064.75	6394.07	40%	17184.48	4879.96	28%
घटाएँ-पुनर्दायगियाँ	7740.83	3961.09	51%	7528.64	3364.62	45%
निवल उधार	8323.92	2432.98	29%	9655.84	1515.34	16%
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ (4 और 5)						
4 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ						
सकल वसूलियाँ	9530.00	4342.74	46%	13525.00	4775.56	35%
घटाएँ अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	1530.00	266.04	17%	1525.00	491.49	32%
ऋणों एवं अग्रिमों की निवल वसूलियाँ	8000.00	4076.70	51%	12000.00	4284.07	36%
5 विविध पूंजी प्राप्तियाँ						
(i) सरकार की इक्विटी धारिताओं का विनिवेश	3840.00	0.00			0.00	
(ii) बोनस शेयरों का निर्गम		0.00			0.00	
(iii) अन्य विविध प्राप्तियाँ		0.00			10.95	
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	648.47	2380.66	367%	3722.77	-12169.95	-327%
(क) लघु बचत, सार्वजनिक भविष्य निधियाँ	90400.00	31730.67	35%	93800.00	43618.07	47%
(ख) प्रतिभूतियों में निवेश	-86500.00	-36003.77	42%	-90000.00	-54091.89	60%
(ग) एनएसएसएफ की आय और व्यय	-3251.53	6653.76	-205%	-77.23	-1696.13	2196%
7 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना	-500.00	-220.47	44%	-600.00	-224.74	37%
8 राज्य भविष्य निधियाँ	6000.00	470.89	8%	5000.00	865.88	17%
9 गैर सरकारी भविष्य निधियों, एलआईसी, जीआईसी इत्यादि की विशेष जमा राशियाँ	0.00	-228.25		0.00	28.80	
10 अन्य पूंजी प्राप्तियाँ	17535.60	-4115.37	-23%	16924.67	14536.44	86%
11 उचंत एवं धन-प्रेषण		-7702.97			-7908.21	
12 अर्थोपाय अग्रिम		0.00			0.00	
13 अधिशेष नकद का निवेश		0.00			0.00	
14 नकद शेष राशि में कमी (भा.रि.बै. एवं खाते के बीच अंतर सहित)	0.00	24473.34		3139.51	1560.60	50%
15 एमएसएस के अंतर्गत धारित नकद	-46000.00	-13001.69	28%	-15019.00	-3116.41	21%
कुल	160525.63	90537.92	56%	163144.08	88138.30	54%

आयोजना-व्यय

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत में)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2006-07			2005-06		
		ब.अ	वास्तविक	(%)	ब.अ	वास्तविक	(%)
		09/2006 तक			09/2005 तक		
कृषि मंत्रालय		6028.40	2708.52	45%	4170.00	2061.46	49%
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4840.00	2520.55	52%	4209.32	1859.11	44%
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1350.00	762.77	57%	1150.00	602.38	52%
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	777.00	231.68	30%	669.08	247.03	37%
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय		967.00	436.44	45%	859.00	395.89	46%
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	967.00	436.44	45%	859.00	395.89	46%
परमाणु ऊर्जा विभाग		4124.12	991.31	24%	3931.39	1114.51	28%
5.	परमाणु ऊर्जा	1621.02	553.02	34%	1487.43	459.54	31%
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	2503.10	438.29	18%	2443.96	654.97	27%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		229.81	275.00	120%	194.82	46.11	24%
7.	रसायन और पैट्रोसयान विभाग	131.00	274.75	210%	83.00	5.59	7%
8.	उर्वरक विभाग	98.81	0.25	0%	111.82	40.52	36%
नागर विमानन मंत्रालय		130.00	0.28	0%	370.85	1.01	0%
9.	नागर विमानन मंत्रालय	130.00	0.28	0%	370.85	1.01	0%
कोयला मंत्रालय		168.71	0.08	0%	152.05	30.72	20%
10.	कोयला मंत्रालय	168.71	0.08	0%	152.05	30.72	20%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		1923.29	649.21	34%	1900.00	776.65	41%
11.	वाणिज्य विभाग	1423.29	537.86	38%	1350.00	698.80	52%
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	500.00	111.35	22%	550.00	77.85	14%
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		1722.61	339.88	20%	1441.91	502.51	35%
13.	डाक विभाग	419.00	50.70	12%	354.00	129.20	36%
14.	दूरसंचार विभाग	213.61	52.54	25%	158.61	21.17	13%
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1090.00	236.64	22%	929.30	352.14	38%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		258.80	38.31	15%	201.81	27.72	14%
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	163.00	30.84	19%	107.94	22.14	21%
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	95.80	7.47	8%	93.87	5.58	6%
संस्कृति मंत्रालय		470.00	120.05	26%	551.12	127.76	23%
19.	संस्कृति मंत्रालय	470.00	120.05	26%	551.12	127.76	23%
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग		1350.00	671.56	50%	1086.25	389.92	36%
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	1350.00	671.56	50%	1086.25	389.92	36%
पर्यावरण और वन मंत्रालय		1338.93	404.65	30%	1234.91	388.26	31%
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1338.93	404.65	30%	1234.91	388.26	31%

(करोड़ रुपए अथवा प्रतिशत में)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2006-07			2005-06		
		ब.अ	वास्तविक	(%)	ब.अ	वास्तविक	(%)
		09/2006 तक			09/2005 तक		
विदेश मंत्रालय		222.30	0.00	0%	765.00	179.00	23%
30. विदेश मंत्रालय		222.30	0.00	0%	765.00	179.00	23%
वित्त मंत्रालय		30813.77	14826.94	48%	28742.45	10603.46	37%
31. आर्थिक कार्य विभाग		1214.86	0.07	0%	2215.81	0.01	0%
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां		36.00	0.00	0%	25.81	0.00	0%
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण		29562.28	14826.55	50%	26500.33	10603.18	40%
38. व्यय विभाग		0.63	0.32	51%	0.50	0.27	54%
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		166.90	49.84	30%	180.00	42.55	24%
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		166.90	49.84	30%	180.00	42.55	24%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		11671.22	4091.33	35%	9650.77	3837.54	40%
46. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		11289.62	3967.83	35%	9305.77	3701.41	40%
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		381.60	123.50	32%	345.00	136.13	39%
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		481.50	24.82	5%	436.00	128.68	30%
48. भारी उद्योग विभाग		450.00	9.16	2%	406.00	118.01	29%
49. सरकारी उद्यम विभाग		31.50	15.66	50%	30.00	10.67	36%
गृह मंत्रालय		1122.22	166.62	15%	709.05	172.10	24%
50. गृह मंत्रालय		24.50	8.03	33%	21.00	6.67	32%
52. पुलिस		312.82	100.96	32%	272.00	122.53	45%
53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय		28.53	0.39	1%	7.00	1.51	22%
54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण		756.37	57.24	8%	409.05	41.39	10%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		25539.85	10399.44	41%	19117.55	7811.39	41%
55. प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग		17128	6563.69	38%	12531.76	5615.53	45%
56. माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग		3616	1565.41	43%	2710.50	1061.97	39%
57. महिला और बाल विकास विभाग		4795.85	2270.34	47%	3875.29	1133.89	29%
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		538.00	145.96	27%	528.00	182.99	35%
58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		538.00	145.96	27%	528.00	182.99	35%
श्रम और रोजगार मंत्रालय		311.36	107.53	35%	219.48	82.40	38%
59. श्रम और रोजगार मंत्रालय		311.36	107.53	35%	219.48	82.40	38%
विधि और न्याय मंत्रालय		203.95	0.00	0%	220.00	0.08	0%
61. विधि और न्याय		203.95	0.00	0%	220.00	0.08	0%

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2006-07			2005-06		
		ब.अ	वास्तविक 09/2006 तक	(%)	ब.अ	वास्तविक 09/2005 तक	(%)
	खान मंत्रालय	241.00	72.25	30%	220.88	62.35	28%
63.	खान मंत्रालय	241.00	72.25	30%	220.88	62.35	28%
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	597.00	74.68	13%	599.75	41.16	7%
64.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	597.00	74.68	13%	599.75	41.16	7%
	महासागर विकास विभाग	438.00	84.23	19%	340.00	35.69	10%
66.	महासागर विकास विभाग	438.00	84.23	19%	340.00	35.69	10%
	पंचायती राज मंत्रालय	3825.00	234.57	6%	50.00	6.74	13%
67.	पंचायती राज मंत्रालय	3825.00	234.57	6%	50.00	6.74	13%
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	95.30	14.67	15%	75.00	13.32	18%
69.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	95.30	14.67	15%	75.00	13.32	18%
	योजना मंत्रालय	89.76	16.82	19%	75.00	26.57	35%
71.	योजना मंत्रालय	89.76	16.82	19%	75.00	26.57	35%
	विद्युत मंत्रालय	5500.00	1296.07	24%	3000.00	636.40	21%
72.	विद्युत मंत्रालय	5500.00	1296.07	24%	3000.00	636.40	21%
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	31443.62	15507.34	49%	24480.00	8936.79	37%
78.	ग्रामीण विकास विभाग	24025.62	12749.85	53%	18334.00	6342.44	35%
79.	भूमि संसाधन विभाग	1418.00	704.05	50%	1396.00	680.97	49%
80.	पेय जलापूर्ति विभाग	6000.00	2053.44	34%	4750.00	1913.38	40%
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2836.00	1182.57	42%	2531.00	1024.09	40%
81.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1340.00	429.66	32%	1240.00	473.85	38%
82.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	975.00	476.11	49%	846.00	395.86	47%
83.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	521.00	276.80	53%	445.00	154.38	35%
	नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	13916.16	4384.33	32%	12655.36	10188.47	81%
84.	नौवहन विभाग	735.38	161.85	22%	535.00	90.43	17%
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	13180.78	4222.48	32%	12120.36	10098.04	83%
	लघु उद्योग मंत्रालय	466.33	202.02	43%	408.91	130.66	32%
86.	लघु उद्योग मंत्रालय	466.33	202.02	43%	408.91	130.66	32%
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1750.00	593.88	34%	1533.70	792.31	52%
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1750.00	593.88	34%	1533.70	792.31	52%

(करोड़ रुपए)

अनुदान सं.	मंत्रालय/विभाग	2006-07			2005-06		
		ब.अ	वास्तविक 09/2006 तक	(%)	ब.अ	वास्तविक 09/2005 तक	(%)
	अंतरिक्ष विभाग	3220.00	750.83	23%	2800.00	528.78	19%
88.	अंतरिक्ष विभाग	3220.00	750.83	23%	2800.00	528.78	19%
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1663.39	715.27	43%	1692.70	810.63	48%
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1663.39	715.27	43%	1692.70	810.63	48%
	इस्पात मंत्रालय	45.00	7.00	16%	15.00	7.00	47%
90.	इस्पात मंत्रालय	45.00	7.00	16%	15.00	7.00	47%
	कपड़ा मंत्रालय	1349.50	571.52	42%	1150.00	587.72	51%
91.	कपड़ा मंत्रालय	1349.50	571.52	42%	1150	587.72	51%
	पर्यटन मंत्रालय	830.00	147.80	18%	786.00	225.48	29%
92.	पर्यटन मंत्रालय	830.00	147.80	18%	786.00	225.48	29%
	जनजाति कार्य मंत्रालय	1656.90	953.62	58%	1498.82	573.70	38%
93.	जनजाति कार्य मंत्रालय	1656.90	953.62	58%	1498.82	573.70	38%
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	1671.96	371.81	22%	903.53	203.41	23%
94.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1119.07	151.47	14%	498.31	111.12	22%
95.	चंडीगढ़	216.66	112.74	52%	197.96	61.87	31%
96.	दादरा और नगर हवेली	70.42	26.14	37%	65.01	10.33	16%
97.	दमन और दीव	64.12	23.48	37%	59.30	16.46	28%
98.	लक्षद्वीप	201.69	57.98	29%	82.95	3.63	4%
	शहरी विकास मंत्रालय	1849.78	595.74	32%	2080.33	1346.87	65%
99.	शहरी विकास विभाग	1716.56	560.81	33%	1976.00	1302.09	66%
100.	लोक निर्माण कार्य	133.22	34.93	26%	104.33	44.78	43%
	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	421.67	117.42	28%	500.00	99.84	20%
102.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	421.67	117.42	28%	500.00	99.84	20%
	जल संसाधन मंत्रालय	700.00	165.96	24%	621.00	157.11	25%
103.	जल संसाधन मंत्रालय	700.00	165.96	24%	621.00	157.11	25%
	युवा मामले और खेल मंत्रालय	600.00	164.15	27%	438.99	161.45	37%
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	600.00	164.15	27%	438.99	161.45	37%
	रेलवे	6800.14	3400.07	50%	6520.00	3260.00	50%
	रेलवे मंत्रालय	6800.14	3400.07	50%	6520.00	3260.00	50%
	कुल जोड़	172727.85	68878.87	40%	143496.78	59406.31	41%

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को
अंतरित संसाधन

(बैंगलूर 2006-07 तक)

सं.	विवरण	2006-2007			2005-2006		
		ब.अ	वास्तविक 09/2006 तक	%	ब.अ	वास्तविक 09/2005 तक	%
1.	करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	113448	48683	43%	94959	40779	43%
2.	आयोजना-भिन्न अनुदान एवं ऋण	35461	17892	50%	34053	12161	36%
	अनुदान	35361	17853	50%	33953	11711	34%
	ऋण	100	39	39%	100	19	19%
	अर्थोपाय अग्रिम (निवल)		0			431	
3.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय सहायता	37971	16253	43%	30454	11789	39%
	अनुदान	33971	14055	41%	30454	10654	35%
	ऋण	4000	2198	55%	0	1135	
4.	केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायता	17089	7884	46%	15750	6939	44%
	अनुदान	16943	7795	46%	15599	6868	44%
	ऋण	146	89	61%	151	71	47%
5.	कुल अनुदान और ऋण (2+3+4)	90521	42029	46%	80257	30889	38%
	अनुदान	86275	39703	46%	80006	29233	37%
	ऋण	4246	2326	55%	251	1656	660%
6.	घटाइए-ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	6762	3238	48%	10045	3630	36%
7.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित निवल संसाधन (1+5+6)	197207	87474	44%	165171	68038	41%
	(i) जिसमें से राज्य सरकारें	195521	87218	45%	164025	67812	41%
	(ii) जिसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	1686	256	15%	1146	226	20%

केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक देयताएं (3+4)	आंतरिक ऋण	अन्य आंतरिक देयताएं	विदेशी ऋण*	कुल बकाया देयताएं (2+5)	समायोजित विदेशी ऋण@	समायोजित कुल बकाया देयताएं@ (2+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	283033	154004	129029	31525	314558	66314	349347
1991-92	317714	172750	144964	36948	354662	109677	427391
1992-93	359654	199100	160554	42269	401923	120979	480633
1993-94	430623	245712	184911	47345	477968	127798	558421
1994-95	487682	266467	221215	50929	538611	142514	630196
1995-96	554984	307869	247115	51249	606233	148398	703382
1996-97	621438	344476	276962	54238	675676	149564	771002
1997-98	722962	388998	333964	55332	778294	161418	884380
1998-99	834551	459696	374855	57255	891806	177934	1012485
99-2000	962592	714254	248338	58437	1021029	186791	1149383
2000-01	1102596	803698	298898	65945	1168541	189990	1292586
2001-02	1294862	913061	381801	71546	1366408	199868	1494730
2002-03	1499589	1020688	478901	59612	1559201	196043	1695632
2003-04	1690554	1141706	548848	46124	1736678	184177	1874731
2004-05**	1933544	1275971	657573	60878	1994422	191182	2124726
2005-06(सं.अ.)**	2126995	1355943	771052	68392	2195387	उ.न.	उ.न.
2006-07(ब.अ.)**	2396846	1522030	874816	76716	2473562	उ.न.	उ.न.
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)							
1990-91	49.8	27.1	22.7	5.5	55.3	11.7	61.4
1991-92	48.6	26.5	22.2	5.7	54.3	16.8	65.4
1992-93	48.1	26.6	21.5	5.6	53.7	16.2	64.2
1993-94	50.1	28.6	21.5	5.5	55.6	14.9	65.0
1994-95	48.2	26.3	21.8	5.0	53.2	14.1	62.2
1995-96	46.7	25.9	20.8	4.3	51.0	12.5	59.2
1996-97	45.4	25.2	20.2	4.0	49.4	10.9	56.4
1997-98	47.5	25.5	21.9	3.6	51.1	10.6	58.1
1998-99	47.9	26.4	21.5	3.3	51.2	10.2	58.2
99-2000	49.1	36.5	12.7	3.0	52.1	9.5	58.7
2000-01	52.3	38.1	14.2	3.1	55.4	9.0	61.3
2001-02	56.8	40.0	16.7	3.1	59.9	8.8	65.5
2002-03	61.2	41.7	19.5	2.4	63.6	8.0	69.2
2003-04	61.2	41.4	19.9	1.7	62.9	6.7	67.9
2004-05**	61.9	40.9	21.1	2.0	63.9	6.1	68.1
2005-06(सं.अ.)**	60.2	38.4	21.8	1.9	62.2	उ.न.	उ.न.
2006-07(ब.अ.)**	60.6	38.5	22.1	1.9	62.6	उ.न.	उ.न.

* पारंपरिक विनिमय दर पर

** आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 2004-05 के लिए 64,211 करोड़ रुपए और 2005-06 (सं.अ.) के लिए 27,230 करोड़ रुपए तथा 2006-07 (ब.अ.) के लिए 73,230 करोड़ रुपए का निवल उधार शामिल है।

@ वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित। वर्ष 1990-91 के लिए मार्च, 1991 के अंत में प्रचलित दरें। वर्ष 1995-96 के लिए मार्च 1996 के अंत में प्रचलित दरें और इसी प्रकार आगे।